रजिस्टर्ड नं०–ए०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

खण्ड 76] प्रयागराज, शनिवार, 30 जुलाई, 2022 ई० (श्रावण 8, 1944 शक संवत्) [संख्या 31

विषय-सूची

हर भाग के पन्ने अलग-अलग किये गये हैं, जिससे इनके अलग.अलग खण्ड बन सके।

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
सम्पूर्ण गजट का मूल्य		रु0
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस	705–726	3075
भाग 1–क–नियम, कार्य-विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया	531–563	1500
भाग 1–ख (1) औद्योगिक न्यायाधिकरणों के अभिनिर्णय		
भाग 1–ख (2)–श्रम न्यायालयों के अभिनिर्णय		
भाग 2–आज्ञायें, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों का उद्धरण	..	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़पत्र, खण्ड क–नगरपालिका परिषद्, खण्ड ख–नगर पंचायत, खण्ड ग–निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा खण्ड घ–जिला पंचायत	..	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश	..	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तर प्रदेश		975
भाग 6–(क) बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किये गये या प्रस्तुत किये जाने से पहले प्रकाशित किये गये		975
(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट		
भाग 6–क–भारतीय संसद के ऐक्ट		
भाग 7–(क) बिल, जो राज्य की धारा सभाओं में प्रस्तुत किये जाने के पहले प्रकाशित किये गये		975
(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट		
भाग 7–क–उत्तर प्रदेशीय धारा सभाओं के ऐक्ट		
भाग 7–ख–इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	..	
भाग 8–सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गाठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आँकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आँकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि	393–412	975
स्टोर्स–पचेज विभाग का क्रोड़ पत्र	..	1425

भाग 1

विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस।

विधान सभा सचिवालय, उत्तर प्रदेश

[अधिष्ठान]

सेवा निवृत्ति

30 जून, 2022 ई0

सं0 1029/वि0स0/अधि0/94/83—वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-2, भाग-2, से 4 के मूल नियम 56(क) के अन्तर्गत श्री मुल्कराज, निजी सचिव श्रेणी-3, विधान सभा सचिवालय, उत्तर प्रदेश, दिनांक 01 जून, 2022 को 60 वर्ष की अधिवर्षता आयु पूरी करने के उपरान्त दिनांक 30 जून, 2022 के अपराह्न से सेवानिवृत्त हो गये।

आज्ञा से,
प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव।

वित्त विभाग

[लेखा परीक्षा]

अनुभाग-1

तैनाती

30 जून, 2022 ई0

सं0 10-3001/74/2021-3—मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियां एवं पंचायतें, उ0प्र0 के अन्तर्गत निम्नलिखित उप मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख कालम-3 में उल्लिखित वर्तमान तैनाती के स्थान से स्थानान्तरित करते हुये कालम—4 में अंकित स्थान पर तत्काल प्रभाव से तैनात किये जाने का श्री राज्यपाल द्वारा सहर्ष आदेश प्रदान किया जाता है—

क्र0 सं0	अधिकारी का नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	स्थानान्तरण के उपरान्त तैनाती का स्थान
1	2	3	4
	सर्वश्री—		
1	राकेश कुमार सिंह, उप मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी	अलीगढ़ मण्डल	प्रयागराज मण्डल
2	कैलाश चन्द्र मिश्रा, उप मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी	मुरादाबाद मण्डल	सहारनपुर मण्डल
3	सुरेन्द्र कुमार पाण्डेय, उप मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी	सहारनपुर मण्डल	लखनऊ मण्डल

2—सम्बन्धित अधिकारी प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना स्थानान्तरित मण्डल/स्थान पर तत्काल कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे।

आज्ञा से,
पुष्पराज,
विशेष सचिव।

गृह विभाग

[पुलिस]

अनुभाग-1

पदोन्नति

24 जून, 2022 ई0

सं0 1866/6-पु-1-22-287/2020—चयन वर्ष 2021-2022 में उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग के निरीक्षक (गोपनीय) से पुलिस उप अधीक्षक (लिपिक वर्गीय) (गोपनीय सहायक शाखा/आशुलिपिक रिपोर्टर शाखा) के पद पर प्रोन्नति कोटे में 12 रिक्तियों के सापेक्ष गठित विभागीय चयन समिति की दिनांक 13 जून, 2022 को सम्पन्न बैठक में की गयी संस्तुति के क्रम में उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग के निरीक्षक (गोपनीय) में से मौलिक रूप से नियुक्त एवं कार्यरत निम्नलिखित निरीक्षक (गोपनीय) को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पुलिस उप अधीक्षक (लिपिक वर्गीय) (गोपनीय सहायक शाखा/आशुलिपिक रिपोर्टर शाखा) साधारण वेतनमान (वेतनमान रु0 15,600-39,100 ग्रेड पे रु0 5,400, पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स पे लेवल-10, रु0 56,100-1,77,500) में प्रोन्नति किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं—

क्र0सं0	अधिकारियों के नाम	ज्येष्ठता सूची क्रमांक
1	2	3
	सर्वश्री—	
1	लल्लन प्रसाद साहू	ज्येष्ठता कोटि क्रमांक-1
2	सईद अहमद	ज्येष्ठता कोटि क्रमांक-2
3	अम्बिका चरण श्रीवास्तव	ज्येष्ठता कोटि क्रमांक-3
4	जितेन्द्र बाबू	ज्येष्ठता कोटि क्रमांक-4
5	कृष्ण चन्द्र सिंह	ज्येष्ठता कोटि क्रमांक-5
6	प्रमोद कुमार टण्डन	ज्येष्ठता कोटि क्रमांक-6
7	राज कुमार	ज्येष्ठता कोटि क्रमांक-7
8	मलखान सिंह	ज्येष्ठता कोटि क्रमांक-8
9	सरयू प्रसाद शर्मा	ज्येष्ठता कोटि क्रमांक-9
10	श्याम मनोहर	ज्येष्ठता कोटि क्रमांक-10
11	रवि कुमार वर्मा	ज्येष्ठता कोटि क्रमांक-11
12	देशराज सिंह	ज्येष्ठता कोटि क्रमांक-12
13	भवानी शंकर लोशाली	ज्येष्ठता कोटि क्रमांक-13
14	बाल गोविन्द	ज्येष्ठता कोटि क्रमांक-14

2—उपरोक्तानुसार पदोन्नत कार्मिकों में से क्रम संख्या 6 पर अंकित श्री प्रमोद कुमार टण्डन एवं क्रम संख्या 10 पर श्री श्याम मनोहर दिनांक 30 जून, 2022 को सेवा निवृत्त हो जायेंगे, अतः उनके सापेक्ष ज्येष्ठता क्रमांक-13 पर अंकित श्री भवानी शंकर लोशाली (ज्येष्ठता कोटिक्रम-13) एवं क्रम संख्या-14 पर अंकित श्री बाल गोविन्द (ज्येष्ठता

कोटिक्रम-14) को पुलिस उप अधीक्षक (लिपिक वर्गीय) (गोपनीय सहायक शाखा/आशुलिपिक रिपोर्टर शाखा) ग्रेड पे रु0 5,400, पे मैट्रिक्स लेवल-10 के पद पर पदोन्नत किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3—उपर्युक्त प्रोन्नत आदेश में सम्मिलित कार्मिकों की तैनाती से पूर्व पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0/अपर पुलिस महानिदेशक (प्रशासन) उ0प्र0, लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त कार्मिकों के विरुद्ध किसी प्रकार की विभागीय/अनुशासनिक कार्यवाही/सतर्कता जांच आदि प्रचलित/लम्बित नहीं है। इस सम्बन्ध में अपर पुलिस महानिदेशक (प्रशासन) उ0प्र0, लखनऊ स्वयं संतुष्ट हो लेंगे और यदि पुलिस उप अधीक्षक (लिपिक वर्गीय) (गोपनीय सहायक शाखा/आशुलिपिक रिपोर्टर शाखा) के पद पर प्रोन्नत किसी कार्मिक के विरुद्ध कोई भी प्रतिकूल तथ्य संज्ञान में आता है तो तत्काल सम्बन्धित कार्मिक की प्रोन्नति प्रतिबन्धित करते हुये उसकी सूचना शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

4—उक्त प्रोन्नत अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल प्रोन्नत पद पर कार्यभार ग्रहण कर कार्यभार प्रमाणक शासन एवं पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0, लखनऊ तथा अन्य सम्बन्धित को अविलम्ब उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

5—पुलिस उप अधीक्षक (लिपिक वर्गीय) (गोपनीय सहायक शाखा/आशुलिपिक रिपोर्टर शाखा) के पद पर प्रोन्नत कार्मिकों की तैनाती का आदेश निर्गत किये जाने से पूर्व अपर पुलिस महानिदेशक (प्रशासन) उ0प्र0, लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि रिक्तियां वास्तविक रूप से उपलब्ध हैं। वास्तविक रूप से उपलब्ध रिक्तियों के सापेक्ष ही प्रोन्नति आदेश के सापेक्ष तैनाती का आदेश निर्गत किया जायेगा।

आज्ञा से,
राजेश कुमार राय,
विशेष सचिव।

नियोजन विभाग

अनुभाग-2

प्रोन्नति

17 जून, 2022 ई0

सं0 677/पैंतीस-2/2022—अर्थ एवं संख्या प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के अन्तर्गत अपर निदेशक (वेतनमान वेतन बैण्ड-4, रु0 37,400-67,000 ग्रेड वेतन रु0 8,700 पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स का लेवल-13) के रिक्त पद पर उ0प्र0 विभागीय पदोन्नति समिति का गठन (सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों के लिये) नियमावली, 1992 के अन्तर्गत गठित विभागीय प्रोन्नति समिति की संस्तुति के आधार पर डा0 दिव्या सरीन मेहरोत्रा, संयुक्त निदेशक, प्रभाग मुख्यालय की अपर निदेशक के पद पर पदोन्नति करते हुये कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अर्थ एवं संख्या प्रभाग, मुख्यालय पर तैनात किये जाने की श्री राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं।

सं0 678/पैंतीस-2/2022—अर्थ एवं संख्या प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के अन्तर्गत अपर निदेशक (वेतनमान वेतन बैण्ड-4, रु0 37,400-67,000 ग्रेड वेतन रु0 8,700 पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स का लेवल-13) के रिक्त पद पर उ0प्र0 विभागीय पदोन्नति समिति का गठन (सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों के लिये) नियमावली, 1992 के अन्तर्गत गठित विभागीय प्रोन्नति समिति की संस्तुति के आधार पर श्रीमती मालोविका घोषाल, संयुक्त निदेशक, प्रभाग मुख्यालय की अपर निदेशक के पद पर पदोन्नति करते हुये कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अर्थ एवं संख्या प्रभाग, मुख्यालय पर तैनात किये जाने की श्री राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं।

आज्ञा से,
आलोक कुमार,
सचिव।

श्रम विभाग

अनुभाग-4

पदोन्नति

20 जून, 2022 ई0

सं0 924/36-4-2022-07/2013 टी0सी0—श्रमायुक्त संगठन, उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत कार्यरत श्री अजय कुमार मिश्रा (प्रथम), सहायक श्रमायुक्त, मुख्यालय कानपुर को नियमित चयनोपरान्त उप श्रमायुक्त (वेतनमान रु0 15,600-39,100 ग्रेड पे रु0 6,600) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अपने वर्तमान तैनाती स्थान पर पदोन्नति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल एतद्द्वारा आदेश प्रदान करते हैं।

2—श्री अजय कुमार मिश्रा (प्रथम) की तैनाती के आदेश पृथक् से निर्गत किये जायेंगे।

3—उपरोक्त प्रोन्नत अधिकारी तत्काल कार्यभार ग्रहण कर कार्यभार प्रमाणक श्रमायुक्त, उ0प्र0/शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

सं0 925/36-4-2022-07/2013 टी0सी0—श्रमायुक्त संगठन, उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत कार्यरत श्री बृज मोहन शर्मा सहायक श्रमायुक्त, अलीगढ़ को नियमित चयनोंपरान्त उप श्रमायुक्त (वेतनमान रु0 15,600-39,100 ग्रेड पे रु0 6,600) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अपने वर्तमान तैनाती स्थान पर पदोन्नति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल एतद्द्वारा आदेश प्रदान करते हैं।

2—श्री बृज मोहन शर्मा की तैनाती के आदेश पृथक् से निर्गत किये जायेंगे।

3—उपरोक्त प्रोन्नत अधिकारी तत्काल कार्यभार ग्रहण कर कार्यभार प्रमाणक श्रमायुक्त, उ0प्र0/शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

आज्ञा से,
सुरेश चन्द्रा,
अपर मुख्य सचिव।

लोक निर्माण विभाग

अनुभाग-4

औपबंधिक नियुक्ति

10 दिसम्बर, 2021 ई0

सं0 6045/23-4-2021-63 जनरल/21—लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा (सामान्य चयन/विशेष चयन) परीक्षा, 2019 के आधार पर लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 में सहायक अभियन्ता (वि0/यॉ0) के पद पर चयनित अभ्यर्थियों के सापेक्ष लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज के पत्र संख्या 87/01/ई-4/2019-20टी0सी0-I, दिनांक 26 अगस्त, 2021 द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत किये गये अभ्यर्थी हरिओम मिश्रा पुत्र श्री संतोष कुमार मिश्रा (अनुक्रमांक-096432) को लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 में सहायक अभियन्ता (वि0/यॉ0) के पद पर वेतन बैण्ड-3, रु0 15,600-39,100, ग्रेड पे-5,400 (सातवें वेतन आयोग की संस्तुति के क्रम में पुनरीक्षित लेवल-10) में कार्यालय प्रमुख अभियन्ता लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ में औपबंधिक रूप से नियुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं—

(1) उनकी सेवायें उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग सहायक अभियंता (विद्युत और यांत्रिक शाखा) सेवा नियमावली, 1993 अद्यतन संशोधित के प्राविधानों से शासित होंगी तथा ऐसे अन्य सेवा शर्तें भी उन पर लागू होगी, जो समय-समय पर शासन द्वारा निर्धारित की जाये।

(2) उ0प्र0 सरकारी सेवक परिवीक्षा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2016 जो उत्तर प्रदेश के समस्त सरकारी सेवकों की सेवा नियमावलियों पर अध्यारोही प्रभाव से लागू हैं, के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत सहायक अभियन्ता (वि0/यॉ0) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा अवधि पर रहेंगे।

(3) यदि सम्बन्धित अभ्यर्थी लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश में सहायक अभियन्ता (वि0/यॉ0) के पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक हों तो नियुक्ति-पत्र की प्राप्ति के एक माह की अवधि के अन्दर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ में निम्नलिखित अभिलेखों एवं सूचनाओं के साथ उपस्थित हों–

[क] केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अन्तर्गत अब तक की गयी सेवाओं के संबंध में घोषणा।

[ख] अपने कर्जदार होने न होने की घोषणा।

[ग] निज स्वामित्व की समस्त चल एवं अचल सम्पत्ति से संबंधित घोषणा।

[घ] एक से अधिक पत्नी/पति न होने की घोषणा।

[ङ] निजी विवरण।

[च] राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र संबंधी दो नवीनतम प्रमाण-पत्र।

[छ] राजपत्रित अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित पासपोर्ट साईज में एक नवीनतम फोटोग्राफ।

[ज] इण्डियन आफिशियल सीक्रेट्स ऐक्ट, 1923 के प्राविधानों को पढ़े जाने से संबंधित घोषणा-पत्र।

[झ] हाई स्कूल का प्रमाण-पत्र।

[ञ] वैवाहिक स्थिति में दहेज न लेने विषयक घोषणा।

(4) प्रथम नियुक्ति के समय विभाग में योगदान करने हेतु किसी भी अभ्यर्थी को किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।

(5) यदि संबंधित अभ्यर्थी दूसरे विभाग में कार्यरत हैं और वहां से नियमानुसार कार्य मुक्त होकर/पूर्ववर्ती विभाग की सेवायें छोड़कर लोक निर्माण विभाग में योगदान देता है तो उसे अपनी पूर्ववर्ती विभाग से "नो ड्यूज" का प्रमाण-पत्र कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व प्रस्तुत करना होगा।

(6) संबंधित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता वही रहेगी, जो लोक सेवा आयोग के पत्र दिनांक 25 जून, 2021 द्वारा निर्धारित है और विभाग में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि भिन्न-भिन्न होने की दशा में भी ज्येष्ठता क्रमांक लोक सेवा आयोग की संस्तुति के आधार पर ही समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के अनुसार अवधारित की जायेगी।

(7) संबंधित अभ्यर्थी प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, उ0प्र0, लखनऊ को इस आशय का शपथ-पत्र देंगे कि चरित्र सत्यापन/स्वास्थ्य परीक्षण/स्वघोषणा-पत्र/अनिवार्य शैक्षिक योग्यता आदि के संबंध में कोई प्रतिकूल तथ्य पाये जाने एवं उनके संबंध में कोई विधि विरुद्ध प्रमाणित तथ्य संज्ञान में आने की दशा में उनकी सेवायें बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।

(8) यदि उम्मीदवार का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या उम्मीदवार द्वारा अपने स्वःसत्यापन या घोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है तो औपबन्धिक नियुक्ति-पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा तथा परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।

(9) संबंधित अभ्यर्थी नियुक्ति-पत्र प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर कार्यभार ग्रहण कर लें, यदि वे निर्धारित समयावधि के अन्दर युक्तियुक्त कारण के बिना योगदान नहीं करते हैं तो यह समझा जायेगा कि वे उपर्युक्त पद पर योगदान करने के इच्छुक नहीं हैं और तद्नुसार उनका अभ्यर्थन समाप्त करने की कार्यवाही करने पर विचार किया जायेगा।

(10) संबंधित नवनियुक्त सहायक अभियन्ता (वि0/यॉ0) की तैनाती के संबंध में पृथक् से आदेश निर्गत किये जायेंगे।

सं0 6046/23-4-2021-63 जनरल/21—लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा (सामान्य चयन/विशेष चयन) परीक्षा, 2019 के आधार पर लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 में सहायक अभियन्ता (वि0/यॉ0) के पद पर चयनित अभ्यर्थियों के सापेक्ष लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज के पत्र संख्या 87/01/ई-4/2019-20टी0सी0-I, दिनांक 26 अगस्त, 2021 द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत किये गये अभ्यर्थी श्री दीपक शर्मा पुत्र श्री गंगादत्त शर्मा (अनुक्रमांक-053931) को लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 में सहायक अभियन्ता (वि0/यॉ0) के पद पर वेतन बैण्ड-3, रु0 15,600-39,100, ग्रेड पे-5,400 (सातवें वेतन आयोग की संस्तुति के क्रम में पुनरीक्षित लेवल-10) में कार्यालय प्रमुख अभियन्ता लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ में औपबंधिक रूप से नियुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं—

(1) उनकी सेवायें उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग सहायक अभियंता (विद्युत और यांत्रिक शाखा) सेवा नियमावली, 1993 अद्यतन संशोधित के प्राविधानों से शासित होंगी तथा ऐसे अन्य सेवा शर्तें भी उन पर लागू होगी, जो समय-समय पर शासन द्वारा निर्धारित की जाये।

(2) उ0प्र0 सरकारी सेवक परिवीक्षा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2016 जो उत्तर प्रदेश के समस्त सरकारी सेवकों की सेवा नियमावलियों पर अध्यारोही प्रभाव से लागू हैं, के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत सहायक अभियन्ता (वि0/यॉ0) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा अवधि पर रहेंगे।

(3) यदि सम्बन्धित अभ्यर्थी लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश में सहायक अभियन्ता (वि0/यॉ0) के पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक हों तो नियुक्ति-पत्र की प्राप्ति के एक माह की अवधि के अन्दर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ में निम्नलिखित अभिलेखों एवं सूचनाओं के साथ उपस्थित हों—

[क] केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अन्तर्गत अब तक की गयी सेवाओं के संबंध में घोषणा।

[ख] अपने कर्जदार होने न होने की घोषणा।

[ग] निज स्वामित्व की समस्त चल एवं अचल सम्पत्ति से संबंधित घोषणा।

[घ] एक से अधिक पत्नी/पति न होने की घोषणा।

[ङ] निजी विवरण।

[च] राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र संबंधी दो नवीनतम प्रमाण-पत्र।

[छ] राजपत्रित अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित पासपोर्ट साईज में एक नवीनतम फोटोग्राफ।

[ज] इण्डियन आफिशियल सीक्रेट्स ऐक्ट, 1923 के प्राविधानों को पढ़े जाने से संबंधित घोषणा-पत्र।

[झ] हाई स्कूल का प्रमाण-पत्र।

[ञ] वैवाहिक स्थिति में दहेज न लेने विषयक घोषणा।

(4) प्रथम नियुक्ति के समय विभाग में योगदान करने हेतु किसी भी अभ्यर्थी को किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।

(5) यदि संबंधित अभ्यर्थी दूसरे विभाग में कार्यरत हैं और वहां से नियमानुसार कार्य मुक्त होकर/पूर्ववर्ती विभाग की सेवायें छोड़कर लोक निर्माण विभाग में योगदान देता है तो उसे अपनी पूर्ववर्ती विभाग से "नो ड्यूज" का प्रमाण-पत्र कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व प्रस्तुत करना होगा।

(6) संबंधित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता वही रहेगी, जो लोक सेवा आयोग के पत्र दिनांक 25 जून, 2021 द्वारा निर्धारित है और विभाग में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि भिन्न-भिन्न होने की दशा में भी ज्येष्ठता क्रमांक लोक सेवा आयोग की संस्तुति के आधार पर ही समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के अनुसार अवधारित की जायेगी।

(7) संबंधित अभ्यर्थी प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, उ0प्र0, लखनऊ को इस आशय का शपथ-पत्र देंगे कि चरित्र सत्यापन/स्वास्थ्य परीक्षण/स्वघोषणा-पत्र/अनिवार्य शैक्षिक योग्यता आदि के संबंध में कोई प्रतिकूल तथ्य पाये जाने एवं उनके संबंध में कोई विधि विरुद्ध प्रमाणित तथ्य संज्ञान में आने की दशा में उनकी सेवायें बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।

(8) यदि उम्मीदवार का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या उम्मीदवार द्वारा अपने स्वःसत्यापन या घोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है तो औपबन्धिक नियुक्ति-पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा तथा परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।

(9) संबंधित अभ्यर्थी नियुक्ति-पत्र प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर कार्यभार ग्रहण कर लें, यदि वे निर्धारित समयावधि के अन्दर युक्तियुक्त कारण के बिना योगदान नहीं करते हैं तो यह समझा जायेगा कि वे उपर्युक्त पद पर योगदान करने के इच्छुक नहीं हैं और तद्नुसार उनका अभ्यर्थन समाप्त करने की कार्यवाही करने पर विचार किया जायेगा।

(10) संबंधित नवनियुक्त सहायक अभियन्ता (वि0/यॉ0) की तैनाती के संबंध में पृथक् से आदेश निर्गत किये जायेंगे।

सं0 6047/23-4-2021-63 जनरल/21—लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा (सामान्य चयन/विशेष चयन) परीक्षा, 2019 के आधार पर लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 में सहायक अभियन्ता (वि0/यॉ0) के पद पर चयनित अभ्यर्थियों के सापेक्ष लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज के पत्र संख्या 87/01/ई-4/2019-20टी0सी0-I, दिनांक 26 अगस्त, 2021 द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत किये गये अभ्यर्थी श्री शुभम सचान पुत्र श्री सत्य प्रकाश (अनुक्रमांक-108422) को लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 में सहायक अभियन्ता (वि0/यॉ0) के पद पर वेतन बैण्ड-3, रु0 15,600-39,100, ग्रेड पे-5,400 (सातवें वेतन आयोग की संस्तुति के क्रम में पुनरीक्षित लेवल-10) में कार्यालय प्रमुख अभियन्ता लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ में औपबंधिक रूप से नियुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं—

(1) उनकी सेवायें उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग सहायक अभियंता (विद्युत और यांत्रिक शाखा) सेवा नियमावली, 1993 अद्यतन संशोधित के प्राविधानों से शासित होंगी तथा ऐसे अन्य सेवा शर्तें भी उन पर लागू होगी, जो समय-समय पर शासन द्वारा निर्धारित की जाये।

(2) उ0प्र0 सरकारी सेवक परिवीक्षा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2016 जो उत्तर प्रदेश के समस्त सरकारी सेवकों की सेवा नियमावलियों पर अध्यारोही प्रभाव से लागू हैं, के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत सहायक अभियन्ता (वि0/यॉ0) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा अवधि पर रहेंगे।

(3) यदि सम्बन्धित अभ्यर्थी लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश में सहायक अभियन्ता (वि0/यॉ0) के पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक हों तो नियुक्ति-पत्र की प्राप्ति के एक माह की अवधि के अन्दर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ में निम्नलिखित अभिलेखों एवं सूचनाओं के साथ उपस्थित हों–

[क] केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अन्तर्गत अब तक की गयी सेवाओं के संबंध में घोषणा।

[ख] अपने कर्जदार होने न होने की घोषणा।

[ग] निज स्वामित्व की समस्त चल एवं अचल सम्पत्ति से संबंधित घोषणा।

[घ] एक से अधिक पत्नी/पति न होने की घोषणा।

[ङ] निजी विवरण।

[च] राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र संबंधी दो नवीनतम प्रमाण-पत्र।

[छ] राजपत्रित अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित पासपोर्ट साईज में एक नवीनतम फोटोग्राफ।

[ज] इण्डियन आफिशियल सीक्रेट्स ऐक्ट, 1923 के प्राविधानों को पढ़े जाने से संबंधित घोषणा-पत्र।

[झ] हाई स्कूल का प्रमाण-पत्र।

[ञ] वैवाहिक स्थिति में दहेज न लेने विषयक घोषणा।

(4) प्रथम नियुक्ति के समय विभाग में योगदान करने हेतु किसी भी अभ्यर्थी को किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।

(5) यदि संबंधित अभ्यर्थी दूसरे विभाग में कार्यरत हैं और वहां से नियमानुसार कार्य मुक्त होकर/पूर्ववर्ती विभाग की सेवायें छोड़कर लोक निर्माण विभाग में योगदान देता है तो उसे अपनी पूर्ववर्ती विभाग से "नो ड्यूज" का प्रमाण-पत्र कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व प्रस्तुत करना होगा।

(6) संबंधित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता वही रहेगी, जो लोक सेवा आयोग के पत्र दिनांक 25 जून, 2021 द्वारा निर्धारित है और विभाग में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि भिन्न-भिन्न होने की दशा में भी ज्येष्ठता क्रमांक लोक सेवा आयोग की संस्तुति के आधार पर ही समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के अनुसार अवधारित की जायेगी।

(7) संबंधित अभ्यर्थी प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, उ0प्र0, लखनऊ को इस आशय का शपथ-पत्र देंगे कि चरित्र सत्यापन/स्वास्थ्य परीक्षण/स्वघोषणा-पत्र/अनिवार्य शैक्षिक योग्यता आदि के संबंध में कोई प्रतिकूल तथ्य पाये जाने एवं उनके संबंध में कोई विधि विरुद्ध प्रमाणित तथ्य संज्ञान में आने की दशा में उनकी सेवायें बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।

(8) यदि उम्मीदवार का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या उम्मीदवार द्वारा अपने स्वःसत्यापन या घोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है तो औपबन्धिक नियुक्ति-पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा तथा परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।

(9) संबंधित अभ्यर्थी नियुक्ति-पत्र प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर कार्यभार ग्रहण कर लें, यदि वे निर्धारित समयावधि के अन्दर युक्तियुक्त कारण के बिना योगदान नहीं करते हैं तो यह समझा जायेगा कि वे उपर्युक्त पद पर योगदान करने के इच्छुक नहीं हैं और तद्नुसार उनका अभ्यर्थन समाप्त करने की कार्यवाही करने पर विचार किया जायेगा।

(10) संबंधित नवनियुक्त सहायक अभियन्ता (वि0/यॉ0) की तैनाती के संबंध में पृथक् से आदेश निर्गत किये जायेंगे।

सं0 6048/23-4-2021-63 जनरल/21—लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा (सामान्य चयन/विशेष चयन) परीक्षा, 2019 के आधार पर लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 में सहायक अभियन्ता (वि0/यॉ0) के पद पर चयनित अभ्यर्थियों के सापेक्ष लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज के पत्र संख्या 87/01/ई-4/2019-20टी0सी0-I, दिनांक 26 अगस्त, 2021 द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत किये गये अभ्यर्थी श्री काजिम अब्बास पुत्र श्री सैययद मोहम्मद अख्तर (अनुक्रमांक-105673) को लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 में सहायक अभियन्ता (वि0/यॉ0) के पद पर वेतन बैण्ड-3, रु0 15,600-39,100, ग्रेड पे-5,400 (सातवें वेतन आयोग की संस्तुति के क्रम में पुनरीक्षित लेवल-10) में कार्यालय प्रमुख अभियन्ता लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ में औपबंधिक रूप से नियुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं—

(1) उनकी सेवायें उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग सहायक अभियंता (विद्युत और यांत्रिक शाखा) सेवा नियमावली, 1993 अद्यतन संशोधित के प्राविधानों से शासित होंगी तथा ऐसे अन्य सेवा शर्तें भी उन पर लागू होगी, जो समय-समय पर शासन द्वारा निर्धारित की जाये।

(2) उ0प्र0 सरकारी सेवक परिवीक्षा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2016 जो उत्तर प्रदेश के समस्त सरकारी सेवकों की सेवा नियमावलियों पर अध्यारोही प्रभाव से लागू हैं, के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत सहायक अभियन्ता (वि0/यॉ0) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा अवधि पर रहेंगे।

(3) यदि सम्बन्धित अभ्यर्थी लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश में सहायक अभियन्ता (वि0/यॉ0) के पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक हों तो नियुक्ति-पत्र की प्राप्ति के एक माह की अवधि के अन्दर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ में निम्नलिखित अभिलेखों एवं सूचनाओं के साथ उपस्थित हों—

[क] केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अन्तर्गत अब तक की गयी सेवाओं के संबंध में घोषणा।

[ख] अपने कर्जदार होने न होने की घोषणा।

[ग] निज स्वामित्व की समस्त चल एवं अचल सम्पत्ति से संबंधित घोषणा।

[घ] एक से अधिक पत्नी/पति न होने की घोषणा।

[ङ] निजी विवरण।

[च] राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र संबंधी दो नवीनतम प्रमाण-पत्र।

[छ] राजपत्रित अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित पासपोर्ट साईज में एक नवीनतम फोटोग्राफ।

[ज] इण्डियन आफिशियल सीक्रेट्स ऐक्ट, 1923 के प्राविधानों को पढ़े जाने से संबंधित घोषणा-पत्र।

[झ] हाई स्कूल का प्रमाण-पत्र।

[ञ] वैवाहिक स्थिति में दहेज न लेने विषयक घोषणा।

(4) प्रथम नियुक्ति के समय विभाग में योगदान करने हेतु किसी भी अभ्यर्थी को किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।

(5) यदि संबंधित अभ्यर्थी दूसरे विभाग में कार्यरत हैं और वहां से नियमानुसार कार्य मुक्त होकर/पूर्ववर्ती विभाग की सेवायें छोड़कर लोक निर्माण विभाग में योगदान देता है तो उसे अपनी पूर्ववर्ती विभाग से "नो ड्यूज" का प्रमाण-पत्र कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व प्रस्तुत करना होगा।

(6) संबंधित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता वही रहेगी, जो लोक सेवा आयोग के पत्र दिनांक 25 जून, 2021 द्वारा निर्धारित है और विभाग में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि भिन्न-भिन्न होने की दशा में भी ज्येष्ठता क्रमांक लोक सेवा आयोग की संस्तुति के आधार पर ही समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के अनुसार अवधारित की जायेगी।

(7) संबंधित अभ्यर्थी प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, उ0प्र0, लखनऊ को इस आशय का शपथ-पत्र देंगे कि चरित्र सत्यापन/स्वास्थ्य परीक्षण/स्वघोषणा-पत्र/अनिवार्य शैक्षिक योग्यता आदि के संबंध में कोई प्रतिकूल तथ्य पाये जाने एवं उनके संबंध में कोई विधि विरुद्ध प्रमाणित तथ्य संज्ञान में आने की दशा में उनकी सेवायें बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।

(8) यदि उम्मीदवार का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या उम्मीदवार द्वारा अपने स्वःसत्यापन या घोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है तो औपबन्धिक नियुक्ति-पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा तथा परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।

(9) संबंधित अभ्यर्थी नियुक्ति-पत्र प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर कार्यभार ग्रहण कर लें, यदि वे निर्धारित समयावधि के अन्दर युक्तियुक्त कारण के बिना योगदान नहीं करते हैं तो यह समझा जायेगा कि वे उपर्युक्त पद पर योगदान करने के इच्छुक नहीं हैं और तद्नुसार उनका अभ्यर्थन समाप्त करने की कार्यवाही करने पर विचार किया जायेगा।

(10) संबंधित नवनियुक्त सहायक अभियन्ता (वि0/यॉ0) की तैनाती के संबंध में पृथक् से आदेश निर्गत किये जायेंगे।

सं0 6049/23-4-2021-63 जनरल/21—लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा (सामान्य चयन/विशेष चयन) परीक्षा, 2019 के आधार पर लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 में सहायक अभियन्ता (वि0/यॉ0) के पद पर चयनित अभ्यर्थियों के सापेक्ष लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज के पत्र संख्या 87/01/ई-4/2019-20टी0सी0-I, दिनांक 26 अगस्त, 2021 द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत किये गये अभ्यर्थी श्री रवि प्रकाश वर्मा पुत्र श्री एस0 के0 वर्मा (अनुक्रमांक-104299) को लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 में सहायक अभियन्ता (वि0/यॉ0) के पद पर वेतन बैण्ड-3, रु0 15,600-39,100, ग्रेड पे-5,400 (सातवें वेतन आयोग की संस्तुति के क्रम में पुनरीक्षित लेवल-10) में कार्यालय प्रमुख अभियन्ता लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ में औपबंधिक रूप से नियुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं—

(1) उनकी सेवायें उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग सहायक अभियंता (विद्युत और यांत्रिक शाखा) सेवा नियमावली, 1993 अद्यतन संशोधित के प्राविधानों से शासित होंगी तथा ऐसे अन्य सेवा शर्तें भी उन पर लागू होगी, जो समय-समय पर शासन द्वारा निर्धारित की जाये।

(2) उ0प्र0 सरकारी सेवक परिवीक्षा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2016 जो उत्तर प्रदेश के समस्त सरकारी सेवकों की सेवा नियमावलियों पर अध्यारोही प्रभाव से लागू हैं, के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत सहायक अभियन्ता (वि0/यॉ0) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा अवधि पर रहेंगे।

(3) यदि सम्बन्धित अभ्यर्थी लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश में सहायक अभियन्ता (वि0/यॉ0) के पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक हों तो नियुक्ति-पत्र की प्राप्ति के एक माह की अवधि के अन्दर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ में निम्नलिखित अभिलेखों एवं सूचनाओं के साथ उपस्थित हों—

[क] केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अन्तर्गत अब तक की गयी सेवाओं के संबंध में घोषणा।

[ख] अपने कर्जदार होने न होने की घोषणा।

[ग] निज स्वामित्व की समस्त चल एवं अचल सम्पत्ति से संबंधित घोषणा।

[घ] एक से अधिक पत्नी/पति न होने की घोषणा।

[ङ] निजी विवरण।

[च] राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र संबंधी दो नवीनतम प्रमाण-पत्र।

[छ] राजपत्रित अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित पासपोर्ट साईज में एक नवीनतम फोटोग्राफ।

[ज] इण्डियन आफिशियल सीक्रेट्स ऐक्ट, 1923 के प्राविधानों को पढ़े जाने से संबंधित घोषणा-पत्र।

[झ] हाई स्कूल का प्रमाण-पत्र।

[ञ] वैवाहिक स्थिति में दहेज न लेने विषयक घोषणा।

(4) प्रथम नियुक्ति के समय विभाग में योगदान करने हेतु किसी भी अभ्यर्थी को किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।

(5) यदि संबंधित अभ्यर्थी दूसरे विभाग में कार्यरत हैं और वहां से नियमानुसार कार्य मुक्त होकर/पूर्ववर्ती विभाग की सेवायें छोड़कर लोक निर्माण विभाग में योगदान देता है तो उसे अपनी पूर्ववर्ती विभाग से "नो ड्यूज" का प्रमाण-पत्र कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व प्रस्तुत करना होगा।

(6) संबंधित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता वही रहेगी, जो लोक सेवा आयोग के पत्र दिनांक 25 जून, 2021 द्वारा निर्धारित है और विभाग में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि भिन्न-भिन्न होने की दशा में भी ज्येष्ठता क्रमांक लोक सेवा आयेाग की संस्तुति के आधार पर ही समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के अनुसार अवधारित की जायेगी।

(7) संबंधित अभ्यर्थी प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, उ0प्र0, लखनऊ को इस आशय का शपथ-पत्र देंगे कि चरित्र सत्यापन/स्वास्थ्य परीक्षण/स्वघोषणा-पत्र/अनिवार्य शैक्षिक योग्यता आदि के संबंध में कोई प्रतिकूल तथ्य पाये जाने एवं उनके संबंध में कोई विधि विरुद्ध प्रमाणित तथ्य संज्ञान में आने की दशा में उनकी सेवायें बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।

(8) यदि उम्मीदवार का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या उम्मीदवार द्वारा अपने स्वःसत्यापन या घोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है तो औपबन्धिक नियुक्ति-पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा तथा परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।

(9) संबंधित अभ्यर्थी नियुक्ति-पत्र प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर कार्यभार ग्रहण कर लें, यदि वे निर्धारित समयावधि के अन्दर युक्तियुक्त कारण के बिना योगदान नहीं करते हैं तो यह समझा जायेगा कि वे उपर्युक्त पद पर योगदान करने के इच्छुक नहीं हैं और तद्नुसार उनका अभ्यर्थन समाप्त करने की कार्यवाही करने पर विचार किया जायेगा।

(10) संबंधित नवनियुक्त सहायक अभियन्ता (वि0/यॉ0) की तैनाती के संबंध में पृथक् से आदेश निर्गत किये जायेंगे।

सं0 6050/23-4-2021-63 जनरल/21—लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा (सामान्य चयन/विशेष चयन) परीक्षा, 2019 के आधार पर लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 में सहायक अभियन्ता (वि0/यॉ0) के पद पर चयनित अभ्यर्थियों के सापेक्ष लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज के पत्र संख्या 87/01/ई-4/2019-20टी0सी0-I, दिनांक 26 अगस्त, 2021 द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत किये गये अभ्यर्थी सुश्री प्रतिक्षा

खोवाराम भेलावे पुत्री श्री खोवाराम राजाराम भेलावे (अनुक्रमांक-127657) को लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 में सहायक अभियन्ता (वि0/यॉ0) के पद पर वेतन बैण्ड-3, रु0 15,600-39,100, ग्रेड पे-5,400 (सातवें वेतन आयोग की संस्तुति के क्रम में पुनरीक्षित लेवल-10) में कार्यालय प्रमुख अभियन्ता लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ में औपबंधिक रूप से नियुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

(1) उनकी सेवायें उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग सहायक अभियंता (विद्युत और यांत्रिक शाखा) सेवा नियमावली, 1993 अद्यतन संशोधित के प्राविधानों से शासित होंगी तथा ऐसे अन्य सेवा शर्तें भी उन पर लागू होगी, जो समय-समय पर शासन द्वारा निर्धारित की जाये।

(2) उ0प्र0 सरकारी सेवक परिवीक्षा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2016 जो उत्तर प्रदेश के समस्त सरकारी सेवकों की सेवा नियमावलियों पर अध्यारोही प्रभाव से लागू हैं, के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत सहायक अभियन्ता (वि0/यॉ0) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा अवधि पर रहेंगे।

(3) यदि सम्बन्धित अभ्यर्थी लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश में सहायक अभियन्ता (वि0/यॉ0) के पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक हों तो नियुक्ति-पत्र की प्राप्ति के एक माह की अवधि के अन्दर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ में निम्नलिखित अभिलेखों एवं सूचनाओं के साथ उपस्थित हों–

[क] केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अन्तर्गत अब तक की गयी सेवाओं के संबंध में घोषणा।

[ख] अपने कर्जदार होने न होने की घोषणा।

[ग] निज स्वामित्व की समस्त चल एवं अचल सम्पत्ति से संबंधित घोषणा।

[घ] एक से अधिक पत्नी/पति न होने की घोषणा।

[ङ] निजी विवरण।

[च] राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र संबंधी दो नवीनतम प्रमाण-पत्र।

[छ] राजपत्रित अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित पासपोर्ट साईज में एक नवीनतम फोटोग्राफ।

[ज] इण्डियन आफिशियल सीक्रेट्स ऐक्ट, 1923 के प्राविधानों को पढ़े जाने से संबंधित घोषणा-पत्र।

[झ] हाई स्कूल का प्रमाण-पत्र।

[ञ] वैवाहिक स्थिति में दहेज न लेने विषयक घोषणा।

(4) प्रथम नियुक्ति के समय विभाग में योगदान करने हेतु किसी भी अभ्यर्थी को किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।

(5) यदि संबंधित अभ्यर्थी दूसरे विभाग में कार्यरत हैं और वहां से नियमानुसार कार्य मुक्त होकर/पूर्ववर्ती विभाग की सेवायें छोड़कर लोक निर्माण विभाग में योगदान देता है तो उसे अपनी पूर्ववर्ती विभाग से "नो ड्यूज" का प्रमाण-पत्र कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व प्रस्तुत करना होगा।

(6) संबंधित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता वही रहेगी, जो लोक सेवा आयोग के पत्र दिनांक 25 जून, 2021 द्वारा निर्धारित है और विभाग में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि भिन्न-भिन्न होने की दशा में भी ज्येष्ठता क्रमांक लोक सेवा आयेाग की संस्तुति के आधार पर ही समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के अनुसार अवधारित की जायेगी।

(7) संबंधित अभ्यर्थी प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, उ0प्र0, लखनऊ को इस आशय का शपथ-पत्र देंगे कि चरित्र सत्यापन/स्वास्थ्य परीक्षण/स्वघोषणा-पत्र/अनिवार्य शैक्षिक योग्यता आदि के संबंध में कोई प्रतिकूल तथ्य पाये जाने एवं उनके संबंध में कोई विधि विरुद्ध प्रमाणित तथ्य संज्ञान में आने की दशा में उनकी सेवायें बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।

(8) यदि उम्मीदवार का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या उम्मीदवार द्वारा अपने स्वःसत्यापन या घोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है तो औपबन्धिक नियुक्ति-पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा तथा परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।

(9) संबंधित अभ्यर्थी नियुक्ति-पत्र प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर कार्यभार ग्रहण कर लें, यदि वे निर्धारित समयावधि के अन्दर युक्तियुक्त कारण के बिना योगदान नहीं करते हैं तो यह समझा जायेगा कि वे उपर्युक्त पद पर योगदान करने के इच्छुक नहीं हैं और तद्नुसार उनका अभ्यर्थन समाप्त करने की कार्यवाही करने पर विचार किया जायेगा।

(10) संबंधित नवनियुक्त सहायक अभियन्ता (वि0/यॉ0) की तैनाती के संबंध में पृथक् से आदेश निर्गत किये जायेंगे।

सं0 6051/23-4-2021-63 जनरल/21—लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा (सामान्य चयन/विशेष चयन) परीक्षा, 2019 के आधार पर लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 में सहायक अभियन्ता (वि0/यॉ0) के पद पर चयनित अभ्यर्थियों के सापेक्ष लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज के पत्र संख्या 87/01/ई-4/2019-20टी0सी0-I, दिनांक 26 अगस्त, 2021 द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत किये गये अभ्यर्थी श्री योगेश कुमार पुत्र श्री रोहताश कुमार (अनुक्रमांक-128265) को लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 में सहायक अभियन्ता (वि0/यॉ0) के पद पर वेतन बैण्ड-3, रु0 15,600-39,100, ग्रेड पे-5,400 (सातवें वेतन आयोग की संस्तुति के क्रम में पुनरीक्षित लेवल-10) में कार्यालय प्रमुख अभियन्ता लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ में औपबंधिक रूप से नियुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं—

(1) उनकी सेवायें उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग सहायक अभियंता (विद्युत और यांत्रिक शाखा) सेवा नियमावली, 1993 अद्यतन संशोधित के प्राविधानों से शासित होंगी तथा ऐसे अन्य सेवा शर्तें भी उन पर लागू होगी, जो समय-समय पर शासन द्वारा निर्धारित की जाये।

(2) उ0प्र0 सरकारी सेवक परिवीक्षा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2016 जो उत्तर प्रदेश के समस्त सरकारी सेवकों की सेवा नियमावलियों पर अध्यारोही प्रभाव से लागू हैं, के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत सहायक अभियन्ता (वि0/यॉ0) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा अवधि पर रहेंगे।

(3) यदि सम्बन्धित अभ्यर्थी लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश में सहायक अभियन्ता (वि0/यॉ0) के पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक हों तो नियुक्ति-पत्र की प्राप्ति के एक माह की अवधि के अन्दर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ में निम्नलिखित अभिलेखों एवं सूचनाओं के साथ उपस्थित हों—

[क] केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अन्तर्गत अब तक की गयी सेवाओं के संबंध में घोषणा।

[ख] अपने कर्जदार होने न होने की घोषणा।

[ग] निज स्वामित्व की समस्त चल एवं अचल सम्पत्ति से संबंधित घोषणा।

[घ] एक से अधिक पत्नी/पति न होने की घोषणा।

[ङ] निजी विवरण।

[च] राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र संबंधी दो नवीनतम प्रमाण-पत्र।

[छ] राजपत्रित अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित पासपोर्ट साईज में एक नवीनतम फोटोग्राफ।

[ज] इण्डियन आफिशियल सीक्रेट्स ऐक्ट, 1923 के प्राविधानों को पढ़े जाने से संबंधित घोषणा-पत्र।

[झ] हाई स्कूल का प्रमाण-पत्र।

[ञ] वैवाहिक स्थिति में दहेज न लेने विषयक घोषणा।

(4) प्रथम नियुक्ति के समय विभाग में योगदान करने हेतु किसी भी अभ्यर्थी को किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।

(5) यदि संबंधित अभ्यर्थी दूसरे विभाग में कार्यरत हैं और वहां से नियमानुसार कार्यमुक्त होकर/पूर्ववर्ती विभाग की सेवायें छोड़कर लोक निर्माण विभाग में योगदान देता है तो उसे अपनी पूर्ववर्ती विभाग से "नो ड्यूज" का प्रमाण-पत्र कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व प्रस्तुत करना होगा।

(6) संबंधित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता वही रहेगी, जो लोक सेवा आयोग के पत्र दिनांक 25 जून, 2021 द्वारा निर्धारित है और विभाग में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि भिन्न-भिन्न होने की दशा में भी ज्येष्ठता क्रमांक लोक सेवा आयोग की संस्तुति के आधार पर ही समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के अनुसार अवधारित की जायेगी।

(7) संबंधित अभ्यर्थी प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, उ0प्र0, लखनऊ को इस आशय का शपथ-पत्र देंगे कि चरित्र सत्यापन/स्वास्थ्य परीक्षण/स्वघोषणा-पत्र/अनिवार्य शैक्षिक योग्यता आदि के संबंध में कोई प्रतिकूल तथ्य पाये जाने एवं उनके संबंध में कोई विधि विरुद्ध प्रमाणित तथ्य संज्ञान में आने की दशा में उनकी सेवायें बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।

(8) यदि उम्मीदवार का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या उम्मीदवार द्वारा अपने स्वःसत्यापन या घोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है तो औपबन्धिक नियुक्ति-पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा तथा परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।

(9) संबंधित अभ्यर्थी नियुक्ति-पत्र प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर कार्यभार ग्रहण कर लें, यदि वे निर्धारित समयावधि के अन्दर युक्तियुक्त कारण के बिना योगदान नहीं करते हैं तो यह समझा जायेगा कि वे उपर्युक्त पद पर योगदान करने के इच्छुक नहीं हैं और तद्नुसार उनका अभ्यर्थन समाप्त करने की कार्यवाही करने पर विचार किया जायेगा।

(10) संबंधित नवनियुक्त सहायक अभियन्ता (वि0/यॉ0) की तैनाती के संबंध में पृथक् से आदेश निर्गत किये जायेंगे।

सं0 6052/23-4-2021-63 जनरल/21—लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा (सामान्य चयन/विशेष चयन) परीक्षा, 2019 के आधार पर लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 में सहायक अभियन्ता (वि0/यॉ0) के पद पर चयनित अभ्यर्थियों के सापेक्ष लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज के पत्र संख्या 132/01/ई-4/2019-20टी0सी0-I, दिनांक 28 सितम्बर, 2021 द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत किये गये अभ्यर्थी श्री अंकित कुमार पुत्र स्व0 राजीव कुमार (अनुक्रमांक-090268) को लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 में सहायक अभियन्ता (वि0/यॉ0) के पद पर वेतन बैण्ड-3, रु0 15,600-39,100, ग्रेड पे-5,400 (सातवें वेतन आयोग की संस्तुति के क्रम में पुनरीक्षित

लेवल-10) में कार्यालय प्रमुख अभियन्ता लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ में औपबंधिक रूप से नियुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

(1) उनकी सेवायें उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग सहायक अभियंता (विद्युत और यांत्रिक शाखा) सेवा नियमावली, 1993 अद्यतन संशोधित के प्राविधानों से शासित होंगी तथा ऐसे अन्य सेवा शर्तें भी उन पर लागू होगी, जो समय-समय पर शासन द्वारा निर्धारित की जाये।

(2) उ0प्र0 सरकारी सेवक परिवीक्षा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2016 जो उत्तर प्रदेश के समस्त सरकारी सेवकों की सेवा नियमावलियों पर अध्यारोही प्रभाव से लागू हैं, के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत सहायक अभियन्ता (वि0/यॉ0) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा अवधि पर रहेंगे।

(3) यदि सम्बन्धित अभ्यर्थी लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश में सहायक अभियन्ता (वि0/यॉ0) के पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक हों तो नियुक्ति-पत्र की प्राप्ति के एक माह की अवधि के अन्दर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ में निम्नलिखित अभिलेखों एवं सूचनाओं के साथ उपस्थित हों–

[क] केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अन्तर्गत अब तक की गयी सेवाओं के संबंध में घोषणा।

[ख] अपने कर्जदार होने न होने की घोषणा।

[ग] निज स्वामित्व की समस्त चल एवं अचल सम्पत्ति से संबंधित घोषणा।

[घ] एक से अधिक पत्नी/पति न होने की घोषणा।

[ङ] निजी विवरण।

[च] राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र संबंधी दो नवीनतम प्रमाण-पत्र।

[छ] राजपत्रित अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित पासपोर्ट साईज में एक नवीनतम फोटोग्राफ।

[ज] इण्डियन आफिशियल सीक्रेट्स ऐक्ट, 1923 के प्राविधानों को पढ़े जाने से संबंधित घोषणा-पत्र।

[झ] हाई स्कूल का प्रमाण-पत्र।

[ञ] वैवाहिक स्थिति में दहेज न लेने विषयक घोषणा।

(4) प्रथम नियुक्ति के समय विभाग में योगदान करने हेतु किसी भी अभ्यर्थी को किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।

(5) यदि संबंधित अभ्यर्थी दूसरे विभाग में कार्यरत हैं और वहां से नियमानुसार कार्य मुक्त होकर/पूर्ववर्ती विभाग की सेवायें छोड़कर लोक निर्माण विभाग में योगदान देता है तो उसे अपनी पूर्ववर्ती विभाग से "नो ड्यूज" का प्रमाण-पत्र कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व प्रस्तुत करना होगा।

(6) संबंधित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता वही रहेगी, जो लोक सेवा आयोग के पत्र दिनांक 25 जून, 2021 द्वारा निर्धारित है और विभाग में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि भिन्न-भिन्न होने की दशा में भी ज्येष्ठता क्रमांक लोक सेवा आयोग की संस्तुति के आधार पर ही समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के अनुसार अवधारित की जायेगी।

(7) संबंधित अभ्यर्थी प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, उ0प्र0, लखनऊ को इस आशय का शपथ-पत्र देंगे कि चरित्र सत्यापन/स्वास्थ्य परीक्षण/स्वघोषणा-पत्र/अनिवार्य शैक्षिक योग्यता

आदि के संबंध में कोई प्रतिकूल तथ्य पाये जाने एवं उनके संबंध में कोई विधि विरुद्ध प्रमाणित तथ्य संज्ञान में आने की दशा में उनकी सेवायें बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।

(8) यदि उम्मीदवार का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या उम्मीदवार द्वारा अपने स्वःसत्यापन या घोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है तो औपबन्धिक नियुक्ति-पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा तथा परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।

(9) संबंधित अभ्यर्थी नियुक्ति-पत्र प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर कार्यभार ग्रहण कर लें, यदि वे निर्धारित समयावधि के अन्दर युक्तियुक्त कारण के बिना योगदान नहीं करते हैं तो यह समझा जायेगा कि वे उपर्युक्त पद पर योगदान करने के इच्छुक नहीं हैं और तद्नुसार उनका अभ्यर्थन समाप्त करने की कार्यवाही करने पर विचार किया जायेगा।

(10) संबंधित नवनियुक्त सहायक अभियन्ता (वि0/यॉ0) की तैनाती के संबंध में पृथक् से आदेश निर्गत किये जायेंगे।

सं0 6053/23-4-2021-63 जनरल/21—लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा (सामान्य चयन/विशेष चयन) परीक्षा, 2019 के आधार पर लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 में सहायक अभियन्ता (वि0/यॉ0) के पद पर चयनित अभ्यर्थियों के सापेक्ष लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज के पत्र संख्या 132/01/ई-4/2019-20टी0सी0-I, दिनांक 28 सितम्बर, 2021 द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत किये गये अभ्यर्थी श्री मोहम्मद जुहैब पुत्र श्री मोहम्मद इरशाद (अनुक्रमांक-054575) को लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 में सहायक अभियन्ता (वि0/यॉ0) के पद पर वेतन बैण्ड-3, रु0 15,600-39,100, ग्रेड पे-5,400 (सातवें वेतन आयोग की संस्तुति के क्रम में पुनरीक्षित लेवल-10) में कार्यालय प्रमुख अभियन्ता लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ में औपबंधिक रूप से नियुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं—

(1) उनकी सेवायें उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग सहायक अभियंता (विद्युत और यांत्रिक शाखा) सेवा नियमावली, 1993 अद्यतन संशोधित के प्राविधानों से शासित होंगी तथा ऐसे अन्य सेवा शर्तें भी उन पर लागू होगी, जो समय-समय पर शासन द्वारा निर्धारित की जाये।

(2) उ0प्र0 सरकारी सेवक परिवीक्षा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2016 जो उत्तर प्रदेश के समस्त सरकारी सेवकों की सेवा नियमावलियों पर अध्यारोही प्रभाव से लागू हैं, के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत सहायक अभियन्ता (वि0/यॉ0) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा अवधि पर रहेंगे।

(3) यदि सम्बन्धित अभ्यर्थी लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश में सहायक अभियन्ता (वि0/यॉ0) के पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक हों तो नियुक्ति-पत्र की प्राप्ति के एक माह की अवधि के अन्दर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ में निम्नलिखित अभिलेखों एवं सूचनाओं के साथ उपस्थित हों—

[क] केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अन्तर्गत अब तक की गयी सेवाओं के संबंध में घोषणा।

[ख] अपने कर्जदार होने न होने की घोषणा।

[ग] निज स्वामित्व की समस्त चल एवं अचल सम्पत्ति से संबंधित घोषणा।

[घ] एक से अधिक पत्नी/पति न होने की घोषणा।

[ङ] निजी विवरण।

[च] राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र संबंधी दो नवीनतम प्रमाण-पत्र।

[छ] राजपत्रित अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित पासपोर्ट साईज में एक नवीनतम फोटोग्राफ।

[ज] इण्डियन आफिशियल सीक्रेट्स ऐक्ट, 1923 के प्राविधानों को पढ़े जाने से संबंधित घोषणा-पत्र।

[झ] हाई स्कूल का प्रमाण-पत्र।

[ञ] वैवाहिक स्थिति में दहेज न लेने विषयक घोषणा।

(4) प्रथम नियुक्ति के समय विभाग में योगदान करने हेतु किसी भी अभ्यर्थी को किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।

(5) यदि संबंधित अभ्यर्थी दूसरे विभाग में कार्यरत हैं और वहां से नियमानुसार कार्य मुक्त होकर/पूर्ववर्ती विभाग की सेवायें छोड़कर लोक निर्माण विभाग में योगदान देता है तो उसे अपनी पूर्ववर्ती विभाग से "नो ड्यूज" का प्रमाण-पत्र कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व प्रस्तुत करना होगा।

(6) संबंधित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता वही रहेगी, जो लोक सेवा आयोग के पत्र दिनांक 25 जून, 2021 द्वारा निर्धारित है और विभाग में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि भिन्न-भिन्न होने की दशा में भी ज्येष्ठता क्रमांक लोक सेवा आयोग की संस्तुति के आधार पर ही समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के अनुसार अवधारित की जायेगी।

(7) संबंधित अभ्यर्थी प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, उ0प्र0, लखनऊ को इस आशय का शपथ-पत्र देंगे कि चरित्र सत्यापन/स्वास्थ्य परीक्षण/स्वघोषणा-पत्र/अनिवार्य शैक्षिक योग्यता आदि के संबंध में कोई प्रतिकूल तथ्य पाये जाने एवं उनके संबंध में कोई विधि विरुद्ध प्रमाणित तथ्य संज्ञान में आने की दशा में उनकी सेवायें बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।

(8) यदि उम्मीदवार का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या उम्मीदवार द्वारा अपने स्वःसत्यापन या घोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है तो औपबन्धिक नियुक्ति-पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा तथा परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।

(9) संबंधित अभ्यर्थी नियुक्ति-पत्र प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर कार्यभार ग्रहण कर लें, यदि वे निर्धारित समयावधि के अन्दर युक्तियुक्त कारण के बिना योगदान नहीं करते हैं तो यह समझा जायेगा कि वे उपर्युक्त पद पर योगदान करने के इच्छुक नहीं हैं और तद्नुसार उनका अभ्यर्थन समाप्त करने की कार्यवाही करने पर विचार किया जायेगा।

(10) संबंधित नवनियुक्त सहायक अभियन्ता (वि0/यॉ0) की तैनाती के संबंध में पृथक् से आदेश निर्गत किये जायेंगे।

सं0 6054/23-4-2021-63 जनरल/21—लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा (सामान्य चयन/विशेष चयन) परीक्षा, 2019 के आधार पर लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 में सहायक अभियन्ता (वि0/यॉ0) के पद पर चयनित अभ्यर्थियों के सापेक्ष लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज के पत्र संख्या 132/01/ई-4/2019-20टी0सी0-I, दिनांक 28 सितम्बर, 2021 द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत किये गये अभ्यर्थी श्री अनिरूद्ध पुत्र श्री राम भरत मौर्य (अनुक्रमांक-069328) को लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 में सहायक अभियन्ता (वि0/यॉ0) के पद पर वेतन बैण्ड-3, रु0 15,600-39,100, ग्रेड पे-5,400 (सातवें वेतन आयोग की संस्तुति के क्रम में पुनरीक्षित लेवल-10) में कार्यालय प्रमुख अभियन्ता लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ में औपबंधिक रूप से नियुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं—

(1) उनकी सेवायें उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग सहायक अभियंता (विद्युत और यांत्रिक शाखा) सेवा नियमावली, 1993 अद्यतन संशोधित के प्राविधानों से शासित होंगी तथा ऐसे अन्य सेवा शर्तें भी उन पर लागू होगी, जो समय-समय पर शासन द्वारा निर्धारित की जाये।

(2) उ0प्र0 सरकारी सेवक परिवीक्षा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2016 जो उत्तर प्रदेश के समस्त सरकारी सेवकों की सेवा नियमावलियों पर अध्यारोही प्रभाव से लागू हैं, के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत सहायक अभियन्ता (वि0/यॉ0) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा अवधि पर रहेंगे।

(3) यदि सम्बन्धित अभ्यर्थी लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश में सहायक अभियन्ता (वि0/यॉ0) के पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक हों तो नियुक्ति-पत्र की प्राप्ति के एक माह की अवधि के अन्दर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ में निम्नलिखित अभिलेखों एवं सूचनाओं के साथ उपस्थित हों–

[क] केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अन्तर्गत अब तक की गयी सेवाओं के संबंध में घोषणा।

[ख] अपने कर्जदार होने न होने की घोषणा।

[ग] निज स्वामित्व की समस्त चल एवं अचल सम्पत्ति से संबंधित घोषणा।

[घ] एक से अधिक पत्नी/पति न होने की घोषणा।

[ङ] निजी विवरण।

[च] राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र संबंधी दो नवीनतम प्रमाण-पत्र।

[छ] राजपत्रित अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित पासपोर्ट साईज में एक नवीनतम फोटोग्राफ।

[ज] इण्डियन आफिशियल सीक्रेट्स ऐक्ट, 1923 के प्राविधानों को पढ़े जाने से संबंधित घोषणा-पत्र।

[झ] हाई स्कूल का प्रमाण-पत्र।

[ञ] वैवाहिक स्थिति में दहेज न लेने विषयक घोषणा।

(4) प्रथम नियुक्ति के समय विभाग में योगदान करने हेतु किसी भी अभ्यर्थी को किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।

(5) यदि संबंधित अभ्यर्थी दूसरे विभाग में कार्यरत हैं और वहां से नियमानुसार कार्य मुक्त होकर/पूर्ववर्ती विभाग की सेवायें छोड़कर लोक निर्माण विभाग में योगदान देता है तो उसे अपनी पूर्ववर्ती विभाग से "नो ड्यूज" का प्रमाण-पत्र कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व प्रस्तुत करना होगा।

(6) संबंधित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता वही रहेगी, जो लोक सेवा आयोग के पत्र दिनांक 25 जून, 2021 द्वारा निर्धारित है और विभाग में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि भिन्न-भिन्न होने की दशा में भी ज्येष्ठता क्रमांक लोक सेवा आयोग की संस्तुति के आधार पर ही समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के अनुसार अवधारित की जायेगी।

(7) संबंधित अभ्यर्थी प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, उ0प्र0, लखनऊ को इस आशय का शपथ-पत्र देंगे कि चरित्र सत्यापन/स्वास्थ्य परीक्षण/स्वघोषणा-पत्र/अनिवार्य शैक्षिक योग्यता आदि के संबंध में कोई प्रतिकूल तथ्य पाये जाने एवं उनके संबंध में कोई विधि विरुद्ध प्रमाणित तथ्य संज्ञान में आने की दशा में उनकी सेवायें बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।

(8) यदि उम्मीदवार का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या उम्मीदवार द्वारा अपने स्वःसत्यापन या घोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है तो औपबन्धिक नियुक्ति-पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा तथा परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।

(9) संबंधित अभ्यर्थी नियुक्ति-पत्र प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर कार्यभार ग्रहण कर लें, यदि वे निर्धारित समयावधि के अन्दर युक्तियुक्त कारण के बिना योगदान नहीं करते हैं तो यह समझा जायेगा कि वे उपर्युक्त पद पर योगदान करने के इच्छुक नहीं हैं और तद्नुसार उनका अभ्यर्थन समाप्त करने की कार्यवाही करने पर विचार किया जायेगा।

(10) संबंधित नवनियुक्त सहायक अभियन्ता (वि0/यॉ0) की तैनाती के संबंध में पृथक् से आदेश निर्गत किये जायेंगे।

सं0 6055/23-4-2021-63 जनरल/21—लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा (सामान्य चयन/विशेष चयन) परीक्षा, 2019 के आधार पर लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 में सहायक अभियन्ता (वि0/यॉ0) के पद पर चयनित अभ्यर्थियों के सापेक्ष लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज के पत्र संख्या 87/01/ई-4/2019-20टी0सी0-I, दिनांक 26 अगस्त, 2021 द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत किये गये अभ्यर्थी सुश्री राखी परिहार पुत्री श्री जगदीश सिंह परिहार (अनुक्रमांक-045759) को लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 में सहायक अभियन्ता (वि0/यॉ0) के पद पर वेतन बैण्ड-3, रु0 15,600-39,100, ग्रेड पे-5,400 (सातवें वेतन आयोग की संस्तुति के क्रम में पुनरीक्षित लेवल-10) में कार्यालय प्रमुख अभियन्ता लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ में औपबंधिक रूप से नियुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं—

(1) उनकी सेवायें उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग सहायक अभियंता (विद्युत और यांत्रिक शाखा) सेवा नियमावली, 1993 अद्यतन संशोधित के प्राविधानों से शासित होंगी तथा ऐसे अन्य सेवा शर्तें भी उन पर लागू होगी, जो समय-समय पर शासन द्वारा निर्धारित की जाये।

(2) उ0प्र0 सरकारी सेवक परिवीक्षा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2016 जो उत्तर प्रदेश के समस्त सरकारी सेवकों की सेवा नियमावलियों पर अध्यारोही प्रभाव से लागू हैं, के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत सहायक अभियन्ता (वि0/यॉ0) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा अवधि पर रहेंगे।

(3) यदि सम्बन्धित अभ्यर्थी लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश में सहायक अभियन्ता (वि0/यॉ0) के पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक हों तो नियुक्ति-पत्र की प्राप्ति के एक माह की अवधि के अन्दर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ में निम्नलिखित अभिलेखों एवं सूचनाओं के साथ उपस्थित हों—

[क] केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अन्तर्गत अब तक की गयी सेवाओं के संबंध में घोषणा।

[ख] अपने कर्जदार होने न होने की घोषणा।

[ग] निज स्वामित्व की समस्त चल एवं अचल सम्पत्ति से संबंधित घोषणा।

[घ] एक से अधिक पत्नी/पति न होने की घोषणा।

[ङ] निजी विवरण।

[च] राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र संबंधी दो नवीनतम प्रमाण-पत्र।

[छ] राजपत्रित अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित पासपोर्ट साईज में एक नवीनतम फोटोग्राफ।

[ज] इण्डियन आफिशियल सीक्रेट्स ऐक्ट, 1923 के प्राविधानों को पढ़े जाने से संबंधित घोषणा-पत्र।

[झ] हाई स्कूल का प्रमाण-पत्र।

[ञ] वैवाहिक स्थिति में दहेज न लेने विषयक घोषणा।

(4) प्रथम नियुक्ति के समय विभाग में योगदान करने हेतु किसी भी अभ्यर्थी को किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।

(5) यदि संबंधित अभ्यर्थी दूसरे विभाग में कार्यरत हैं और वहां से नियमानुसार कार्य मुक्त होकर/पूर्ववर्ती विभाग की सेवायें छोड़कर लोक निर्माण विभाग में योगदान देता है तो उसे अपनी पूर्ववर्ती विभाग से "नो ड्यूज" का प्रमाण-पत्र कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व प्रस्तुत करना होगा।

(6) संबंधित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता वही रहेगी, जो लोक सेवा आयोग के पत्र दिनांक 25 जून, 2021 द्वारा निर्धारित है और विभाग में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि भिन्न-भिन्न होने की दशा में भी ज्येष्ठता क्रमांक लोक सेवा आयेाग की संस्तुति के आधार पर ही समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के अनुसार अवधारित की जायेगी।

(7) संबंधित अभ्यर्थी प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, उ0प्र0, लखनऊ को इस आशय का शपथ-पत्र देंगे कि चरित्र सत्यापन/स्वास्थ्य परीक्षण/स्वघोषणा-पत्र/अनिवार्य शैक्षिक योग्यता आदि के संबंध में कोई प्रतिकूल तथ्य पाये जाने एवं उनके संबंध में कोई विधि विरुद्ध प्रमाणित तथ्य संज्ञान में आने की दशा में उनकी सेवायें बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।

(8) यदि उम्मीदवार का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या उम्मीदवार द्वारा अपने स्वःसत्यापन या घोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है तो औपबन्धिक नियुक्ति-पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा तथा परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।

(9) संबंधित अभ्यर्थी नियुक्ति-पत्र प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर कार्यभार ग्रहण कर लें, यदि वे निर्धारित समयावधि के अन्दर युक्तियुक्त कारण के बिना योगदान नहीं करते हैं तो यह समझा जायेगा कि वे उपर्युक्त पद पर योगदान करने के इच्छुक नहीं हैं और तद्नुसार उनका अभ्यर्थन समाप्त करने की कार्यवाही करने पर विचार किया जायेगा।

(10) संबंधित नवनियुक्त सहायक अभियन्ता (वि0/यॉ0) की तैनाती के संबंध में पृथक् से आदेश निर्गत किये जायेंगे।

सं0 6056/23-4-2021-63 जनरल/21—लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा (सामान्य चयन/विशेष चयन) परीक्षा, 2019 के आधार पर लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 में सहायक अभियन्ता (वि0/यॉ0) के पद पर चयनित अभ्यर्थियों के सापेक्ष लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज के पत्र संख्या 87/01/ई-4/2019-20टी0सी0-I, दिनांक 26 अगस्त, 2021 द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत किये गये अभ्यर्थी श्री विवेक कुमार आनन्द पुत्र श्री अशोक कुमार (अनुक्रमांक-090565) को लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 में सहायक अभियन्ता (वि0/यॉ0) के पद पर वेतन बैण्ड-3, रु0 15,600-39,100, ग्रेड पे-5,400 (सातवें वेतन आयोग की संस्तुति के क्रम में पुनरीक्षित लेवल-10) में कार्यालय प्रमुख अभियन्ता लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ में औपबंधिक रूप से नियुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं—

(1) उनकी सेवायें उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग सहायक अभियंता (विद्युत और यांत्रिक शाखा) सेवा नियमावली, 1993 अद्यतन संशोधित के प्राविधानों से शासित होंगी तथा ऐसे अन्य सेवा शर्तें भी उन पर लागू होगी, जो समय-समय पर शासन द्वारा निर्धारित की जाये।

(2) उ0प्र0 सरकारी सेवक परिवीक्षा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2016 जो उत्तर प्रदेश के समस्त सरकारी सेवकों की सेवा नियमावलियों पर अध्यारोही प्रभाव से लागू हैं, के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत सहायक अभियन्ता (वि0/यॉ0) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा अवधि पर रहेंगे।

(3) यदि सम्बन्धित अभ्यर्थी लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश में सहायक अभियन्ता (वि0/यॉ0) के पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक हों तो नियुक्ति-पत्र की प्राप्ति के एक माह की अवधि के अन्दर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ में निम्नलिखित अभिलेखों एवं सूचनाओं के साथ उपस्थित हों—

[क] केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अन्तर्गत अब तक की गयी सेवाओं के संबंध में घोषणा।

[ख] अपने कर्जदार होने न होने की घोषणा।

[ग] निज स्वामित्व की समस्त चल एवं अचल सम्पत्ति से संबंधित घोषणा।

[घ] एक से अधिक पत्नी/पति न होने की घोषणा।

[ङ] निजी विवरण।

[च] राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र संबंधी दो नवीनतम प्रमाण-पत्र।

[छ] राजपत्रित अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित पासपोर्ट साईज में एक नवीनतम फोटोग्राफ।

[ज] इण्डियन आफिशियल सीक्रेट्स ऐक्ट, 1923 के प्राविधानों को पढ़े जाने से संबंधित घोषणा-पत्र।

[झ] हाई स्कूल का प्रमाण-पत्र।

[ञ] वैवाहिक स्थिति में दहेज न लेने विषयक घोषणा।

(4) प्रथम नियुक्ति के समय विभाग में योगदान करने हेतु किसी भी अभ्यर्थी को किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।

(5) यदि संबंधित अभ्यर्थी दूसरे विभाग में कार्यरत हैं और वहां से नियमानुसार कार्य मुक्त होकर/पूर्ववर्ती विभाग की सेवायें छोड़कर लोक निर्माण विभाग में योगदान देता है तो उसे अपनी पूर्ववर्ती विभाग से "नो ड्यूज" का प्रमाण-पत्र कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व प्रस्तुत करना होगा।

(6) संबंधित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता वही रहेगी, जो लोक सेवा आयोग के पत्र दिनांक 25 जून, 2021 द्वारा निर्धारित है और विभाग में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि भिन्न-भिन्न होने की दशा में भी ज्येष्ठता क्रमांक लोक सेवा आयोग की संस्तुति के आधार पर ही समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के अनुसार अवधारित की जायेगी।

(7) संबंधित अभ्यर्थी प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, उ0प्र0, लखनऊ को इस आशय का शपथ-पत्र देंगे कि चरित्र सत्यापन/स्वास्थ्य परीक्षण/स्वघोषणा-पत्र/अनिवार्य शैक्षिक योग्यता आदि के संबंध में कोई प्रतिकूल तथ्य पाये जाने एवं उनके संबंध में कोई विधि विरुद्ध प्रमाणित तथ्य संज्ञान में आने की दशा में उनकी सेवायें बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।

(8) यदि उम्मीदवार का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या उम्मीदवार द्वारा अपने स्वःसत्यापन या घोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है तो औपबन्धिक नियुक्ति-पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा तथा परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।

(9) संबंधित अभ्यर्थी नियुक्ति-पत्र प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर कार्यभार ग्रहण कर लें, यदि वे निर्धारित समयावधि के अन्दर युक्तियुक्त कारण के बिना योगदान नहीं करते हैं तो यह समझा जायेगा कि वे उपर्युक्त पद पर योगदान करने के इच्छुक नहीं हैं और तद्नुसार उनका अभ्यर्थन समाप्त करने की कार्यवाही करने पर विचार किया जायेगा।

(10) संबंधित नवनियुक्त सहायक अभियन्ता (वि0/यॉ0) की तैनाती के संबंध में पृथक् से आदेश निर्गत किये जायेंगे।

आज्ञा से,
दुर्गा सिंह,
अनु सचिव।

पी0एस0यू0पी0—18 हिन्दी गजट—भाग 1—2022 ई0।
मुद्रक एवं प्रकाशक—निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

रजिस्टर्ड नं०–ए०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 30 जुलाई, 2022 ई० (श्रावण 8, 1944 शक संवत्)

भाग 1-क

नियम, कार्य विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया।

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

ACCOUNTS B-V SECTION

CORRIGENDUM

July 23, 2022

No. 3298/Accounts (B-V) Section–In the notification No. 19/Accounts (B-V) H.C./ALLD. dated 10-06-2022, published in the official Gazette, Uttar Pradesh Government, dated 09-07-2022, following corrections are being made :

(i) In Rule 3 of '' The Allahabad High Court Staff Car Drivers (Conditions of Service and Conduct) (Amendment) Rules, 2022'', in the amendment column, the word Section in Rule 6 (1) (d) be read as **Sections.**

(ii) In Rule 4 of ''The Allahabad High Court Staff Car Drivers (Conditions of Service and Conduct) (Amendment) Rules, 2022'', the sentence Insertaion of Rule 6-A.-Rule 6-A shall be inserted in Rules after Rule 6 as follows: be read as **Insertion of Rule 6-A.-Rule 6-A shall be inserted in the Rules after Rule 6 as follows:**

By order of the Court,
(Sd.) ILLIGIBLE,
Registrar General.

कार्यालय, जिलाधिकारी, सिद्धार्थनगर

24 जून, 2022 ई0

सं0 6066(i)/आठ-वि0भू0अ0अ0-सि0नगर/अधि0सू0/2022-23–भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन उत्तर प्रदेश सरकार/कलेक्टर (समुचित सरकार के उद्देश्य हेतु) राय है, कि उप मुख्य अभियन्ता, कन्सट्रक्शन/जनरल, नार्थ ईस्ट

रेलवे, गोरखपुर के माध्यम से सार्वजनिक प्रयोजन बहराइच खलीलाबाद बी0जी0 रेल लाईन परियोजना हेतु जनपद सिद्धार्थनगर, तहसील बॉसी, परगना बॉसी पूरब, ग्राम कटसरया कलॉ में रकबा 2.5213612 हे0 भूमि की आवश्यकता है।

2–राज्य सामाजिक समाघात निर्धारण एजेन्सी द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन किया गया है तथा समुचित सरकार (कलेक्टर, सिद्धार्थनगर) को अपनी अनुशंसा प्रस्तुत की गई है। जिसे कलेक्टर, सिद्धार्थनगर द्वारा दिनांक 30 मार्च, 2022 को अनुमोदित किया गया है।

3–सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश इस प्रकार है–

सेन्टर फॉर इण्डियन बाम्बू रिसोर्स एण्ड टेक्नालॉजी (सीबार्ट) वसुन्धरा, गाजियाबाद द्वारा भूमि अधिग्रहण से प्रभावित परिवारों की सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्थिति पर पड़ने वाले प्रभावों एवं उससे होने वाले दुष्प्रभावों का अभिज्ञान कर इन प्रभावों को कम से कम करने का सुझाव देने के आशय से सामाजिक समाघात अध्ययन/प्रबन्धन आख्या तैयार किया गया है। अध्ययन पद्धति में भूमि अधिग्रहण से प्रभावित परिवारों से साक्षात्कार के आधार पर सामाजिक आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्थिति ज्ञात करने का प्रयास किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रभावित ग्रामों के सम्बन्ध में विभिन्न स्तरों यथा ग्राम पंचायत तहसील स्तर से आकड़े प्राप्त किये गये हैं। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण से सम्बन्धित विभिन्न हितधारकों से भी विचार विमर्श कर वांछित जानकारी प्राप्त कर सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन पूर्ण किया गया है।

परियोजना से प्रभावित ग्राम में प्रभावित कृषकों द्वारा मुख्य समस्याओं कृषि भूमि के क्षेत्रफल में कमी आने के कारण आजीविका के श्रोत में ह्रास, कृषिगत मजदूरी में कमी, चारागाह/खलिहान में कमी, प्रदूषण में वृद्धि बताई गई, वहीं अधिकतर कृषकों द्वारा नई रेल लाईन के निर्माण से आवागमन में सुविधा माल ढुलाई में सुविधा तथा रेलवे स्टेशन के निर्माण से व्यापार एवं रोजगार के सृजन होने की बात कही गई है।

इस परियोजना के फलस्वरूप प्रभावित ग्रामों के कृषि योग्य क्षेत्रफल में कमी आना स्वाभाविक है किन्तु प्रभावित कृषकों को भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के नियमों के अनुसार प्रतिकर मिलने की स्थिति में प्राप्त धनराशि से अवशेष जोत का उन्नयन, रेल निर्माण से आवागमन, यातायात में सुगमता, कृषि उत्पाद हेतु विस्तृत बाजार तक पहुंच, कृषि उत्पादों को उचित मूल्य पर बेचने के चयन की सुविधा, वैकल्पिक रोजगार के साधनों में विकास, बेहतर आवास के निर्माण, परिवहन के साधनों का विकास होना सम्भावी है, आदि से किसान लाभान्वित होंगे जिससे कृषि जोत में आई कमी को पूर्ण किया जा सकता है। परियोजना ग्राम के सम्पूर्ण अथवा अधिकांश भाग को प्रभावित नहीं कर रही है। इस परियोजना से कोई मुख्य आबादी प्रभावित नहीं हो रही है। इस क्षेत्र में नई रेल लाइन के निर्माण से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से लोगों को विभिन्न प्रकार के रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। जैसे परिवहन, होटल, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन, सड़क, विद्युत आदि की सुविधायें प्राप्त होंगी। यह भी निश्चित रूप से संभावित है कि नई रेल लाइन परियोजना के संचालन के परिणाम स्वरूप क्षेत्र के लोगों के सामाजिक, आर्थिक क्षेत्र में वृद्धि होगी।

अतः इस परियोजना से संभावित लाभ सामाजिक खर्च एवं प्रतिकूल सामाजिक समाघातों की तुलना में कहीं अधिक है। परियोजना के लिये आवश्यक कुल भूमि के सापेक्ष प्रश्नगत अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि अत्यन्त कम है।

अस्तु बहुशाखीय विशेषज्ञ समूह द्वारा सर्व सम्मति से बहराइच, खलीलाबाद बी0जी0 नई लाईन परियोजना के निमित्त भूमि अर्जन पर सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं सामाजिक समाघात प्रबन्धन योजना से सहमत होते हुये आवश्यक भूमि का अर्जन किये जाने की संस्तुति की गई है।

4– भूमि अर्जन के कारण कोई परिवार विस्थापित नहीं हो रहा है।

5—अतः राज्यपाल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को सामान्य सूचना हेतु अधिसूचित करने के लिये सहर्ष सहमति देते हैं :

अनुसूची

क्र0 सं0	जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा संख्या	अर्जित किये जाने वाला क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6	7
						हेक्टेयर
1	सिद्धार्थनगर	बॉसी	बॉसी पूरब	कटसरया कला	203	0.0762334
2					204	0.1080321
3					205	0.071318
4					206	0.1334863
5					207	0.1729709
6					211	0.0946635
7					212	0.0987962
8					214	0.304741
9					215	0.0344345
10					228	0.1229274
11					229	0.021
12					230	0.011192
13					231	0.2009761
14					236	0.3421263
15					237	0.1762013
16					239	0.043
17					240	0.1372622
18					241	0.177
19					242	0.076
20					243	0.119
					कुल क्षेत्रफल	**2.5213612**

6—अधिनियम की धारा-12 के अन्तर्गत निर्दिष्ट एवं प्राविधानित भूमि अधिग्रहण के प्रयोजन हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने के लिये तथा भूमि का सर्वेक्षण, किसी भूमि के लिये समतलीकरण, खुदाई करने तथा कार्य के समुचित क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक क्रियायें करने के लिये राज्यपाल कलेक्टर प्राधिकृत करने हेतु निर्देश देते हैं।

7—अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति जिसका हित भूमि में निहित हो अधिसूचना के प्रकाशन के 60 दिन के अन्दर अपने क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के विरुद्ध लिखित रूप से कलेक्टर को आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

8–अधिनियम की धारा-11 (4) के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होने तक कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रारम्भिक अधिूसचना में निर्दिष्ट भूमि का संव्यवहार यथा विक्रय/क्रय या उस भूमि में कोई भार उत्पन्न नहीं कर सकता है।

टिप्पणी–उक्त भूमि का स्थलीय नक्शा कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

(ह0) अस्पष्ट,
कलेक्टर, सिद्धार्थनगर।

NOTIFICATION
June 24, 2022

[Under sub section (1) of section 11 of the act] preliminary notification

No. 6066(I)/VIII/S.L.A.O.-Siddharthanagar/Notification/2022-23--Under sub-section (1) of Section-11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, Whereas the Government of Uttar Pradesh/Collector (for the purpose of the appropriate Government) is satisfied that a total of 2.5213612 hectare of land is required in the Village-Katsarya Kala, Pargana-Baansi Purab, Tehsil-Bansi, District-Siddharthnagar is reuired for public purpose namely project Bahraich-Khalilabad New B. G. Rail Line through Deputy Chief Engineer, General/Construction/Survey, North East Railway, Gorakhpur Mandal, Gorakhpur.

2--Social Impact Assesment study was carried out by the State Social Impact Assesment Agency and submits its recommendations to the Appropriate Government (Collector Siddharthnagar) which has approved its recommendation on dated March 30, 2022.

3--The summary of the Social Impact Assessment Report is as follows :-

Center for Indian Bamboo Resource and Technology, Vasundhara Ghaziabad has been done social impact assessment study with the intention of identifying the impacts on the social economic and cultural status of the families affected by land acquisition and the impacts due to them and suggest ways to minimize these impacts, In the study method, an attempt has been made to find out the socio-economic and cultural status on the basis of interviews of families affected by land acqusition. Apart from this, data has been obtained in respect of the affected villages from different levels like Gram Panchayat, Tehsil level. Apart from this, also consulting various stakeholders related to the construction of the project, the study of social impact assessment has been completed after obtaining the desired information.

In the Village affected by the project, the main problems faced by the affected farmers are the joy in the source of livelihood due to the reduction in the area of agricultural land, reduction in agricultural wages, reduction in agricultural wages, reduction in pasture/barn, increase in pollution. Where as farmers belives that due to construction of rail line and station there will be convenience in traffic, convenience in goods transportation and has been said to generate business and employment.

As a result of this project, it is natural to reduce the cultivable area of the affected villages, but if the affected farmers get proper compensation according to rules of Right to Fair Compensation and Transparency in Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, upgradation of the remaining holdings from the amout received, interested farmers will be benefited by rail construction, ease of transport, access to wide market for agricultural products, facility of selection to sell agricultural products at reasonable prices, etc. The project is not affecting the whole or most part of village. No core population is being affected by this project.

By the construction of new railway line in this area, people will get various types of employment, opportunities directly and indirectly, like transportation, hotel, accommodation, education, health, entertainment, road, electricity *etc*. facilities will be available. It is also definitely possible that as a result of the operation of the new rail line project, the people of the area will grow socially and economically.

Therefore, the potential benefit from this project is much higher than the social cost and adverse social impacts. The land proposed for the acquisition in question is very less relative to the total land required for the project.

However multi-disciplinary expert group unanimoulsy recommends acquisition of necessary land by agreeing with social impact assessment report on land acquisition for Bahraich-Khalilabad BG new rail line project.

4--No families are likely to be displaced due to land acquisition.

5--Therefore the Governor is pleased to notify for general information that the land mentioned in the schedule below is needed for public purpose.

SCHEDULE

Sl. no.	District	Tehsil	Pargana	Village	Plot no.	Area to be acquired
1	2	3	4	5	6	7
						Hectares
1	Siddharthnagar	Baansi	Baansi Purab	Katsarya Kala	203	0.0762334
2	Siddharthnagar	Baansi	Baansi Purab	Katsarya Kala	204	0.1080321
3	Siddharthnagar	Baansi	Baansi Purab	Katsarya Kala	205	0.071318
4	Siddharthnagar	Baansi	Baansi Purab	Katsarya Kala	206	0.1334863
5	Siddharthnagar	Baansi	Baansi Purab	Katsarya Kala	207	0.1729709
6	Siddharthnagar	Baansi	Baansi Purab	Katsarya Kala	211	0.0946635
7	Siddharthnagar	Baansi	Baansi Purab	Katsarya Kala	212	0.0987962
8	Siddharthnagar	Baansi	Baansi Purab	Katsarya Kala	214	0.304741
9	Siddharthnagar	Baansi	Baansi Purab	Katsarya Kala	215	0.0344345
10	Siddharthnagar	Baansi	Baansi Purab	Katsarya Kala	228	0.1229274
11	Siddharthnagar	Baansi	Baansi Purab	Katsarya Kala	229	0.021
12	Siddharthnagar	Baansi	Baansi Purab	Katsarya Kala	230	0.011192
13	Siddharthnagar	Baansi	Baansi Purab	Katsarya Kala	231	0.2009761
14	Siddharthnagar	Baansi	Baansi Purab	Katsarya Kala	236	0.3421263
15	Siddharthnagar	Baansi	Baansi Purab	Katsarya Kala	237	0.1762013
16	Siddharthnagar	Baansi	Baansi Purab	Katsarya Kala	239	0.043
17	Siddharthnagar	Baansi	Baansi Purab	Katsarya Kala	240	0.1372622

1	2	3	4	5	6	7
						Hectares
18	Siddharthnagar	Baansi	Baansi Purab	Katsarya Kala	241	0.177
19	Siddharthnagar	Baansi	Baansi Purab	Katsarya Kala	242	0.076
20	Siddharthnagar	Baansi	Baansi Purab	Katsarya Kala	243	0.119
					Total . .	**2.5213612**

6--The Governor is also pleased to authorise the Collector for the purpose of the land acquisition to takes necessary steps to enter upon and survey of land, take levels of any land, dig or sub soil into the sub-oil and do all the acts required for the proper execution of work as provided and specified under section 12 of the Act.

7--Under section-15 of the Act, any person interested in the land may within 60 days after the publication of this notification, make an objection to the acquisition of land in the locality in writing to the Collector.

8--Under section-11(4) of the Act, no person shall make any transaction or cause any transaction of the land *i.e.* sale/purchase, specified in the preliminary notification or create any encumbrances on such land from the date of publication of such notification till such time as the proceedings of land acquisition is completed, without prior approval of the Collector.

NOTE : A plan of land may be inspected in the Office of the Collector for the purpose of acquisition.

(*Sd.*) ILLEGIBLE,
Collector, Siddharthnagar.

24 जून, 2022 ई0

सं0 6067(I)/आठ-वि0भू0अ0अ0 सि0नगर/अधि0सू0/2022-23–भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन उत्तर प्रदेश सरकार/कलेक्टर (समुचित सरकार के उद्देश्य हेतु) राय है, कि उप मुख्य अभियन्ता, कन्सट्रक्शन/जनरल, नार्थ ईस्ट रेलवे, गोरखपुर के माध्यम से सार्वजनिक प्रयोजन बहराइच खलीलाबाद बी0जी0 रेल लाईन परियोजना हेतु जनपद सिद्धार्थनगर, तहसील बॉसी, परगना बॉसी पूरब, ग्राम पिपरा में रकबा 4.8411688 हे0 भूमि की आवश्यकता है।

2–राज्य सामाजिक समाघात निर्धारण एजेन्सी द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन किया गया है तथा समुचित सरकार (कलेक्टर, सिद्धार्थनगर) को अपनी अनुशंसा प्रस्तुत की गई है। जिसे कलेक्टर, सिद्धार्थनगर द्वारा दिनांक 30 मार्च, 2022 को अनुमोदित किया गया है।

3–सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश इस प्रकार है–

सेन्टर फॉर इण्डियन बाम्बू रिसोर्स एण्ड टेक्नालॉजी (सीबार्ट) वसुन्धरा, गाजियबाद द्वारा भूमि अधिग्रहण से प्रभावित परिवारों की सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्थिति पर पड़ने वाले प्रभावों एवं उससे होने वाले दुष्प्रभावों का अभिज्ञान कर इन प्रभावों को कम से कम करने का सुझाव देने के आशय से सामाजिक समाघात अध्ययन/प्रबन्धन आख्या तैयार किया गया है। अध्ययन पद्धति में भूमि अधिग्रहण से प्रभावित परिवारों से साक्षात्कार के आधार पर सामाजिक आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्थिति ज्ञात करने का प्रयास किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रभावित ग्रामों के सम्बन्ध में विभिन्न स्तरों यथा ग्राम पंचायत तहसील स्तर से आकड़े प्राप्त किये गये हैं। इसके अतिरिक्त परियोजना के

निर्माण से सम्बन्धित विभिन्न हितधारकों से भी विचार विमर्श कर वांछित जानकारी प्राप्त कर सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन पूर्ण किया गया है।

परियोजना से प्रभावित ग्राम में प्रभावित कृषकों द्वारा मुख्य समस्याओं कृषि भूमि के क्षेत्रफल में कमी आने के कारण आजीविका के श्रोत में ह्रास, कृषिगत मजदूरी में कमी, चारागाह/खलिहान में कमी, प्रदूषण में वृद्धि बताई गई, वहीं अधिकतर कृषकों द्वारा नई रेल लाईन के निर्माण से आवागमन में सुविधा माल ढुलाई में सुविधा तथा रेलवे स्टेशन के निर्माण से व्यापार एवं रोजगार के सृजन होने की बात कही गई है।

इस परियोजना के फलस्वरूप प्रभावित ग्रामों के कृषि योग्य क्षेत्रफल में कमी आना स्वाभाविक है किन्तु प्रभावित कृषकों को भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के नियमों के अनुसार प्रतिकर मिलने की स्थिति में प्राप्त धनराशि से अवशेष जोत का उन्नयन, रेल निर्माण से आवागमन, यातायात में सुगमता, कृषि उत्पाद हेतु विस्तृत बाजार तक पहुंच, कृषि उत्पादों को उचित मूल्य पर बेचने के चयन की सुविधा, वैकल्पिक रोजगार के साधनों में विकास, बेहतर आवास के निर्माण, परिवहन के साधनों का विकास होना सम्भावी है, आदि से किसान लाभान्वित होंगे जिससे कृषि जोत में आई कमी को पूर्ण किया जा सकता है। परियोजना ग्राम के सम्पूर्ण अथवा अधिकांश भाग को प्रभावित नहीं कर रही है। इस परियोजना से कोई मुख्य आबादी प्रभावित नहीं हो रही है। इस क्षेत्र में नई रेल लाइन के निर्माण से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से लोगों को विभिन्न प्रकार के रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। जैसे परिवहन, होटल, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन, सड़क, विद्युत आदि की सुविधायें प्राप्त होंगी। यह भी निश्चित रूप से संभावित है कि नई रेल लाइन परियोजना के संचालन के परिणाम स्वरूप क्षेत्र के लोगों के सामाजिक, आर्थिक क्षेत्र में वृद्धि होगी।

अतः इस परियोजना से संभावित लाभ सामाजिक खर्च एवं प्रतिकूल सामाजिक समाघातों की तुलना में कहीं अधिक है। परियोजना के लिये आवश्यक कुल भूमि के सापेक्ष प्रश्नगत अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि अत्यन्त कम है।

अस्तु बहुशाखीय विशेषज्ञ समूह द्वारा सर्व सम्मति से बहराइच, खलीलाबाद बी0जी0 नई लाईन परियोजना के निमित्त भूमि अर्जन कर सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं सामाजिक समाघात प्रबन्धन योजना से सहमत होते हुये आवश्यक भूमि का अर्जन किये जाने की संस्तुति की गई है।

4– भूमि अर्जन के कारण कोई परिवार विस्थापित नहीं हो रहा है।

5–अतः राज्यपाल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को सामान्य सूचना हेतु अधिसूचित करने के लिये सहर्ष सहमति देते हैं :

अनुसूची

क्र0 सं0	जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा संख्या	अर्जित किये जाने वाला क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6	7
						हेक्टेयर
1	सिद्धार्थनगर	बॉसी	बॉसी पूरब	पिपरा	2	0.3376241
2					3	0.0160543
3					4	0.2398701
4					56	0.3397588

1	2	3	4	5	6	7
						हेक्टेयर
5	सिद्धार्थनगर	बॉसी	बॉसी पूरब	पिपरा	55	0.298752
6					53	0.286
7					211	0.005
8					213	0.0159568
9					219	0.0307413
10					221	0.049
11					212	0.025
12					218	0.0254445
13					217	0.027
14					222	0.1137807
15					48	0.0704659
16					232	0.0005445
17					235	0.1897504
18					234	0.0367823
19					233	0.021946
20					236	0.0187503
21					238	0.0318528
22					239	0.0142177
23					270	0.057
24					271	0.1064618
25					272	0.1866632
26					273	0.1835271
27					274	0.1957338
28					276	0.095663
29					277	0.0516455
30					279	0.2877318
31					281	0.0283105
32					237	0.0238645

1	2	3	4	5	6	7
						हेक्टेयर
33	सिद्धार्थनगर	बॉसी	बॉसी पूरब	पिपरा	260	0.064
34					146	0.2172183
35					275	0.5127808
36					280	0.636276
					कुल क्षेत्रफल. .	**4.8411688**

6–अधिनियम की धारा 12 के अन्तर्गत निर्दिष्ट एवं प्राविधानित भूमि अधिग्रहण के प्रयोजन हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने के लिये तथा भूमि का सर्वेक्षण, किसी भूमि के लिये समतलीकरण, खुदाई करने तथा कार्य के समुचित क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक क्रियायें करने के लिये राज्यपाल कलेक्टर प्राधिकृत करने हेतु निर्देश देते हैं।

7–अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति जिसका हित भूमि में निहित हो अधिसूचना के प्रकाशन के 60 दिन के अन्दर अपने क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के विरुद्ध लिखित रूप से कलेक्टर को आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

8–अधिनियम की धारा-11(4) के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होने तक कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रारम्भिक अधिूसचना में निर्दिष्ट भूमि का संव्यवहार यथा विक्रय/क्रय या उस भूमि में कोई भार उत्पन्न नहीं कर सकता है।

टिप्पणी :–उक्त भूमि का स्थलीय नक्शा कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

(ह0) अस्पष्ट,
कलेक्टर, सिद्धार्थनगर।

NOTIFICATION

June 24, 2022

[Under sub section (1) of section 11 of the act] preliminary notification

No. 6067(I)/VIII/S.L.A.O.-Siddharthanagar/Notification/2022-23--Under sub-section (1) of Section-11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, Whereas the Government of Uttar Pradesh/Collector (for the purpose of the appropriate Government) is satisfied that a total of 4.8411688 hectare of land is required in the Village-Pipra, Pargana-Baansi Purab, Tehsil-Bansi, District-Siddharthnagar is required for public purpose namely project Bahraich-Khalilabad New B. G. Rail Line through Deputy Chief Engineer, General/Construction/Survey, North East Railway, Gorakhpur Mandal Gorakhpur.

2--Social Impact Assesment study was carried out by the State Social Impact Assesment Agency and submits its recommendations to the Appropriate Government (Collector Siddharthnagar) which has approved its recommendation on dated March 30, 2022.

3--The summary of the Social Impact Assessment Report is as follows :-

Center for Indian Bamboo Resource and Technology, Vasundhara Ghaziabad has been done social impact assessment study with the intention of identifying the impacts on the social economic and cultural status of the families affected by land acquisition and the impacts due to them and suggest ways to minimize

these impacts, In the study method, an attempt has been made to find out the socio-economic and cultural status on the basis of interviews of families affected by land acqusition. Apart from this, data has been obtained in respect of the affected villages from different levels like Gram Panchayat, Tehsil level. Apart from this, also after consulting various stakeholders related to the construction of the project, the study of social impact assessment has been completed after obtaining the desired information.

In the Village affected by the project, the main problems faced by the affected farmers are the joy in the source of livelihood due to the reduction in the area of agricultural land, reduction in agricultural wages, reduction in pasture/barn, increase in pollution. Where as farmers belives that due to construction of rail line and station there will be convenience in traffic, convenience in goods transportation and has been said to generate business and employment.

As a result of this project, it is natural to reduce the cultivable area of the affected villages, but if the affected farmers get proper compensation according to rules of Right to Fair Compensation and Transparency in Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, upgradation of the remaining holdings from the amout received, interested farmers will be benefited by rail construction, ease of transport, access to wide market for agricultural products, facility of selection to sell agricultural products at reasonable prices, *etc*. The project is not affecting the whole or most part of village. No core population is being affected by this project.

By the construction of new railway line in this area, people will get various types of employment, opportunities directly and indirectly, like transportation, hotel, accommodation, education, health, entertainment, road, electricity *etc*. facilities will be available. It is also definitely possible that as a result of the operation of the new rail line project, the people of the area will grow socially and economically.

Therefore, the potential benefit from this project is much higher than the social cost and adverse social impacts. The land proposed for the acquisition in question is very less relative to the total land required for the project.

However multi-disciplinary expert group unanimoulsy recommends acquisition of necessary land by agreeing with social impact assessment report on land acquisition for Bahraich-Khalilabad BG new rail line project.

4--No families are likely to be displaced due to land acquisition.

5--Therefore the Governor is pleased to notify for general information that the land mentioned in the schedule below is needed for public purpose.

SCHEDULE

Sl. no.	District	Tehsil	Pargana	Village	Plot no.	Area to be acquired
1	2	3	4	5	6	7
						Hectares
1	Siddharthnagar	Baansi	Baansi Purab	Pipra	2	0.3376241
2	Siddharthnagar	Baansi	Baansi Purab	Pipra	3	0.0160543
3	Siddharthnagar	Baansi	Baansi Purab	Pipra	4	0.2398701
4	Siddharthnagar	Baansi	Baansi Purab	Pipra	56	0.3397588

1	2	3	4	5	6	7
						Hectares
5	Siddharthnagar	Baansi	Baansi Purab	Pipra	55	0.298752
6	Siddharthnagar	Baansi	Baansi Purab	Pipra	53	0.286
7	Siddharthnagar	Baansi	Baansi Purab	Pipra	211	0.005
8	Siddharthnagar	Baansi	Baansi Purab	Pipra	213	0.0159568
9	Siddharthnagar	Baansi	Baansi Purab	Pipra	219	0.0307413
10	Siddharthnagar	Baansi	Baansi Purab	Pipra	221	0.049
11	Siddharthnagar	Baansi	Baansi Purab	Pipra	212	0.025
12	Siddharthnagar	Baansi	Baansi Purab	Pipra	218	0.0254445
13	Siddharthnagar	Baansi	Baansi Purab	Pipra	217	0.027
14	Siddharthnagar	Baansi	Baansi Purab	Pipra	222	0.1137807
15	Siddharthnagar	Baansi	Baansi Purab	Pipra	48	0.0704659
16	Siddharthnagar	Baansi	Baansi Purab	Pipra	232	0.0005445
17	Siddharthnagar	Baansi	Baansi Purab	Pipra	235	0.1897504
18	Siddharthnagar	Baansi	Baansi Purab	Pipra	234	0.0367823
19	Siddharthnagar	Baansi	Baansi Purab	Pipra	233	0.021946
20	Siddharthnagar	Baansi	Baansi Purab	Pipra	236	0.0187503
21	Siddharthnagar	Baansi	Baansi Purab	Pipra	238	0.0318528
22	Siddharthnagar	Baansi	Baansi Purab	Pipra	239	0.0142177
23	Siddharthnagar	Baansi	Baansi Purab	Pipra	270	0.057
24	Siddharthnagar	Baansi	Baansi Purab	Pipra	271	0.1064618
25	Siddharthnagar	Baansi	Baansi Purab	Pipra	272	0.1866632
26	Siddharthnagar	Baansi	Baansi Purab	Pipra	273	0.1835271
27	Siddharthnagar	Baansi	Baansi Purab	Pipra	274	0.1957338
28	Siddharthnagar	Baansi	Baansi Purab	Pipra	276	0.095663
29	Siddharthnagar	Baansi	Baansi Purab	Pipra	277	0.0516455
30	Siddharthnagar	Baansi	Baansi Purab	Pipra	279	0.2877318
31	Siddharthnagar	Baansi	Baansi Purab	Pipra	281	0.0283105
32	Siddharthnagar	Baansi	Baansi Purab	Pipra	237	0.0238645
33	Siddharthnagar	Baansi	Baansi Purab	Pipra	260	0.064
34	Siddharthnagar	Baansi	Baansi Purab	Pipra	146	0.2172183
35	Siddharthnagar	Baansi	Baansi Purab	Pipra	275	0.5127808
36	Siddharthnagar	Baansi	Baansi Purab	Pipra	280	0.636276
					Total . .	**4.8411688**

6--The Governor is also pleased to authorise the Collector for the purpose of the land acquisition to takes necessary steps to enter upon and survey of land, take levels of any land, dig or sub soil into the sub-oil and do all the acts required for the proper execution of work as provided and specified under section 12 of the Act.

7--Under section-15 of the Act, any person interested in the land may within 60 days after the publication of this notification, make an objection to the acquisition of land in the locality in writing to the Collector.

8--Under section-11(4) of the Act, no person shall make any transaction or cause any transaction of the land *i.e*. sale/purchase, specified in the preliminary notification or create any encumbrances on such land from the date of publication of such notification till such time as the proceedings of land acquisition is completed, without prior approval of the Collector.

NOTE : A plan of land may be inspected in the Office of the Collector for the purpose of acquisition.

(*Sd.*) ILLEGIBLE,
Collector, Siddharthnagar.

24 जून, 2022 ई0

सं0 6068(i)/आठ-वि0भू0अ0अ0 सि0नगर/अधि0सू0/2022-23—भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन उत्तर प्रदेश सरकार/कलेक्टर (समुचित सरकार के उद्देश्य हेतु) राय है, कि उप मुख्य अभियन्ता, कन्सट्रक्शन/जनरल, नार्थ ईस्ट रेलवे, गोरखपुर के माध्यम से सार्वजनिक प्रयोजन बहराइच खलीलाबाद बी0जी0 रेल लाईन परियोजना हेतु जनपद सिद्धार्थनगर, तहसील बॉसी, परगना बॉसी पूरब, ग्राम सोनवलिया में रकबा 3.8856668 हे0 भूमि की आवश्यकता है।

2—राज्य सामाजिक समाघात निर्धारण एजेन्सी द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन किया गया है तथा समुचित सरकार (कलेक्टर, सिद्धार्थनगर) को अपनी अनुशंसा प्रस्तुत की गई है। जिसे कलेक्टर, सिद्धार्थनगर द्वारा दिनांक 30 मार्च, 2022 को अनुमोदित किया गया है।

3—**सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश इस प्रकार है—**

सेन्टर फॉर इण्डियन बाम्बू रिसोर्स एण्ड टेक्नालॉजी (सीबार्ट) वसुन्धरा, गाजियबाद द्वारा भूमि अधिग्रहण से प्रभावित परिवारों की सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्थिति पर पड़ने वाले प्रभावों एवं उससे होने वाले दुष्प्रभावों का अभिज्ञान कर इन प्रभावों को कम से कम करने का सुझाव देने के आशय से सामाजिक समाघात अध्ययन/प्रबन्धन आख्या तैयार किया गया है। अध्ययन पद्धति में भूमि अधिग्रहण से प्रभावित परिवारों से साक्षात्कार के आधार पर सामाजिक आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्थिति ज्ञात करने का प्रयास किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रभावित ग्रामों के सम्बन्ध में विभिन्न स्तरों यथा ग्राम पंचायत तहसील स्तर से आकड़े प्राप्त किये गये हैं। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण से सम्बन्धित विभिन्न हितधारकों से भी विचार विमर्श कर वांछित जानकारी प्राप्त कर सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन पूर्ण किया गया है।

परियोजना से प्रभावित ग्राम में प्रभावित कृषकों द्वारा मुख्य समस्याओं कृषि भूमि के क्षेत्रफल में कमी आने के कारण आजीविका के श्रोत में ह्रास, कृषिगत मजदूरी में कमी, चारागाह/खलिहान में कमी, प्रदूषण में वृद्धि बताई गई, वहीं अधिकतर कृषकों द्वारा नई रेल लाईन के निर्माण से आवागमन में सुविधा माल ढुलाई में सुविधा तथा रेलवे स्टेशन के निर्माण से व्यापार एवं रोजगार के सृजन होने की बात कही गई है।

इस परियोजना के फलस्वरूप प्रभावित ग्रामों के कृषि योग्य क्षेत्रफल में कमी आना स्वाभाविक है किन्तु प्रभावित कृषकों को भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013

के नियमों के अनुसार प्रतिकर मिलने की स्थिति में प्राप्त धनराशि से अवशेष जोत का उन्नयन, रेल निर्माण से आवागमन, यातायात में सुगमता, कृषि उत्पाद हेतु विस्तृत बाजार तक पहुंच, कृषि उत्पादों को उचित मूल्य पर बेचने के चयन की सुविधा, वैकल्पिक रोजगार के साधनों में विकास, बेहतर आवास के निर्माण, परिवहन के साधनों का विकास होना सम्भावी है, आदि से किसान लाभान्वित होंगे जिससे कृषि जोत में आई कमी को पूर्ण किया जा सकता है। परियोजना ग्राम के सम्पूर्ण अथवा अधिकांश भाग को प्रभावित नहीं कर रही है। इस परियोजना से कोई मुख्य आबादी प्रभावित नहीं हो रही है। इस क्षेत्र में नई रेल लाइन के निर्माण से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से लोगों को विभिन्न प्रकार के रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। जैसे परिवहन, होटल, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन, सड़क, विद्युत आदि की सुविधायें प्राप्त होंगी। यह भी निश्चित रूप से संभावित है कि नई रेल लाइन परियोजना के संचालन के परिणाम स्वरूप क्षेत्र के लोगों के सामाजिक, आर्थिक क्षेत्र में वृद्धि होगी।

अतः इस परियोजना से संभावित लाभ सामाजिक खर्च एवं प्रतिकूल सामाजिक समाघातों की तुलना में कहीं अधिक है। परियोजना के लिये आवश्यक कुल भूमि के सापेक्ष प्रश्नगत अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि अत्यन्त कम है।

अस्तु बहुशाखीय विशेषज्ञ समूह द्वारा सर्वसम्मति से बहराइच, खलीलाबाद बी0जी0 नई लाईन परियोजना के निमित्त भूमि अर्जन कर सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं सामाजिक समाघात प्रबन्धन योजना से सहमत होते हुये आवश्यक भूमि का अर्जन किये जाने की संस्तुति गई है।

4– भूमि अर्जन के कारण कोई परिवार विस्थापित नहीं हो रहा है।

5–अतः राज्यपाल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को सामान्य सूचना हेतु अधिसूचित करने के लिये सहर्ष सहमति देते हैं :

अनुसूची

क्र0 सं0	जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा संख्या	अर्जित किये जाने वाला क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6	7
						हेक्टेयर
1	सिद्धार्थनगर	बॉसी	बॉसी पूरब	सोनवलिया	18	0.1170921
2					19	0.102
3					28	0.18
4					40	0.4350015
5					36	0.1082759
6					42	0.3699382
7					88	0.004
8					86	0.3540893
9					73	0.0419468
10					69	0.0654974
11					67	0.0414905
12					68	0.1193383
13					64	0.0107665
14					193	0.3614687
15					194	0.0310372

1	2	3	4	5	6	7
						हेक्टेयर
16	सिद्धार्थनगर	बॉसी	बॉसी पूरब	सोनवलिया	196	0.0042557
17					192	0.0953309
18					195	0.1205764
19					207	0.005
20					208	0.368
21					209	0.2
22					217	0.1549639
23					220	0.0118348
24					219	0.2450956
25					218	0.0599354
26					232	0.2565603
27					233	0.0221714
					कुल क्षेत्रफल. .	**3.8856668**

6–अधिनियम की धारा 12 के अन्तर्गत निर्दिष्ट एवं प्राविधानित भूमि अधिग्रहण के प्रयोजन हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने के लिये तथा भूमि का सर्वेक्षण, किसी भूमि के लिये समतलीकरण, खुदाई करने तथा कार्य के समुचित क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक क्रियायें करने के लिये राज्यपाल कलेक्टर प्राधिकृत करने हेतु निर्देश देते हैं।

7–अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति जिसका हित भूमि में निहित हो अधिसूचना के प्रकाशन के 60 दिन के अन्दर अपने क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के विरुद्ध लिखित रूप से कलेक्टर को आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

8–अधिनियम की धारा 11(4) के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होने तक कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रारम्भिक अधिूसचना में निर्दिष्ट भूमि का संव्यवहार यथा विक्रय/क्रय या उस भूमि में कोई भार उत्पन्न नहीं कर सकता है।

टिप्पणी :–उक्त भूमि का स्थलीय नक्शा कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

(ह0) अस्पष्ट,
कलेक्टर, सिद्धार्थनगर।

NOTIFICATION

June 24, 2022

[under sub section (1) of section 11 of the act] preliminary notification

No. 6068(I)/VIII/S.L.A.O.-Siddharthanagar/Notification/2022-23--Under sub-section (1) of Section-11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, Whereas the Government of Uttar Pradesh/Collector (for the purpose of the appropriate Government) is satisfied that a total of 3.8856668 hectare of land is required in the Village-Sonwaliya, Pargana-Baansi Purab, Tehsil-Bansi, District-Siddharthnagar is required for public purpose namely project Bahraich-

Khalilabad New B. G. Rail Line through Deputy Chief Engineer, General/Construction/Survey, North East Railway, Gorakhpur Mandal, Gorakhpur.

2--Social Impact Assesment study was carried out by the State Social Impact Assesment Agency and submits its recommendations to the Appropriate Government (Collector Siddharthnagar) which has approved its recommendation on dated March 30, 2022.

3--The summary of the Social Impact Assessment Report is as follows :-

Center for Indian Bamboo Resource and Technology, Vasundhara Ghaziabad has been done social impact assessment study with the intention of identifying the impacts on the social economic and cultural status of the families affected by land acquisition and the impacts due to them and suggest ways to minimize these impacts, In the study method, an attempt has been made to find out the socio-economic and cultural status on the basis of interviews of families affected by land acqusition. Apart from this, data has been obtained in respect of the affected villages from different levels like Gram Panchayat, Tehsil level. Apart from this, also consulting various stakeholders related to the construction of the project, the study of social impact assessment has been completed after obtaining the desired information.

In the Village affected by the project, the main problems faced by the affected farmers are the joy in the source of livelihood due to the reduction in the area of agricultural land, reduction in agricultural wages, reduction in pasture/barn, increase in pollution. Where as farmers belives that due to construction of rail line and station there will be convenience in traffic, convenience in goods transportation and has been said to generate business and employment.

As a result of this project, it is natural to reduce the cultivable area of the affected villages, but if the affected farmers get proper compensation according to rules of Right to Fair Compensation and Transparency in Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, upgradation of the remaining holdings from the amout received, interested farmers will be benefited by rail construction, ease of transport, access to wide market for agricultural products, facility of selection to sell agricultural products at reasonable prices, etc. The project is not affecting the whole or most part of village. No core population is being affected by this project.

By the construction of new railway line in this area, people will get various types of employment, opportunities directly and indirectly, like transportation, hotel, accommodation, education, health, entertainment, road, electricity *etc*. facilities will be available. It is also definitely possible that as a result of the operation of the new rail line project, the people of the area will grow socially and economically.

Therefore, the potential benefit from this project is much higher than the social cost and adverse social impacts. The land proposed for the acquisition in question is very less relative to the total land required for the project.

However multi-disciplinary expert group unanimoulsy recommends acquisition of necessary land by agreeing with social impact assessment report on land acquisition for Bahraich-Khalilabad BG new rail line project.

4--No families are likely to be displaced due to land acquisition.

5--Therefore the Governor is pleased to notify for general information that the land mentioned in the schedule below is needed for public purpose.

SCHEDULE

Sl. no.	District	Tehsil	Pargana	Village	Plot no.	Area to be acquired
1	2	3	4	5	6	7
						Hectares
1	Siddharthnagar	Baansi	Baansi Purab	Sonwaliya	18	0.1170921
2	Siddharthnagar	Baansi	Baansi Purab	Sonwaliya	19	0.102
3	Siddharthnagar	Baansi	Baansi Purab	Sonwaliya	28	0.18
4	Siddharthnagar	Baansi	Baansi Purab	Sonwaliya	40	0.4350015
5	Siddharthnagar	Baansi	Baansi Purab	Sonwaliya	36	0.1082759
6	Siddharthnagar	Baansi	Baansi Purab	Sonwaliya	42	0.3699382
7	Siddharthnagar	Baansi	Baansi Purab	Sonwaliya	88	0.004
8	Siddharthnagar	Baansi	Baansi Purab	Sonwaliya	86	0.3540893
9	Siddharthnagar	Baansi	Baansi Purab	Sonwaliya	73	0.0419468
10	Siddharthnagar	Baansi	Baansi Purab	Sonwaliya	69	0.0654974
11	Siddharthnagar	Baansi	Baansi Purab	Sonwaliya	67	0.0414905
12	Siddharthnagar	Baansi	Baansi Purab	Sonwaliya	68	0.1193383
13	Siddharthnagar	Baansi	Baansi Purab	Sonwaliya	64	0.0107665
14	Siddharthnagar	Baansi	Baansi Purab	Sonwaliya	193	0.3614687
15	Siddharthnagar	Baansi	Baansi Purab	Sonwaliya	194	0.0310372
16	Siddharthnagar	Baansi	Baansi Purab	Sonwaliya	196	0.0042557
17	Siddharthnagar	Baansi	Baansi Purab	Sonwaliya	192	0.0953309
18	Siddharthnagar	Baansi	Baansi Purab	Sonwaliya	195	0.1205764
19	Siddharthnagar	Baansi	Baansi Purab	Sonwaliya	207	0.005
20	Siddharthnagar	Baansi	Baansi Purab	Sonwaliya	208	0.368
21	Siddharthnagar	Baansi	Baansi Purab	Sonwaliya	209	0.2
22	Siddharthnagar	Baansi	Baansi Purab	Sonwaliya	217	0.1549639
23	Siddharthnagar	Baansi	Baansi Purab	Sonwaliya	220	0.0118348
24	Siddharthnagar	Baansi	Baansi Purab	Sonwaliya	219	0.2450956
25	Siddharthnagar	Baansi	Baansi Purab	Sonwaliya	218	0.0599354
26	Siddharthnagar	Baansi	Baansi Purab	Sonwaliya	232	0.2565603
27	Siddharthnagar	Baansi	Baansi Purab	Sonwaliya	233	0.0221714
					Total . .	**3.8856668**

6--The Governor is also pleased to authorise the Collector for the purpose of the land acquisition to takes necessary steps to enter upon and survey of land, take levels of any land, dig or sub soil into the sub-oil and do all the acts required for the proper execution of work as provided and specified under section 12 of the Act.

7--Under section-15 of the Act, any person interested in the land may within 60 days after the publication of this notification, make an objection to the acquisition of land in the locality in writing to the collector.

8--Under section-11(4) of the Act, no person shall make any transaction or cause any transaction of the land *i.e*. sale/purchase, specified in the preliminary notification or create any encumbrances on such land from the date of publication of such notification till such time as the proceedings of land acquisition is completed, without prior approval of the Collector.

NOTE : A plan of land may be inspected in the Office of the Collector for the purpose of acquisition.

(*Sd.*) ILLEGIBLE,
Collector, Siddharthnagar.

24 जून, 2022 ई0

सं0 6069(I)/आठ-वि0भू0अ0अ0 सि0नगर/अधि0सू0/2022-23–भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन उत्तर प्रदेश सरकार/कलेक्टर (समुचित सरकार के उद्देश्य हेतु) राय है, कि उप मुख्य अभियन्ता, कन्सट्रक्शन/जनरल, नार्थ ईस्ट रेलवे, गोरखपुर के माध्यम से सार्वजनिक प्रयोजन बहराइच खलीलाबाद बी0जी0 रेल लाईन परियोजना हेतु जनपद सिद्धार्थनगर, तहसील बॉसी, परगना बॉसी पूरब, ग्राम कपिया शुक्ल में रकबा 2.5167122 हे0 भूमि की आवश्यकता है।

2–राज्य सामाजिक समाघात निर्धारण एजेन्सी द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन किया गया है तथा समुचित सरकार (कलेक्टर, सिद्धार्थनगर) को अपनी अनुशंसा प्रस्तुत की गई है। जिसे कलेक्टर, सिद्धार्थनगर द्वारा दिनांक 30 मार्च, 2022 को अनुमोदित किया गया है।

3–सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश इस प्रकार है–

सेन्टर फॉर इण्डियन बाम्बू रिसोर्स एण्ड टेक्नालॉजी (सीबार्ट) वसुन्धरा, गाजियबाद द्वारा भूमि अधिग्रहण से प्रभावित परिवारों की सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्थिति पर पड़ने वाले प्रभावों एवं उससे होने वाले दुष्प्रभावों का अभिज्ञान कर इन प्रभावों को कम से कम करने का सुझाव देने के आशय से सामाजिक समाघात अध्ययन/प्रबन्धन आख्या तैयार किया गया है। अध्ययन पद्धति में भूमि अधिग्रहण से प्रभावित परिवारों से साक्षात्कार के आधार पर सामाजिक आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्थिति ज्ञात करने का प्रयास किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रभावित ग्रामों के सम्बन्ध में विभिन्न स्तरों यथा ग्राम पंचायत तहसील स्तर से आकड़े प्राप्त किये गये हैं। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण से सम्बन्धित विभिन्न हितधारकों से भी विचार विमर्श कर वांछित जानकारी प्राप्त कर सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन पूर्ण किया गया है।

परियोजना से प्रभावित ग्राम में प्रभावित कृषकों द्वारा मुख्य समस्याओं कृषि भूमि के क्षेत्रफल में कमी आने के कारण आजीविका के श्रोत में ह्रास, कृषिगत मजदूरी में कमी, चारागाह/खलिहान में कमी, प्रदूषण में वृद्धि बताई गई, वहीं अधिकतर कृषकों द्वारा नई रेल लाईन के निर्माण से आवागमन में सुविधा माल ढुलाई में सुविधा तथा रेलवे स्टेशन के निर्माण से व्यापार एवं रोजगार के सृजन होने की बात कही गई है।

इस परियोजना के फलस्वरूप प्रभावित ग्रामों के कृषि योग्य क्षेत्रफल में कमी आना स्वाभाविक है किन्तु प्रभावित कृषकों को भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013

के नियमों के अनुसार प्रतिकर मिलने की स्थिति में प्राप्त धनराशि से अवशेष जोत का उन्नयन, रेल निर्माण से आवागमन, यातायात में सुगमता, कृषि उत्पाद हेतु विस्तृत बाजार तक पहुंच, कृषि उत्पादों को उचित मूल्य पर बेचने के चयन की सुविधा, वैकल्पिक रोजगार के साधनों में विकास, बेहतर आवास के निर्माण, परिवहन के साधनों का विकास होना सम्भावी है, आदि से किसान लाभान्वित होंगे जिससे कृषि जोत में आई कमी को पूर्ण किया जा सकता है। परियोजना ग्राम के सम्पूर्ण अथवा अधिकांश भाग को प्रभावित नहीं कर रही है। इस परियोजना से कोई मुख्य आबादी प्रभावित नहीं हो रही है। इस क्षेत्र में नई रेल लाइन के निर्माण से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से लोगों को विभिन्न प्रकार के रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। जैसे परिवहन, होटल, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन, सड़क, विद्युत आदि की सुविधायें प्राप्त होंगी। यह भी निश्चित रूप से संभावित है कि नई रेल लाइन परियोजना के संचालन के परिणाम स्वरूप क्षेत्र के लोगों के सामाजिक, आर्थिक क्षेत्र में वृद्धि होगी।

अतः इस परियोजना से संभावित लाभ सामाजिक खर्च एवं प्रतिकूल सामाजिक समाघातों की तुलना में कहीं अधिक है। परियोजना के लिये आवश्यक कुल भूमि के सापेक्ष प्रश्नगत अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि अत्यन्त कम है।

अस्तु बहुशाखीय विशेषज्ञ समूह द्वारा सर्वसम्मति से बहराइच, खलीलाबाद बी0जी0 नई लाईन परियोजना के निमित्त भूमि अर्जन कर सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं सामाजिक समाघात प्रबन्धन योजना से सहमत होते हुये आवश्यक भूमि का अर्जन किये जाने की संस्तुति गई है।

4– भूमि अर्जन के कारण कोई परिवार विस्थापित नहीं हो रहा है।

5–अतः राज्यपाल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को सामान्य सूचना हेतु अधिसूचित करने के लिये सहर्ष सहमति देते हैं :

अनुसूची

क्र0 सं0	जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा संख्या	अर्जित किये जाने वाला क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6	7
						हेक्टेयर
1	सिद्धार्थनगर	बॉसी	बॉसी पूरब	कपिया शुक्ल	166	1.1215828
2					93	0.2567607
3					214	0.095
4					264	0.0356982
5					265	0.0420754
6					89	0.0598322
7					159	0.1362234
8					215	0.1720832
9					222	0.1055802
10					228	0.0694202
11					185	0.115973
12					262	0.0080796

1	2	3	4	5	6	7
						हेक्टेयर
13	सिद्धार्थनगर	बॉसी	बॉसी पूरब	कपिया शुक्ल	90	0.006227
14					227	0.034
15					225	0.19
16					224	0.0608613
17					213	0.007315
					योग . .	**2.5167122**

6—अधिनियम की धारा 12 के अन्तर्गत निर्दिष्ट एवं प्राविधानित भूमि अधिग्रहण के प्रयोजन हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने के लिये तथा भूमि का सर्वेक्षण, किसी भूमि के लिये समतलीकरण, खुदाई करने तथा कार्य के समुचित क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक क्रियायें करने के लिये राज्यपाल कलेक्टर प्राधिकृत करने हेतु निर्देश देते हैं।

7—अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति जिसका हित भूमि में निहित हो अधिसूचना के प्रकाशन के 60 दिन के अन्दर अपने क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के विरुद्ध लिखित रूप से कलेक्टर को आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

8—अधिनियम की धारा-11(4) के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होने तक कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रारम्भिक अधिूसचना में निर्दिष्ट भूमि का संव्यवहार यथा विक्रय/क्रय या उस भूमि में कोई भार उत्पन्न नहीं कर सकता है।

टिप्पणी :—उक्त भूमि का स्थलीय नक्शा कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

(ह0) अस्पष्ट,
कलेक्टर, सिद्धार्थनगर।

NOTIFICATION

June 24, 2022

[under sub section (1) of section 11 of the act] preliminary notification]

No. 6069(I)/VIII/S.L.A.O.-Siddharthanagar/Notification/2022-23--Under sub-section (1) of Section-11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, Whereas the Government of Uttar Pradesh/Collector (for the purpose of the appropriate Government) is satisfied that a total of 2.5167122 hectare of land is required in the Village-Kapiya Shukla, Pargana-Baansi Purab, Tehsil-Bansi, District-Siddharthnagar is required for public purpose namely project Bahraich-Khalilabad New B. G. Rail Line through Deputy Chief Engineer, General/Construction/Survey, North East Railway, Gorakhpur Mandal, Gorakhpur.

2--Social Impact Assesment study was carried out by the State Social Impact Assesment agency and submits its recommendations to the Appropriate Government (Collector Siddharthnagar) which has approved its recommendation on dated March 30, 2022.

3--The summary of the Social Impact Assessment Report is as follows :-

Center for Indian Bamboo Resource and Technology, Vasundhara Ghaziabad has been done social impact assessment study with the intention of identifying the impacts on the social economic and cultural

status of the families affected by land acquisition and the impacts due to them and suggest ways to minimize these impacts, In the study method, an attempt has been made to find out the socio-economic and cultural status on the basis of interviews of families affected by land acqusition. Apart from this, data has been obtained in respect of the affected villages from different levels like Gram Panchayat, Tehsil level. Apart from this, also consulting various stakeholders related to the construction of the project, the study of social impact assessment has been completed after obtaining the desired information.

In the Village affected by the project, the main problems faced by the affected farmers are the joy in the source of livelihood due to the reduction in the area of agricultural land, reduction in agricultural wages, reduction in agricultural wages, reduction in pasture/barn, increase in pollution. Where as farmers belives that due to construction of rail line and station there will be convenience in traffic, convenience in goods transportation and has been said to generate business and employment.

As a result of this project, it is natural to reduce the cultivable area of the affected villages, but if the affected farmers get proper compensation according to rules of Right to Fair Compensation and Transparency in Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, upgradation of the remaining holdings from the amout received, interested farmers will be benefited by rail construction, ease of transport, access to wide market for agricultural products, facility of selection to sell agricultural products at reasonable prices, etc. The project is not affecting the whole or most part of village. No core population is being affected by this project.

By the construction of new railway line in this area, people will get various types of employment, opportunities directly and indirectly, like transportation, hotel, accommodation, education, health, entertainment, road, electricity *etc*. facilities will be available. It is also definitely possible that as a result of the operation of the new rail line project, the people of the area will grow socially and economically.

Therefore, the potential benefit from this project is much higher than the social cost and adverse social impacts. The land proposed for the acquisition in question is very less relative to the total land required for the project.

However multi-disciplinary expert group unanimoulsy recommends acquisition of necessary land by agreeing with social impact assessment report on land acquisition for Bahraich-Khalilabad BG new rail line project.

4--No families are likely to be displaced due to land acquisition.

5--Therefore the Governor is pleased to notify for general information that the land mentioned in the schedule below is needed for public purpose.

SCHEDULE

Sl. no.	District	Tehsil	Pargana	Village	Plot no.	Area to be acquired
1	2	3	4	5	6	7
						Hectares
1	Siddharthnagar	Baansi	Baansi Purab	Ka piya Shukla	166	1.1215828
2	Siddharthnagar	Baansi	Baansi Purab	Kapiya Shukla	93	0.2567607
3	Siddharthnagar	Baansi	Baansi Purab	Kapiya Shukla	214	0.095
4	Siddharthnagar	Baansi	Baansi Purab	Kapiya Shukla	264	0.0356982
5	Siddharthnagar	Baansi	Baansi Purab	Kapiya Shukla	265	0.0420754

1	2	3	4	5	6	7
						Hectares
6	Siddharthnagar	Baansi	Baansi Purab	Kapiya Shukla	89	0.0598322
7	Siddharthnagar	Baansi	Baansi Purab	Kapiya Shukla	159	0.1362234
8	Siddharthnagar	Baansi	Baansi Purab	Kapiya Shukla	215	0.1720832
9	Siddharthnagar	Baansi	Baansi Purab	Kapiya Shukla	222	0.1055802
10	Siddharthnagar	Baansi	Baansi Purab	Kapiya Shukla	228	0.0694202
11	Siddharthnagar	Baansi	Baansi Purab	Kapiya Shukla	185	0.115973
12	Siddharthnagar	Baansi	Baansi Purab	Kapiya Shukla	262	0.0080796
13	Siddharthnagar	Baansi	Baansi Purab	Kapiya Shukla	90	0.006227
14	Siddharthnagar	Baansi	Baansi Purab	Kapiya Shukla	227	0.034
15	Siddharthnagar	Baansi	Baansi Purab	Kapiya Shukla	225	0.19
16	Siddharthnagar	Baansi	Baansi Purab	Kapiya Shukla	224	0.0608613
17	Siddharthnagar	Baansi	Baansi Purab	Kapiya Shukla	213	0.007315
					Total . .	**2.5167122**

6--The Governor is also pleased to authorise the Collector for the purpose of the land acquisition to takes necessary steps to enter upon and survey of land, take levels of any land, dig or sub soil into the sub-oil and do all the acts required for the proper execution of work as provided and specified under section 12 of the Act.

7--Under section-15 of the Act, any person interested in the land may within 60 days after the publication of this notification, make an objection to the acquisition of land in the locality in writing to the Collector.

8--Under section-11(4) of the Act, no person shall make any transaction or cause any transaction of the land *i.e*. sale/purchase, specified in the preliminary notification or create any encumbrances on such land from the date of publication of such notification till such time as the proceedings of land acquisition is completed, without prior approval of the Collector.

NOTE : A plan of land may be inspected in the Office of the Collector for the purpose of acquisition.

By order,
(*Sd.*) ILLEGIBLE,
Collector, Siddharthnagar.

24 जून, 2022 ई0

सं0 6070(I)/आठ-वि0भू0अ0अ0 सि0नगर/अधि0सू0/2022-23–भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन उत्तर प्रदेश सरकार/कलेक्टर (समुचित सरकार के उद्देश्य हेतु) राय है, कि उप मुख्य अभियन्ता, कन्सट्रक्शन/जनरल, नार्थ ईस्ट रेलवे, गोरखपुर के माध्यम से सार्वजनिक प्रयोजन बहराइच खलीलाबाद बी0जी0 रेल लाईन परियोजना हेतु जनपद सिद्धार्थनगर, तहसील बॉसी, परगना बॉसी पूरब, ग्राम पचारी कलॉ में रकबा 5.610219 हे0 भूमि की आवश्यकता है।

2–राज्य सामाजिक समाघात निर्धारण एजेन्सी द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन किया गया है तथा समुचित सरकार (कलेक्टर, सिद्धार्थनगर) को अपनी अनुशंसा प्रस्तुत की गई है। जिसे कलेक्टर, सिद्धार्थनगर द्वारा दिनांक 30 मार्च, 2022 को अनुमोदित किया गया है।

3–**सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश इस प्रकार है–**

सेन्टर फॉर इण्डियन बाम्बू रिसोर्स एण्ड टेक्नालॉजी (सीबार्ट) वसुन्धरा, गाजियाबाद द्वारा भूमि अधिग्रहण से प्रभावित परिवारों की सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्थिति पर पड़ने वाले प्रभावों एवं उससे होने वाले दुष्प्रभावों का अभिज्ञान कर इन प्रभावों को कम से कम करने का सुझाव देने के आशय से सामाजिक समाघात अध्ययन/प्रबन्धन आख्या तैयार किया गया है। अध्ययन पद्धति में भूमि अधिग्रहण से प्रभावित परिवारों से साक्षात्कार के आधार पर सामाजिक आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्थिति ज्ञात करने का प्रयास किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रभावित ग्रामों के सम्बन्ध में विभिन्न स्तरों यथा ग्राम पंचायत तहसील स्तर से आकड़े प्राप्त किये गये हैं। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण से सम्बन्धित विभिन्न हितधारकों से भी विचार विमर्श कर वांछित जानकारी प्राप्त कर सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन पूर्ण किया गया है।

परियोजना से प्रभावित ग्राम में प्रभावित कृषकों द्वारा मुख्य समस्याओं कृषि भूमि के क्षेत्रफल में कमी आने के कारण आजीविका के श्रोत में ह्रास, कृषिगत मजदूरी में कमी, चारागाह/खलिहान में कमी, प्रदूषण में वृद्धि बताई गई, वहीं अधिकतर कृषकों द्वारा नई रेल लाईन के निर्माण से आवागमन में सुविधा माल ढुलाई में सुविधा तथा रेलवे स्टेशन के निर्माण से व्यापार एवं रोजगार के सृजन होने की बात कही गई है।

इस परियोजना के फलस्वरूप प्रभावित ग्रामों के कृषि योग्य क्षेत्रफल में कमी आना स्वाभाविक है किन्तु प्रभावित कृषकों को भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के नियमों के अनुसार प्रतिकर मिलने की स्थिति में प्राप्त धनराशि से अवशेष जोत का उन्नयन, रेल निर्माण से आवागमन, यातायात में सुगमता, कृषि उत्पाद हेतु विस्तृत बाजार तक पहुंच, कृषि उत्पादों को उचित मूल्य पर बेचने के चयन की सुविधा, वैकल्पिक रोजगार के साधनों में विकास, बेहतर आवास के निर्माण, परिवहन के साधनों का विकास होना सम्भावी है, आदि से किसान लाभान्वित होंगे जिससे कृषि जोत में आई कमी को पूर्ण किया जा सकता है। परियोजना ग्राम के सम्पूर्ण अथवा अधिकांश भाग को प्रभावित नहीं कर रही है। इस परियोजना से कोई मुख्य आबादी प्रभावित नहीं हो रही है। इस क्षेत्र में नई रेल लाइन के निर्माण से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से लोगों को विभिन्न प्रकार के रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। जैसे परिवहन, होटल, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन, सड़क, विद्युत आदि की सुविधायें प्राप्त होंगी। यह भी निश्चित रूप से संभावित है कि नई रेल लाइन परियोजना के संचालन के परिणाम स्वरूप क्षेत्र के लोगों के सामाजिक, आर्थिक क्षेत्र में वृद्धि होगी।

अतः इस परियोजना से संभावित लाभ सामाजिक खर्च एवं प्रतिकूल सामाजिक समाघातों की तुलना में कहीं अधिक है। परियोजना के लिये आवश्यक कुल भूमि के सापेक्ष प्रश्नगत अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि अत्यन्त कम है।

अस्तु बहुशाखीय विशेषज्ञ समूह द्वारा सर्वसम्मति से बहराइच, खलीलाबाद बी0जी0 नई लाईन परियोजना के निमित्त भूमि अर्जन कर सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं सामाजिक समाघात प्रबन्धन योजना से सहमत होते हुये आवश्यक भूमि का अर्जन किये जाने की संस्तुति गई है।

4– भूमि अर्जन के कारण कोई परिवार विस्थापित नहीं हो रहा है।

5–अतः राज्यपाल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को सामान्य सूचना हेतु अधिसूचित करने के लिये सहर्ष सहमति देते हैं :

अनुसूची

क्र0 सं0	जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा संख्या	अर्जित किये जाने वाला क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6	7
						हेक्टेयर
1	सिद्धार्थनगर	बॉसी	बॉसी पूरब	पचारी कलॉ	141	0.1327394
2					143	0.220332
3					144	0.4381265
4					146	0.349444
5					147	0.7886224
6					149	0.0920607
7					150	0.0401021
8					162	0.0827302
9					161	0.2194864
10					165	0.3818005
11					159	0.119459
12					157	0.1002958
13					158	0.8538062
14					249	0.1341131
15					252	1.2604446
16					253	0.3966561
					कुल क्षेत्रफल	**5.610219**

6–अधिनियम की धारा 12 के अन्तर्गत निर्दिष्ट एवं प्राविधानित भूमि अधिग्रहण के प्रयोजन हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने के लिये तथा भूमि का सर्वेक्षण, किसी भूमि के लिये समतलीकरण, खुदाई करने तथा कार्य के समुचित क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक क्रियायें करने के लिये राज्यपाल कलेक्टर प्राधिकृत करने हेतु निर्देश देते हैं।

7–अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति जिसका हित भूमि में निहित हो अधिसूचना के प्रकाशन के 60 दिन के अन्दर अपने क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के विरुद्ध लिखित रूप से कलेक्टर को आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

8–अधिनियम की धारा-11(4) के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होने तक कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रारम्भिक अधिूसचना में निर्दिष्ट भूमि का संव्यवहार यथा विक्रय/क्रय या उस भूमि में कोई भार उत्पन्न नहीं कर सकता है।

टिप्पणी :–उक्त भूमि का स्थलीय नक्शा कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

(ह0) अस्पष्ट,
कलेक्टर, सिद्धार्थनगर।

NOTIFICATION

June 24, 2022

[under sub section (1) of section 11 of the act] preliminary notification

No. 6070(I)/VIII/S.L.A.O.-Siddharthanagar/Notification/2022-23--Under sub-section (1) of Section-11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, Whereas the Government of Uttar Pradesh/Collector (for the purpose of the appropriate Government) is satisfied that a total of 5.610219 hectare of land is required in the Village-Pachari Kala, Pargana-Baansi Purab, Tehsil-Bansi, District-Siddharthnagar is required for public purpose namely project Bahraich-Khalilabad New B. G. Rail Line through Deputy Chief Engineer, General/Construction/Survey, North East Railway, Gorakhpur Mandal, Gorakhpur.

2--Social Impact Assesment study was carried out by the State Social Impact Assesment Agency and submits its recommendations to the Appropriate Government (Collector Siddharthnagar) which has approved its recommendation on dated March 30, 2022.

3--The summary of the Social Impact Assessment Report is as follows :-

Center for Indian Bamboo Resource and Technology, Vasundhara Ghaziabad has been done social impact assessment study with the intention of identifying the impacts on the social economic and cultural status of the families affected by land acquisition and the impacts due to them and suggest ways to minimize these impacts, In the study method, an attempt has been made to find out the socio-economic and cultural status on the basis of interviews of families affected by land acqusition. Apart from this, data has been obtained in respect of the affected villages from different levels like Gram Panchayat, Tehsil level. Apart from this, also after consulting various stakeholders related to the construction of the project, the study of social impact assessment has been completed after obtaining the desired information.

In the Village affected by the project, the main problems faced by the affected farmers are the joy in the source of livelihood due to the reduction in the area of agricultural land, reduction in agricultural wages, reduction in pasture/barn, increase in pollution. Whereas farmers belives that due to construction of rail line and station there will be convenience in traffic, convenience in goods transportation and has been said to generate business and employment.

As a result of this project, it is natural to reduce the cultivable area of the affected villages, but if the affected farmers get proper compensation according to rules of Right to Fair Compensation and Transparency in Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, upgradation of the remaining holdings from the amout received, interested farmers will be benefited by rail construction, ease of transport, access to wide market for agricultural products, facility of selection to sell agricultural products at reasonable prices, *etc*. The project is not affecting the whole or most part of village. No core population is being affected by this project.

By the construction of new railway line in this area, people will get various types of employment, opportunities directly and indirectly, like transportation, hotel, accommodation, education, health, entertainment, road, electricity *etc*. Facilities will be available. It is also definitely possible that as a result of the operation of the new rail line project, the people of the area will grow socially and economically.

Therefore, the potential benefit from this project is much higher than the social cost and adverse social impacts. The land proposed for the acquisition in question is very less relative to the total land required for the project.

However multi-disciplinary expert group unanimoulsy recommends acquisition of necessary land by agreeing with social impact assessment report on land acquisition for Bahraich-Khalilabad B.G new rail line project.

4--No families are likely to be displaced due to land acquisition.

5--Therefore the Governor is pleased to notify for general information that the land mentioned in the schedule below is needed for public purpose.

SCHEDULE

Sl. no.	District	Tehsil	Pargana	Village	Plot no.	Area to be acquired
1	2	3	4	5	6	7
						Hectares
1	Siddharthnagar	Baansi	Baansi Purab	Pachari Kala	141	0.1327394
2	Siddharthnagar	Baansi	Baansi Purab	Pachari Kala	143	0.220332
3	Siddharthnagar	Baansi	Baansi Purab	Pachari Kala	144	0.4381265
4	Siddharthnagar	Baansi	Baansi Purab	Pachari Kala	146	0.349444
5	Siddharthnagar	Baansi	Baansi Purab	Pachari Kala	147	0.7886224
6	Siddharthnagar	Baansi	Baansi Purab	Pachari Kala	149	0.0920607
7	Siddharthnagar	Baansi	Baansi Purab	Pachari Kala	150	0.0401021
8	Siddharthnagar	Baansi	Baansi Purab	Pachari Kala	162	0.0827302
9	Siddharthnagar	Baansi	Baansi Purab	Pachari Kala	161	0.2194864
10	Siddharthnagar	Baansi	Baansi Purab	Pachari Kala	165	0.3818005
11	Siddharthnagar	Baansi	Baansi Purab	Pachari Kala	159	0.119459
12	Siddharthnagar	Baansi	Baansi Purab	Pachari Kala	157	0.1002958
13	Siddharthnagar	Baansi	Baansi Purab	Pachari Kala	158	0.8538062
14	Siddharthnagar	Baansi	Baansi Purab	Pachari Kala	249	0.1341131
15	Siddharthnagar	Baansi	Baansi Purab	Pachari Kala	252	1.2604446
16	Siddharthnagar	Baansi	Baansi Purab	Pachari Kala	253	0.3966561
					Total . .	**5.610219**

6--The Governor is also pleased to authorise the Collector for the purpose of the land acquisition to takes necessary steps to enter upon and survey of land, take levels of any land, dig or sub soil into the sub-oil and do all the acts required for the proper execution of work as provided and specified under section 12 of the Act.

7--Under section-15 of the Act, any person interested in the land may within 60 days after the publication of this notification, make an objection to the acquisition of land in the locality in writing to the Collector.

8--Under section-11(4) of the Act, no person shall make any transaction or cause any transaction of the land *i.e*. sale/purchase, specified in the preliminary notification or create any encumbrances on such land from the date of publication of such notification till such time as the proceedings of land acquisition is completed, without prior approval of the Collector.

NOTE : A plan of land may be inspected in the Office of the Collector for the purpose of acquisition.

(*Sd.*) ILLEGIBLE,
Collector, Siddharthnagar.

24 जून, 2022 ई0

सं0 6071(I)/आठ-वि0भू0अ0अ0 सि0नगर/अधि0सू0/2022-23–भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन उत्तर प्रदेश सरकार/कलेक्टर (समुचित सरकार के उद्देश्य हेतु) राय है, कि उप मुख्य अभियन्ता, कन्सट्रक्शन/जनरल, नार्थ ईस्ट रेलवे, गोरखपुर के माध्यम से सार्वजनिक प्रयोजन बहराइच खलीलाबाद बी0जी0 रेल लाईन परियोजना हेतु जनपद सिद्धार्थनगर, तहसील बॉसी, परगना बॉसी पूरब, ग्राम काजी रुधौली में रकबा 5.9344461 हे0 भूमि की आवश्यकता है।

2–राज्य सामाजिक समाघात निर्धारण एजेन्सी द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन किया गया है तथा समुचित सरकार (कलेक्टर, सिद्धार्थनगर) को अपनी अनुशंसा प्रस्तुत की गई है। जिसे कलेक्टर, सिद्धार्थनगर द्वारा दिनांक 30 मार्च, 2022 को अनुमोदित किया गया है।

3–**सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश इस प्रकार है–**

सेन्टर फॉर इण्डियन बाम्बू रिसोर्स एण्ड टेक्नालॉजी (सीबार्ट) वसुन्धरा, गाजियाबाद द्वारा भूमि अधिग्रहण से प्रभावित परिवारों की सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्थिति पर पड़ने वाले प्रभावों एवं उससे होने वाले दुष्प्रभावों का अभिज्ञान कर इन प्रभावों को कम से कम करने का सुझाव देने के आशय से सामाजिक समाघात अध्ययन/प्रबन्धन आख्या तैयार किया गया है। अध्ययन पद्धति में भूमि अधिग्रहण से प्रभावित परिवारों से साक्षात्कार के आधार पर सामाजिक आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्थिति ज्ञात करने का प्रयास किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रभावित ग्रामों के सम्बन्ध में विभिन्न स्तरों यथा ग्राम पंचायत तहसील स्तर से आकड़े प्राप्त किये गये हैं। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण से सम्बन्धित विभिन्न हितधारकों से भी विचार विमर्श कर वांछित जानकारी प्राप्त कर सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन पूर्ण किया गया है।

परियोजना से प्रभावित ग्राम में प्रभावित कृषकों द्वारा मुख्य समस्याओं कृषि भूमि के क्षेत्रफल में कमी आने के कारण आजीविका के श्रोत में ह्रास, कृषिगत मजदूरी में कमी, चारागाह/खलिहान में कमी, प्रदूषण में वृद्धि बताई गई, वहीं अधिकतर कृषकों द्वारा नई रेल लाईन के निर्माण से आवागमन में सुविधा माल ढुलाई में सुविधा तथा रेलवे स्टेशन के निर्माण से व्यापार एवं रोजगार के सृजन होने की बात कही गई है।

इस परियोजना के फलस्वरूप प्रभावित ग्रामों के कृषि योग्य क्षेत्रफल में कमी आना स्वाभाविक है किन्तु प्रभावित कृषकों को भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के नियमों के अनुसार प्रतिकर मिलने की स्थिति में प्राप्त धनराशि से अवशेष जोत का उन्नयन, रेल निर्माण से आवागमन, यातायात में सुगमता, कृषि उत्पाद हेतु विस्तृत बाजार तक पहुंच, कृषि उत्पादों को उचित मूल्य पर बेचने के चयन की सुविधा, वैकल्पिक रोजगार के साधनों में विकास, बेहतर आवास के निर्माण, परिवहन के साधनों का विकास होना सम्भावी है, आदि से किसान लाभान्वित होंगे जिससे कृषि जोत में आई कमी को पूर्ण किया जा सकता है। परियोजना ग्राम के सम्पूर्ण अथवा अधिकांश भाग को प्रभावित नहीं कर रही है। इस परियोजना से कोई मुख्य आबादी प्रभावित नहीं हो रही है। इस क्षेत्र में नई रेल लाइन के निर्माण से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से लोगों को विभिन्न प्रकार

के रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। जैसे परिवहन, होटल, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन, सड़क, विद्युत आदि की सुविधायें प्राप्त होंगी। यह भी निश्चित रूप से संभावित है कि नई रेल लाइन परियोजना के संचालन के परिणाम स्वरूप क्षेत्र के लोगों के सामाजिक, आर्थिक क्षेत्र में वृद्धि होगी।

अतः इस परियोजना से संभावित लाभ सामाजिक खर्च एवं प्रतिकूल सामाजिक समाघातों की तुलना में कहीं अधिक है। परियोजना के लिये आवश्यक कुल भूमि के सापेक्ष प्रश्नगत अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि अत्यन्त कम है।

अस्तु बहुशाखीय विशेषज्ञ समूह द्वारा सर्वसम्मति से बहराइच, खलीलाबाद बी0जी0 नई रेल लाईन परियोजना के निमित्त भूमि अर्जन कर सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं सामाजिक समाघात प्रबन्धन योजना से सहमत होते हुये आवश्यक भूमि का अर्जन किये जाने की संस्तुति गई है।

4—भूमि अर्जन के कारण कोई परिवार विस्थापित नहीं हो रहा है।

5—अतः राज्यपाल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को सामान्य सूचना हेतु अधिसूचित करने के लिये सहर्ष सहमति देते हैं :

अनुसूची

क्र0 सं0	जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा संख्या	अर्जित किये जाने वाला क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6	7
						हेक्टेयर
1	सिद्धार्थनगर	बॉसी	बॉसी पूरब	काजी रूधौली	40	0.3107344
2					80	0.013189
3					333	0.063
4					39	0.2930206
5					283	0.04322447
6					178	0.1420669
7					163	0.0271302
8					33	0.0704623
9					179	0.6670052
10					46	0.007
11					296	0.0656714
12					47	0.5714128
13					212	0.0187127
14					281	0.2118724
15					291	0.0573659
16					302	0.0247424
17					43	0.2804253
18					295	0.0653904
19					150	0.001

1	2	3	4	5	6	7
						हेक्टेयर
20					79	0.0383988
21					41	0.291918
22					42	0.2797962
23					44	0.1819546
24					280	0.078
25					213	0.0434607
26					214	0.131906
27					215	0.4096074
28					32	0.1084787
29					164	0.0255354
30					165	0.035753
31					166	0.0151167
32					167	0.0135043
33					170	0.0061141
34					171	0.0394884
35					293	0.181
36					31	0.1765547
37					311	0.0092265
38					298	0.1148419
39					294	0.0636237
40					297	0.1707204
41					77	0.385
42					78	0.201
					कुल क्षेत्रफल	5.9344461

6—अधिनियम की धारा 12 के अन्तर्गत निर्दिष्ट एवं प्राविधानित भूमि अधिग्रहण के प्रयोजन हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने के लिये तथा भूमि का सर्वेक्षण, किसी भूमि के लिये समतलीकरण, खुदाई करने तथा कार्य के समुचित क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक क्रियायें करने के लिये राज्यपाल कलेक्टर प्राधिकृत करने हेतु निर्देश देते हैं।

7—अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति जिसका हित भूमि में निहित हो अधिसूचना के प्रकाशन के 60 दिन के अन्दर अपने क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के विरुद्ध लिखित रूप से कलेक्टर को आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

8—अधिनियम की धारा-11(4) के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होने तक कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रारम्भिक अधिूसचना में निर्दिष्ट भूमि का संव्यवहार यथा विक्रय/क्रय या उस भूमि में कोई भार उत्पन्न नहीं कर सकता है।

टिप्पणी :—उक्त भूमि का स्थलीय नक्शा कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

(ह0) अस्पष्ट,
कलेक्टर, सिद्धार्थनगर।

NOTIFICATION

June 24, 2022

[Under sub section (1) of section 11 of the act] preliminary notification

No. 6071(I)/VIII/S.L.A.O.-Siddharthanagar/Notification/2022-23--Under sub-section (1) of Section-11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, Whereas the Government of Uttar Pradesh/Collector (for the purpose of the appropriate Government) is satisfied that a total of 5.9344461 hectare of land is required in the Village-Kazi Rudhauli, Pargana-Baansi Purab, Tehsil-Bansi, District-Siddharthnagar is required for public purpose namely project Bahraich-Khalilabad New B. G. Rail Line through Deputy Chief Engineer, General/Construction/Survey, North East Railway, Gorakhpur Mandal, Gorakhpur.

2--Social Impact Assesment study was carried out by the State Social Impact Assesment Agency and submits its recommendations to the Appropriate Government (Collector Siddharthnagar) which has approved its recommendation on dated March 30, 2022.

3--The summary of the Social Impact Assessment Report is as follows :-

Center for Indian Bamboo Resource and Technology, Vasundhara Ghaziabad has been done social impact assessment study with the intention of identifying the impacts on the social economic and cultural status of the families affected by land acquisition and the impacts due to them and suggest ways to minimize these impacts, In the study method, an attempt has been made to find out the socio-economic and cultural status on the basis of interviews of families affected by land acqusition. Apart from this, data has been obtained in respect of the affected villages from different levels like Gram Panchayat, Tehsil level. Apart from this, also consulting various stakeholders related to the construction of the project, the study of social impact assessment has been completed after obtaining the desired information.

In the village affected by the project, the main problems faced by the affected farmers are the joy in the source of livelihood due to the reduction in the area of agricultural land, reduction in agricultural wages, reduction in pasture/barn, increase in pollution. Whereas farmers belives that due to construction of rail line and station there will be convenience in traffic, convenience in goods transportation and has been said to generate business and employment.

As a result of this project, it is natural to reduce the cultivable area of the affected villages, but if the affected farmers get proper compensation according to rules of Right to Fair Compensation and Transparency in Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, upgradation of the remaining holdings from the

amout received, interested farmers will be benefited by rail construction, ease of transport, access to wide market for agricultural products, facility of selection to sell agricultural products at reasonable prices, *etc*. The project is not affecting the whole or most part of village. No core population is being affected by this project.

By the construction of new railway line in this area, people will get various types of employment, opportunities directly and indirectly, like transportation, hotel, accommodation, education, health, entertainment, road, electricity *etc*. facilities will be available. It is also definitely possible that as a result of the operation of the new rail line project, the people of the area will grow socially and economically.

Therefore, the potential benefit from this project is much higher than the social cost and adverse social impacts. The land proposed for the acquisition in question is very less relative to the total land required for the project.

However multi-disciplinary expert group unanimoulsy recommends acquisition of necessary land by agreeing with social impact assessment report on land acquisition for Bahraich-Khalilabad BG new rail line project.

4--No families are likely to be displaced due to land acquisition.

5--Therefore the Governor is pleased to notify for general information that the land mentioned in the schedule below is needed for public purpose.

SCHEDULE

Sl. no.	District	Tehsil	Pargana	Village	Plot no.	Area to be acquired
1	2	3	4	5	6	7
						Hectares
1	Siddharthnagar	Baansi	Baansi Purab	Kazi Rudhauli	40	0.3107344
2	Siddharthnagar	Baansi	Baansi Purab	Kazi Rudhauli	80	0.013189
3	Siddharthnagar	Baansi	Baansi Purab	Kazi Rudhauli	333	0.063
4	Siddharthnagar	Baansi	Baansi Purab	Kazi Rudhauli	39	0.2930206
5	Siddharthnagar	Baansi	Baansi Purab	Kazi Rudhauli	283	0.0432447
6	Siddharthnagar	Baansi	Baansi Purab	Kazi Rudhauli	178	0.1420669
7	Siddharthnagar	Baansi	Baansi Purab	Kazi Rudhauli	163	0.0271302
8	Siddharthnagar	Baansi	Baansi Purab	Kazi Rudhauli	33	0.0704623
9	Siddharthnagar	Baansi	Baansi Purab	Kazi Rudhauli	179	0.6670052
10	Siddharthnagar	Baansi	Baansi Purab	Kazi Rudhauli	46	0.007
11	Siddharthnagar	Baansi	Baansi Purab	Kazi Rudhauli	296	0.0656714

1	2	3	4	5	6	7
						Hectares
12	Siddharthnagar	Baansi	Baansi Purab	Kazi Rudhauli	47	0.5714128
13	Siddharthnagar	Baansi	Baansi Purab	Kazi Rudhauli	212	0.0187127
14	Siddharthnagar	Baansi	Baansi Purab	Kazi Rudhauli	281	0.2118724
15	Siddharthnagar	Baansi	Baansi Purab	Kazi Rudhauli	291	0.0573659
16	Siddharthnagar	Baansi	Baansi Purab	Kazi Rudhauli	302	0.0247424
17	Siddharthnagar	Baansi	Baansi Purab	Kazi Rudhauli	43	0.2804253
18	Siddharthnagar	Baansi	Baansi Purab	Kazi Rudhauli	295	0.0653904
19	Siddharthnagar	Baansi	Baansi Purab	Kazi Rudhauli	150	0.001
20	Siddharthnagar	Baansi	Baansi Purab	Kazi Rudhauli	79	0.0383988
21	Siddharthnagar	Baansi	Baansi Purab	Kazi Rudhauli	41	0.291918
22	Siddharthnagar	Baansi	Baansi Purab	Kazi Rudhauli	42	0.2797962
23	Siddharthnagar	Baansi	Baansi Purab	Kazi Rudhauli	44	0.1819546
24	Siddharthnagar	Baansi	Baansi Purab	Kazi Rudhauli	280	0.078
25	Siddharthnagar	Baansi	Baansi Purab	Kazi Rudhauli	213	0.0434607
26	Siddharthnagar	Baansi	Baansi Purab	Kazi Rudhauli	214	0.131906
27	Siddharthnagar	Baansi	Baansi Purab	Kazi Rudhauli	215	04096074
28	Siddharthnagar	Baansi	Baansi Purab	Kazi Rudhauli	32	0.1084787
29	Siddharthnagar	Baansi	Baansi Purab	Kazi Rudhauli	164	0.0255354
30	Siddharthnagar	Baansi	Baansi Purab	Kazi Rudhauli	165	0.035753
31	Siddharthnagar	Baansi	Baansi Purab	Kazi Rudhauli	166	0.0151167
32	Siddharthnagar	Baansi	Baansi Purab	Kazi Rudhauli	167	0.0135043
33	Siddharthnagar	Baansi	Baansi Purab	Kazi Rudhauli	170	0.0061141
34	Siddharthnagar	Baansi	Baansi Purab	Kazi Rudhauli	171	0.0394884
35	Siddharthnagar	Baansi	Baansi Purab	Kazi Rudhauli	293	0.181
36	Siddharthnagar	Baansi	Baansi Purab	Kazi Rudhauli	31	0.1765547
37	Siddharthnagar	Baansi	Baansi Purab	Kazi Rudhauli	311	0.0092265

1	2	3	4	5	6	7
						Hectares
38	Siddharthnagar	Baansi	Baansi Purab	Kazi Rudhauli	298	0.1148419
39	Siddharthnagar	Baansi	Baansi Purab	Kazi Rudhauli	294	0.0636237
40	Siddharthnagar	Baansi	Baansi Purab	Kazi Rudhauli	297	0.1707204
41	Siddharthnagar	Baansi	Baansi Purab	Kazi Rudhauli	77	0.385
42	Siddharthnagar	Baansi	Baansi Purab	Kazi Rudhauli	78	0.201
					Total . .	**5.9344461**

6--The Governor is also pleased to authorise the Collector for the purpose of the land acquisition to takes necessary steps to enter upon and survey of land, take levels of any land, dig or sub soil into the sub-oil and do all the acts required for the proper execution of work as provided and specified under section 12 of the Act.

7--Under section-15 of the Act, any person interested in the land may within 60 days after the publication of this notification, make an objection to the acquisition of land in the locality in writing to the Collector.

8--Under section-11(4) of the Act, no person shall make any transaction or cause any transaction of the land *i.e*. sale/purchase, specified in the preliminary notification or create any encumbrances on such land from the date of publication of such notification till such time as the proceedings of land acquisition is completed, without prior approval of the Collector.

NOTE : A plan of land may be inspected in the Office of the Collector for the purpose of acquisition.

(*Sd*.) ILLEGIBLE,
Collector, Siddharthnagar.

कार्यालय, चकबन्दी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

08 जून, 2022 ई0

सं0 2061/जी0-213/2021-22—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, रणवीर प्रसाद, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील कासगंज, परगना फैजपुर बदरिया, जनपद कासगंज के ग्राम नगला काशी में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 2062/जी0-28/2022-23(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित

अधिकारों का प्रयोग करके मैं, रणवीर प्रसाद, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील बिल्सी, परगना कोट, जनपद बदायूं के निम्नलिखित ग्रामों में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

अनुसूची

क्र0	जनपद का नाम	तहसील	ग्राम का नाम
1	2	3	4
1	बदायूं	बिल्सी	1—नागरझूना 2—मेवली

सं0 2063/जी0-160/91(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, रणवीर प्रसाद, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील सदर, परगना मऊनाथ भंजन, जनपद मऊ के ग्राम इन्दरपुर में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 2064/जी0-154/78—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, रणवीर प्रसाद, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील व परगना कुलपहाड़, जनपद महोबा के ग्राम कुलपहाड़ में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

रणवीर प्रसाद,
चकबन्दी संचालक,
उत्तर प्रदेश।

पी0एस0यू0पी0—18 हिन्दी गजट—भाग 1-क—2022 ई0।
मुद्रक एवं प्रकाशक—निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

रजिस्टर्ड नं०–ए०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 30 जुलाई, 2022 ई० (श्रावण 8, 1944 शक संवत्)

भाग 8

सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गांठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आंकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आंकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार-भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि।

कार्यालय, नगरपालिका परिषद्, बीसलपुर-पीलीभीत

19 जुलाई, 2022 ई0

सं0 103/न0पा0परि0बी0/2022-23–संख्या 279/23-166 (74-75) उ0प्र0 नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 298 (2) लिस्ट आई एच (एफ) के अन्तर्गत अधिकारों का प्रयोग करके नगरपालिका बोर्ड बीसलपुर द्वारा अपनी सीमा के अन्दर किसी स्थान अथवा भवन पर विज्ञापन-पत्र पोस्टर, सूचियां एवं कपड़ों के वैनर तथा साइन बोर्ड द्वारा विज्ञापनों को नियंत्रित करने हेतु उपविधि तैयार कर दैनिक समाचार-पत्र "स्वतंत्र भारत" में दिनांक 20 मई, 2012 को प्रकाशित करायी गयी। उक्त उपविधि प्रकाशन के उपरान्त कोई भी आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त नहीं हुये। जिसकी स्वीकृति आयुक्त महोदय रूहेलखण्ड मण्डल, बरेली ने पूर्व प्रकाशन के उपरान्त प्रदान की थी नगरपालिका अधिनियम की धारा 301 (2) के अन्तर्गत उक्त उपनियम दिनांक 15 दिसम्बर, 1975 से प्रभावी हुआ था, जिसके सम्बन्ध में पालिका बोर्ड बैठक दिनांक 31 जुलाई, 2019 प्रस्ताव संख्या 4 को सर्वसम्मति से स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। अतः निम्नांकित विवरण के अनुसार उपविधि पुनः अन्तिम रूप से लागू किये जाने हेतु प्रकाशित की जाती है।

विज्ञापन शुल्क उपविधि

परिभाषायें–इन उपनियमों में जब तक विषय अथवा प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न हों–

(अ) ऐक्ट से तात्पर्य उ0प्र0 म्युनिसिपैलटीज ऐक्ट, 1916 से है।

(ब) बोर्ड का तात्पर्य नगरपालिका बोर्ड बीसलपुर से है।

(स) नगरपालिका की सीमा से तात्पर्य नगरपालिका बोर्ड बीसलपुर की सीमा से है तथा भविष्य में संशोधित सीमायें भी इसमें सम्मिलित मानी जायेगी।

(द) प्रशासक का तात्पर्य नगरपालिका बोर्ड बीसलपुर से है।

(ड) अधिशासी अधिकारी का तात्पर्य नगर बोर्ड बीसलपुर से है।

(ढ) विज्ञापन से तात्पर्य किसी ऐसे पत्रक सूचना पोस्टर कपड़े के बैनर कागज के छोटे पोस्टर चिपकाने वाले या साइन बोर्ड या अन्य किसी ऐसी वस्तु से है। जो विज्ञापन के लिये प्रयुक्त की गयी हो जिसमें स्टैन्सिल के छापे लिखे हुये या रंगीन तथा व तस्वीरें और रेखाचित्र भी सम्मिलित है। जो इस हेतु बनाये गये हो।

(च) भवन से तात्पर्य घर चन्दोवा या छप्पर अथवा अन्य छतदार निर्मित, चाहे व किसी भी निर्मित बनायी गयी हो तथा उसके प्रत्येक भाग से है। जिसमें तम्बू या इस प्रकार का छोटा अस्थायी शरणगाह सम्मिलित नहीं है।

(छ) व्यक्ति में वे सभी सम्मिलित है जो विज्ञापन कार्य करने के लिये नियुक्त किये गये हो तथा फर्म या कम्पनी, कम्पनी मालिक, स्वामी, प्रतिनिधी, साझीदार या प्रबंधक आदि या जिसके लिये विज्ञापन प्रदर्शित किया गया हो।

1—अधिशासी अधिकारी एवं कर अधीक्षक के नियंत्रण से अभिलेखों का रख-रखाव करायेंगे तथा अनुज्ञापन जारी करेंगे।

2—कोई भी व्यक्ति नगरपालिका बोर्ड, बीसलपुर को सीमा के भीतर किसी स्थान या भवन अथवा वाहन कोई विज्ञापन जिसका उल्लेख अपर अधिनियम 1 में किया गया है प्रदर्शित करने, जनता का ध्यान आकर्षित करने के लिये बिना अधिशासी अधिकारी से पूर्व स्वीकृति प्राप्त किये न तो लगवायेगा और न लगवाने का अधिकार होगा।

3—नगरपालिका बोर्ड बीसलपुर को सीमा के भीतर किसी स्थान के उपयोग की आज्ञा प्राप्त करने के लिये आवेदन-पत्र निश्चित स्थान के दो स्पष्ट मानचित्रों, प्रदर्शित की जाने वाली सामग्री या बनाये जाने वाली तस्वीर को दो प्रति या विज्ञापन आकार तथा जितने समय के लिये आज्ञा मांगी गयी हो उसके उल्लेख के अधिशासी अधिकारी को प्रस्तुत की जानी चाहिये जो उसके विषय भाषा तथा स्थान की उपयुक्ता आदि को देखते हुये अशिष्ठता, उत्तेजनात्मक तथा नैतिक दृष्टिकोण से विज्ञापन के आपत्ति जनक चरित्र की जांच करने के पश्चात् लिखित रूप में आज्ञा प्रदान करने अस्वीकृत आवेदकों पर अस्वीकृति के कारण लिखित रूप में दिये जायेंगे।

4—इन उपनियमों के अन्तर्गत प्रत्येक आशा के स्वीकार किये जाने पर निम्नलिखित दर से शुल्क अग्रिम जमा करना होगा—

(क) रु0 25.00 (पच्चीस रुपया) प्रति वर्ग फुट प्रतिमाह।

(ख) 6 माह से अधिक की अनुमति नहीं दी जायेगी।

(ग) जो व्यक्ति/फर्म/नगर में होर्डिंग/ग्लोसाइन बोर्ड लगाना चाहेगा उसे अंकन रु0 5,000 (पांच हजार रुपया) बतौर जमानत धनराशि पंजीकरण करने हेतु पालिका में जमा करनी होगी। जिसका नीवीनकरण प्रत्येक 6 माह उपरान्त अंकन रु0 500 (पांच सौ रुपये) जमा करने पर किया जायेगा।

5—साईन बोर्ड, ग्लोसाइन बोर्ड फ्लैक्सी का आकार अधिकतम 150 वर्ग फिट का होगा। कपड़े के वैनर की चौड़ाई 2-1/2 फीट से अधिक नहीं होगी और वह सड़क के धरातल से 12 फिट की ऊंचाई से कम पर प्रदर्शित नहीं किया जायेगा।

6—अधिशासी अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह अपने द्वारा किसी स्वीकृत आज्ञा को आपात स्थिति में या जनहित में रद्द कर दें या काट दें या रोक दें ऐसी स्थिति में शुल्क का यथोचित भाग उसके द्वारा वापस किया जायेगा।

7—नगरपालिका बोर्ड, बीसलपुर सीमा के भीतर अनाधिकृत विज्ञापन लगा होने पर अधिशासी अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह उस व्यक्ति के मूल्य जोखिम और खर्चे पर हुआ देय और इस प्रकार किया गया व्यय नगरपालिका अधिनियम अध्ययन-6 के अन्तर्गत उस व्यक्ति या फर्म से वसूल किया जायेगा जिसके लिये या जिसका विज्ञापन करने के लिये वह लगवाया गया था यदि विज्ञापन हटाये जाने को तिथि से 1 माह के अन्दर न छुड़ाया जाये तो अधिशासी अधिकारी सम्बन्धित लोगों की इसके लिये सात दिन की सूचना देकर ऐसे विज्ञापनों को नीलाम कर सकेगा।

8—उपरोक्त नियम 5 के अन्तर्गत निर्धारित शुल्क निम्नलिखित पर देय न होगा—

(क) ऐसे विज्ञापन जो सरकारी अथवा अर्धसरकारी संस्थाओं के जनहित कार्यों के लिये प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लगवाये जायें।

(ख) ऐसे साइन बोर्ड जो सम्बन्धित दुकान/भवन में होने वाले व्यवसाय का सूचक हों।

दण्ड

यू0पी0 मुनिसपैलिटीज ऐक्ट, 1916 की धारा 299 की उपधारा (1) प्राप्त अधिकारों को प्रयोग प्राप्त करके नगरपालिका बोर्ड पीलीभीत एतद्द्वारा यह निर्देश देती है कि इस नियमावली का उल्लंघन करने वाला दण्ड का भागी होगा, जो रु0 5,000 (पांच हजार रुपये) तक हो सकता है और उल्लंघन निरन्तर जारी रहे तो प्रथम दोष सिद्धि की तिथि से ऐसे प्रत्येक दिन के लिये इसके बारे में यह सिद्ध हो जाये कि अपराधी अपराध करता रहा है रु0 50.00 (पचास रुपये) प्रति होर्डिंग अधिक दण्ड दिया जायेगा।

ह0 (अस्पष्ट),
अधिशासी अधिकारी,
नगरपालिका परिषद्, बीसलपुर,
जनपद-पीलीभीत।

कार्यालय, नगर पंचायत, काँट, जनपद-शाहजहाँपुर

12 जुलाई, 2022 ई0

यूजर चार्ज (प्रयोगता प्रभार) उपविधि, 2018

सं0 1233/न0पं0कांट/2022-23—नगर पंचायत, काँट जनपद—शाहजहाँपुर में नगरपालिका अधिनियम, 1916 की सुसंगत धाराओं तथा धारा 298 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये पर्यावरण संरक्षण, लोक स्वास्थ्य, सार्वजनिक सुविधा, जनहित तथा ''स्वच्छ भारत मिशन योजना'' के सुचारू रूप से क्रियान्वयन हेतु नगर को स्वच्छ एवं स्मार्ट सिटी बनाने के लिए नगर पंचायत, काँट की सीमान्तर्गत यूजर चार्ज के सम्बन्ध में यूजर चार्ज (प्रयोगता प्रभार) उपविधि, 2018 बनायी गई है। जिसका प्रकाशन दैनिक समाचार-पत्र ''राष्ट्रीय सहारा'' में दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 को कराकर 15 दिवस में लिखित आपत्ति/सुझाव आमन्त्रित किये गये थे। नियत अवधि में कोई आपत्ति/सुझाव कार्यालय में प्राप्त न होने के उपरान्त बोर्ड बैठक दिनांक 09 दिसम्बर, 2022 के प्रस्ताव संख्या 07 के द्वारा सर्वसम्मिति से निर्णय लिया गया कि निम्न उपविधि प्रकाशन की तिथि से लागू मानी जायेगी—

1—संक्षिप्त नाम—यह उपविधि नगर पंचायत, काँट जनपद-शाहजहाँपुर की यूजर चार्ज (प्रयोगता प्रभार) उपविधि, 2018 कहलायेगी।

2—प्रसार—इसका प्रसार नगर पंचायत, काँट जनपद-शाहजहाँपुर की सीमा वर्तमान सीमा तथा अगामी वर्षों में होने वाली सीमा वृद्धि में होगा।

3—नगर पंचायत, काँट, जनपद-शाहजहाँपुर की सीमा का तात्पर्य उत्तर प्रदेश शासन द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचना द्वारा निर्धारित नगर पंचायत, काँट की सीमा से है।

4—यूजर चार्ज (प्रयोगता प्रभार) का तात्पर्य उस शुल्क से है, जो नगर पंचायत काँट, जनपद-शाहजहाँपुर की सीमा में अधिशासी अधिकारी अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी/कर्मचारी की अनुमति से नगर पंचायत, काँट के द्वारा प्रदत्त प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष सुविधाओं, सेवाओं तथा उसके संसाधनों के उपयोग के बदले वसूल किया जायेगा।

5—अधिशासी अधिकारी का तात्पर्य नगर पंचायत, काँट के अधिशासी अधिकारी से है। जो यूजर चार्ज अधिकारी/दण्डाधिकारी होगा। अधिशासी अधिकारी उपविधि में दी गई शक्तियों का प्रयोग स्वंय अथवा अपने अधीनस्थ सक्षम अधिकारी से करा सकता है।

6—अधिशासी अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह प्रत्येक 5 वर्ष में यूजर चार्ज का पुनरीक्षण करायेंगे। अपरिहार्य परिस्थितियों में यदि यूजर चार्ज का पुनरीक्षण न हो सका हो तो प्रत्येक 5 वर्ष में निधारित चार्ज में 5 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए यूजर चार्ज वसूलना सुनिश्चित करायेंगे।

7—यूजर चार्ज (प्रयोगता प्रभार) नगर पंचायत, काँट के कर्मचारी अथवा नगर पंचायत, काँट द्वारा निर्धारित एजेन्सी द्वारा वसूल किया जा सकेगा।

8—यूजर चार्ज (प्रयोगता प्रभार) का भुगतान करने वाले व्यक्ति का कर्तव्य होगा कि वह भुगतान की गयी धनराशि की रसीद को अपने पास सुरक्षित रखेगा और नगर पंचायत काँट के अधिशासी अधिकारी अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी/कर्मचारी के मांगे जाने पर तत्काल प्रस्तुत करेगा।

9—यूजर चार्ज (प्रयोगता प्रभार) आवासीय/अनावासीय भवनों/परिसर/प्रतिष्ठानों से डस्टबिन से कूड़ा उठाने की व्यवस्था, दुकानों, रेस्टोरेन्ट, जलपान गृह, बारातघर, तथा अस्थाई दुकानों, जो खाने पीने का समान बेचते हों तथा दोना-पत्तल आदि अपशिष्ट उत्पन्न करते है एवं प्राइवेट अस्पताल, क्लीनिक, नर्सिग होम, मेडिकल स्टोर आदि जो बायोमेडिकल वेस्ट उत्पन्न करते हैं, से वसूल किया जा सकेगा।

10—यूजर चार्ज (प्रयोगता प्रभार) का भुगतान ना करने की दशा में अधिशासी अधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी/कर्मचारी को इस उपविधि में वर्णित की गई दरों के अनुसार देय धनराशि के अतिरिक्त उसका बीस गुना शमन शुल्क (कम्पाउन्डिग फीस) वसूल करने का अधिकार होगा। उक्त धनराशि की वसूली, पंचायत की देयों की वसूली की भांति विहित प्राविधानों तथा जैसा अधिशासी अधिकारी निश्चित करें, की जा सकेगी। इस कार्य हेतु वांछित प्रपत्र एवं रसीद का प्रारूप बनवाने एवं वसूली सुनिश्चित करने का अधिकार अधिशासी अधिकारी को होगा।

11—नगर पंचायत, काँट के कर्मचारी, जो पंचायत में कार्यरत हैं वह यूजर चार्ज (प्रयोगता प्रभार) से मुक्त होंगे।

12—यह उपविधि शासकीय गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

प्रतिबन्ध–

1–कोई भी यूजर चार्ज देने वाला व्यक्ति अथवा संस्था आदि नगर पंचायत, कॉंट की भूमि या सार्वजनिक स्थान पर काबिज होने का दावा इस आधार पर नही कर सकेगा कि वह नगर पंचायत को यूजर चार्ज (प्रयोगता प्रभार) का भुगतान करता है।

2–यूजर चार्ज (प्रयोगता प्रभार) भुगतान की रसीद केवल शुल्क जमा करने हेतु जारी की जायेगी। किसी भी दशा में इसका प्रयोग किसी भी तरह के स्वामित्व हेतु मान्य नहीं होगा।

3–यूजर चार्ज (प्रयोगता प्रभार) जमा करने वाले किसी भी व्यक्ति को यह अधिकार नही होगा कि वह नगर पंचायत, कॉंट की सड़क/पटरी/नाला/नाली आदि का ऐसा प्रयोग करें जिससे अन्य लोगो को नुकसान हो तथा सड़क/पटरी/नाला/नाली अथवा किसी सार्वजनिक सम्पत्ति/पंचायत की सम्पत्ति को क्षति पहुंचे। यदि किसी के भी द्वारा ऐसा किया जाता है। तो उस व्यक्ति से जुर्माना वसूल किये जाने का अधिकार अधिशासी अधिकारी को होगा। अधिशासी अधिकारी को सम्बन्धित व्यक्ति द्वारा किये गये नुकसान का आंकलन करके जुर्माने की धनराशि निर्धारित करके वसूल करने का अधिकार होगा।

4–अपशिष्ट पदार्थों को नगर पंचायत, कॉंट द्वारा निर्धारित स्थान पर डालना होगा अथवा जैसा नियत किया जायें, उसके अनुसार अपशिष्ट निस्तारित करना होगा। इस कार्य हेतु नगर पंचायत से कोई अतिरिक्त सामान/उपकरण/कंटेनर/डस्टविन प्रदान करने का दावा स्वीकार नहीं होगा।

5–यूजर चार्ज (प्रयोगता प्रभार) उपविधि, 2018 में दिये गये प्राविधानों के अतिरिक्त इस बिषय में उत्तर प्रदेश सरकार अथवा भारत सरकार द्वारा समय-समय पर बनाये गये नियमों एवं कानूनों का पालन करना होगा।

6–नगर पंचायत कॉंट की भूमि/सार्वजनिक भूमि, स्थान, पार्क, रोड साइड पटरी, नाला-नाली एवं सड़क आदि पर बिना प्रधिकार एवं अनुमति के मलवा डालने अथवा भवन सामग्री ईंट, गिट्टी, बालू, मौरंग, सरिया, छड़ आदि रखने अथवा अन्य प्रकार से प्रयोग करने,जिससे उक्त भूमि अतिक्रमित होती है। पर भवन शुल्क/दण्ड रु0 50.00 प्रति वर्ग मी0 प्रतिदिन वसूल किया जायेगा। परन्तु ये दण्ड अतिक्रमणकर्ता को अतिक्रमण किये जाने का अधिकार प्रदान नही करता है। दण्ड के साथ-साथ अतिक्रमणकर्ता के विरुद्ध बैधानिक कार्यवाही भी की जा सकेगी।

घर-घर कचरा संग्रहण योजना के अन्तर्गत घर-घर कचरा एकत्रित करने हेतु निम्नानुसार दरें तय की जाती है

यूजर चार्ज की दरें

क्र0 सं0	कृत्य	यूजर चार्ज प्रतिमाह
1	2	3
		रु0
1	भवन एक मंजिल (500 वर्ग फीट क्षेत्रफल तक)	20.00
2	भवन दो मंजिल (500 वर्ग फीट क्षेत्रफल तक)	30.00
3	भवन तीन मंजिल या उससे अधिक (500 वर्ग फीट क्षेत्रफल तक)	50.00
4	भवन एक मंजिल (501 वर्ग फीट से 1000 वर्ग फीट क्षेत्रफल तक)	30.00
5	भवन दो मंजिल (501 वर्ग फीट से 1000 वर्ग फीट क्षेत्रफल तक)	40.00
6	भवन तीन मंजिल या उससे अधिक (501 वर्ग फीट से 1000 वर्ग फीट क्षेत्रफल तक)	60.00
7	भवन एक मंजिल (1001 वर्ग फीट क्षेत्रफल से अधिक तक)	40.00

1	2	3
		रु0
8	भवन दो मंजिल (1001 वर्ग फीट क्षेत्रफल से अधिक तक)	50.00
9	भवन तीन मंजिल या उससे अधिक (1001 वर्ग फीट क्षेत्रफल से अधिक तक)	70.00
10	व्यवसायिक प्रतिष्ठान एक मंजिल (500 वर्ग फीट क्षेत्रफल तक)	40.00
11	व्यवसायिक प्रतिष्ठान दो मंजिल (500 वर्ग फीट क्षेत्रफल तक)	60.00
12	व्यवसायिक प्रतिष्ठान तीन मंजिल या उससे अधिक (500 वर्ग फीट क्षेत्रफल तक)	80.00
13	व्यवसायिक प्रतिष्ठान एक मंजिल (501 वर्ग फीट से 1000 वर्ग फीट क्षेत्रफल तक)	50.00
14	व्यवसायिक प्रतिष्ठान दो मंजिल (501 वर्ग फीट से 1000 वर्ग फीट क्षेत्रफल तक)	70.00
15	व्यवसायिक प्रतिष्ठान तीन मंजिल (501 वर्ग फीट से 1000 वर्ग फीट क्षेत्रफल तक)	90.00
16	व्यवसायिक प्रतिष्ठान एक मंजिल (1001 वर्ग फीट क्षेत्रफल से अधिक तक)	60.00
17	व्यवसायिक प्रतिष्ठान दो मंजिल (1001 वर्ग फीट क्षेत्रफल से अधिक तक)	80.00
18	व्यवसायिक प्रतिष्ठान तीन मंजिल या उससे अधिक (1001 वर्ग फीट क्षेत्रफल से अधिक तक)	100.00
19	ऐसे भवन जिनमें दुकान/व्यवसाय हो रहा है।	उपरोक्तानुसार भवन एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठान के क्षेत्रफल के अनुसार
20	बी0पी0एल0 कार्ड धारक परिवार हेतु	10.00
21	कच्चे भवनों व अन्त्योदय कार्ड धारक परिवार हेतु	5.00
22	पथ विक्रेता, पान/चाय/खोखा/ठेले/सब्जी, फल आदि	50.00
23	रेस्टोरेन्ट (50 वर्ग मी0 तक)	500.00
24	रेस्टोरेन्ट (50 वर्ग मी0 से अधिक)	1,000.00
25	होटल, गेस्ट हाउस 30 कमरे तक	500.00
26	होटल, गेस्ट हाउस 30 कमरे से अधिक	1,000.00
27	होटल तीन सितारा एवं उससे अधिक	2,000.0
28	लाज 30 कमरे तक	300.00
29	लाज 30 कमरे से अधिक	500.00
30	धर्मशाला 30 कमरे तक	300.00
31	धर्मशाला 30 कमरे से अधिक	500.00
32	बैंक	500.00

1	2	3
		रु0
33	सिनेमा हॉल	500.00
34	बारातघर/बैंकट हॉल (3000 वर्ग मी. तक)	2,000.00
35	बारातघर/बैंकट हॉल (3000 वर्ग मी. से अधिक)	5,000.00
36	स्कूल जिसमें 500 विद्यायार्थी से कम हो	300.00
37	स्कूल जिसमें 500 या उससे अधिक विद्यार्थी हो	500.00
38	मॉल	5,000.00
39	क्लीनिक, डिस्पेन्सरी, मेडिकल स्टोर, डेन्टल क्लीनिक, मेडिकल स्टोर, आयुर्वेदिक क्लीनिक, पैथोलॉजी सेन्टर, एक्सरे क्लीनिक, अल्ट्रासाउंड क्लीनिक, एम0आर0आई0 सेन्टर, सी0टी0 स्कैन सेन्टर	1,000.00
40	नर्सिग होम/अस्पताल 30 शैय्या से कम	1,500.00
41	नर्सिग होम/अस्पताल 30 शैय्या व उससे अधिक	2,000.00
42	छात्रावास 30 कमरे से कम	300.00
43	छात्रावास 30 कमरे या उससे अधिक	500.00
44	उच्च शिक्षण संस्थान, डिग्री कालेज आदि	2,000.00
45	विश्वविद्यालय	5,000.00
46	कोचिंग इन्स्टीट्यूट 100 से कम विद्यार्थी	500.00
47	कोचिंग इन्स्टीट्यूट 250 व उससे अधिक विद्यार्थी	1,000.00
48	वर्कशॉप/फैक्ट्री 1000 वर्ग मी0 से कम	500.00
49	वर्कशॉप/फैक्ट्री 1000 वर्ग मी0 से अधिक	1,000.00
50	पेट्रोल पम्प	1,000.00
51	शोरूम 1000 वर्ग फुट से कम	500.00
52	शोरूम 1000 वर्ग फुट से अधिक	800.00
53	व्यवसायिक कर्यालय, सरकारी कार्यालय, बीमा कार्यलय आदि	1,000.00
54	वाहन सर्विस सेन्टर (टू-व्हीलर)	200.00
55	वाहन सर्विस सेन्टर (फोर-व्हीलर)	350.00
56	लद्यु व कुटीर उद्योग (केवल गैर खतरनाक) अपशिष्ट 10 कि0ग्रा0 प्रतिदिन	500.00
57	गोदाम, कोल्ड स्टोरेज (केवल गैर खतरनाक) अपशिष्ट	1,000.00
58	उत्सव हाल एवं मेला, प्रदर्शनी इत्यादि 3000 वर्ग0मी0 तक	2,000.00
59	उत्सव हाल एवं मेला, प्रदर्शनी इत्यादि 3000 वर्ग0मी0 तक	5,000.00
60	अन्य जो ऊ चिन्हित नही है।	नगर पचांयत के आकंलन के अनुसार

सुप्रिया गुप्ता,
प्रशासक,
नगर पंचायत, कांट,
शाहजहांपुर।

कार्यालय, नगर पंचायत, काँट, जनपद-शाहजहाँपुर

12 जुलाई, 2022 ई0

सं0 1234/न0पं0कांट/उपविधि/2020-21—उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 298 (2) की सूची (ए) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये कार्यालय नगर पंचायत, काँट, जनपद शाहजहाँपुर द्वारा नगर पंचायत, काँट सीमा में भवन निर्माण को नियमित एवं विनियमित करने हेतु उपविधि बनाई गई है। जिसका प्रकाशन दैनिक समाचार-पत्र ''राष्ट्रीय सहारा'' में दिनांक 15 अक्टूबर, 2020 को कराकर 30 दिवस में लिखित आपत्ति/सुझाव आमन्त्रित किये गये थे। नियत अवधि में कोई आपत्ति/सुझाव कार्यालय में प्राप्त न होने के उपरान्त बोर्ड बैठक दिनांक 09 दिसम्बर, 2020 के प्रस्ताव संख्या 04 के द्वारा सर्वसम्मिति से निर्णय लिया गया कि निम्न उपविधि प्रकाशन की तिथि से लागू मानी जायेगी।

उपविधि

नगर पंचायत काँट उक्त धारा के अन्तर्गत भवन निर्माण तथा भवन निर्माण मानचित्र के विषय में निम्नलिखित उपविधि बनाती है—

1—कोई भी मकान मालिक या Occupier नगर क्षेत्र काँट की सीमा में भवन निर्माण बिना नगर पंचायत काँट द्वारा भवन मानचित्र की स्वीकृति प्राप्त किए हुए न कर सकेगा और पुरानी दीवार आदि निर्माण करने में भी आज्ञा आवश्यक होगी इस प्रयोजन हेतु प्रार्थी को फीस अदा करनी होगी।

2—मालिक, अभिकर्ता निम्न प्रतिबन्धों (नियम) की पूर्ति के साथ प्रार्थना-पत्र निर्माण करने से 1 माह पूर्व नगर पंचायत में प्रेषित करेगा।

(1) नगर पंचायत द्वारा आपत्ति प्राप्त होने पर मालिक अभिकर्ता मकान आपत्ति पूर्ति करके प्रार्थना-पत्र नगर पंचायत में देगा और इस सूची के बाद में ही क्रमशः 1 माह की अवधि की गणना की जायेगी।

(क) Occupier अर्थात वह मालिक अभिकर्ता व्यक्ति जो अपनी निजी भूमि दखल अधिकार उस भूमि में रखता हो।

(ख) Occupier अर्थात वह व्यक्ति शामिल है जो भवन का पूरा या आंशिक किराया वसूलने का अधिकारी है। जिसका की वह अपना धन या जैसे कि वह दूसरी सम्पति का एजेन्ट व्यक्ति या chartable कार्य हेतु या कोर्ट द्वारा आदेशानुसार नियुक्त बिल्ड़िंग या प्रापर्टी का किराया वसूलने वाला एक व्यक्ति या एक से अधिक व्यक्ति सभी बराबर जिम्मेदार (उत्तरदायी) होंगे।

(ग) अहाता (Compound) अर्थात् किसी प्रकार घेरी हुई भू-भाग एक बिल्ड़िंग या अनेकों बिल्डिगों की आवश्यकता हेतु हो।

(ङ) नाली अथवा सीवर पाइप ड़िच चैनल या अन्य तरीका जो गन्दे पानी या सीवेज और स्लेग के ले जाने या वर्षा के पानी या आबदस्त के पानी अथवा दोनो का हौज Traps, Simps, contains, Flash Tradles (Padle Post) से तक ले जाने का अपनाया गया आवश्यकतानुसार मार्ग।

(च) भवन बिल्ड़िंग के हिस्सें में जैसे कोई दीवार भूमिगत कमरा गली बरान्ड़ा Teet piate from plimth stairs case of door steps भी भामिल है। चाहे वह घिरा भू-भाग हो या जिसमें बिल्ड़िंग स्थित हो।

(3) प्रार्थना-पत्र नोटिस की जांच अधिशासी अधिकारी द्वारा निकाय के कर्मचारी से कराकर रिपोर्ट पर सन्तोष करेगा।

(4) अधिशासी अधिकारी विशेष रूप से लिपिक व अन्य कर्मचारी की रिपोर्ट पर विश्वास करके स्वीकृत तथा अस्वीकृत आदेश प्रदान करेगे। तथा स्वीकृति की दशा में स्वीकृति एक रजिस्टर में दर्ज करेगा।

(5) बिना आज्ञा प्राप्त किये या नक्शा निम्न प्रतिबन्धों के साथ बिना पास करायें निर्माण कराने वाले व्यक्ति को 24 घंटे की नोटिस देकर निर्माण, अधिशासी अधिकारी महोदय के आदेशानुसार नियुक्त कर्मचारी मौके पर जाकर बिना कोई शुल्क अदा किये हुए खुदवा देगें और मलवा उठाने की सूचना मालिक को देंगे।

(6) बिल्ड़िंग या भवन का हिस्सा गिराने में खर्च समस्त व्यय मालिक से नोटिस द्वारा वसूल किया जायेगा। यह नगर पंचायत के कर या धन माना जायेगा। व्यय न देने पर वैद्य रीति से वसूल किया जायेगा।

(7) अवैध मलवा न उठाने पर, साफ कराने पर नगर पंचायत का नियुक्त व्यक्ति उठवा लेगा और शुल्क जमा या बिक्री कर देगा। बिक्री की दशा में समस्त सम्बन्धित व्यय काट करके शेष धनराशि मालिक को भेज दी जायेगी।

(8) इस प्रकार दिये गये आज्ञाओं में प्रति एक दरवाजे के सामने 4 फुट चौड़ा सहन छोड़ा जा सकता है परन्तु इस सहन पर कभी भी निर्माण की आज्ञा न दी जायेगी।

(9) गलियों में जो 12 फुट से कम हो उनके किनारे निर्मित होने वाले मकानों के मालिकों को जनहित में अपनी खरीदी भूमि से कम से कम 8 फुट छोड़नी होगी।

(10) नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 178 की उपधारा के अधीन नगर पंचायत, काँट की सीमा में प्रत्येक प्रकार की बिल्ड़िंग बनाने वालों की निम्न प्रतिबन्धों के साथ नोटिस देनी होगी।

(11) प्रत्येक नोटिस में जिसमें यह इरादा होगा कि मकान का निर्माण पुनः निर्माण या अन्य किसी प्रकार का परिवर्तन जैसे कि उक्त में परिभाषित है। किसी बिल्ड़िंग को चौड़ा आदि करने के विषय में होगा। वह निम्नलिखित फार्म के साथ में होगा। जिसके साथ नक्शे की दोहरी पर्त में होगे। जैसा कि उपनियमों में दिया गया है। इस प्रकार की प्रत्येक नोटिस Side Plan साथ होगा। जिसमें कि बिल्ड़िंग की स्थिति आदि स्पष्ट होगी। मैटेरियल परिवर्तन अर्थात् किसी प्रकार के उप-परिवर्तन जिसमें आंगन, शौचालय, रोशन दान, नाली व क्षेत्र व ऊंचाई दीवार खिड़की छज्जा बरामदा सोपान कमरे आदि से है।

प्रार्थना-पत्र

1–क्र0सं0 .....

2–प्रार्थना-पत्र का दिनांक .....

3–प्रार्थी का नाम .....

4–वार्ड नम्बर व नाम .....

5–मोहल्ला तथा मकान नम्बर .....

6–भवन की अनुमानित लागत .....

7–सड़क का नाम .....

8–प्रस्तावित भवन के पास की गलियों की चौड़ाई .....

9–स्वीकृति की तिथि .....

(13) बिल्डिंग के नक्शे का पैमाना 1 मीटर = 1 सेंटी मीटर से कम न होगा। प्रयोग किया हुआ पैमाना प्लान (उपक्रम) में अंकित किया जायेगा तथा उत्तर की दिशा बिल्ड़िंग के साइड़ प्लान से सम्बन्धित होगी। नक्शे में समस्त शर्तें विवरण के तथा आवश्यक संकेतो सहित जिसमें सम्बन्धित बिल्डिंग विषयक के निष्कर्ष में शीघ्रता करने सम्बन्धी आवश्यक है। विवरण निम्न विषयों से सम्बन्धित स्पष्ट आवश्यक है।

(क) प्रस्तावित बिल्डिंग के सम्बन्ध में गली/ड़िक, मकान व अन्य दूसरी पास की जायदाद आदि है।

(ख) पास की तमाम मिलाने वाली मकानों या सम्पत्ति के स्वामियों के नाम मय गली मोहल्ला सहित।

(ग) मकानों की संख्या।

(घ) पास की तमाम मिलने वाली गलियों व सड़कों की चौड़ाई।

(ङ) उस दिशा में यदि चौड़ाई समान नहीं है। तो प्रत्येक की वास्तविक स्थिति दिखाई जावे।

(ब) कम से कम 6 फुट चौड़ी खुली जगह बिल्डिंग के आगे अपनी भूमि में छोड़नी होगी यदि यह सड़क के समीप है या किसी गली में स्थिति है और यदि बिल्डिंग विशेष सड़क समीप है या पार्क या खुली जगह उन रहने वाली जगहों के स्थान है तो स्थान जो मकान के आगें छोड़ा जायेगा वह 8 फुट होगा। इस प्रकार उस खुली जगह में कुछ नहीं बनाया जा सकता है। वो केवल बाहरी हवा के लिये होगा। जिसका नाम हक आशायम होगा।

(स) तमाम गाटर्स व छल्ले स्पष्ट रूप से दिखाये जाने चाहिए।

(द) तमाम नाला/नालियों, शौचालय तथा दूसरी स्वच्छता सम्बन्धी सुविधायें स्पष्ट रूप से दी जायें।

(य) नक्शे के अन्दर निम्न बातें विशेष रूप से दिखाई देनी चाहिए।

(1) बिल्ड़िंग की दशा, पास वाली नालियां, गलियां, जायदादें तथा खाली भूमि।

(2) एक मंजिल या दो मंजिल और प्रत्येक अतिरिक्त मंजिल।

(3) बिल्ड़िंग के आगे का भाग सम्मुख उच्छेप मय आगे की लाइन के।

(4) कम से कम एक क्रास सेक्शन बिल्डिंग का मय सड़क आदि के जिस पर यह स्थित हो जिसके आंगन की ठीक समह दिखाई पड़े तथा खुली हुई जगह न मिलें सड़क के नीचे से बिल्डिंग की ऊँचाई।

(5) खिड़कियों के साइज एवं रोशनदान प्रत्येक दीवार पर।

(6) विषय जिसके लिए बिल्ड़िंग का प्रयोग होता है।

बी सब हेड़–

1–कोई भी मस्जिद, मन्दिर, चर्च या अन्य दूसरी पवित्र धार्मिक इमारतें उस समय तक नहीं बनाई जा सकती है जब तक कि उसका आगे का भाग सड़क के बीच से कम से कम 200 फुट पर न हो और जब तक कि यह कम से कम 200 फुट के फासले पर पहले से बने धार्मिक स्थानों से चाहे वह किसी भी सम्प्रदाय का क्यों न हों।

2–कोई भी शौचालय जो आम रास्ते या सड़क पर होगा। उसको ऐसा बनाने की आज्ञा न दी जायेगी जब तक कि उसमें दरवाजा लगाकर जो कम से कम 5 फुट उंचा हो तथा यह दीवार शौचालय के दरवाजे या दूसरे दरवाजे या पर्दे की दीवार के अतिरिक्त होगी।

3–प्रत्येक पेशाब घर या प्रीवी ऐसी दशा में रखे जावेगें जिसमें से इकठ्ठी की हुई कीचड़ किसी अन्य कमरे को ले जाय बिना जिसमें कि कोई व्यक्ति रहता हो, हटाई जा सके।

4–घर का जिसमें से गन्दा पानी जाता है वह अर्द्वगोल बनाया जाना चाहिए या जमीन में पाइप जो 6 इंच से कम न हो 2.5 इंच से जो कि ठीक प्रकार से कंकरीट के बोर्ड़ पर रक्खा जावेगा। 6 इंच से कम मोटा न होगा। जो उस नाली से मिला हुआ होगा। जहां पर सरकारी नाली होगी बिल्ड़िंग से 100 फुट के अन्दर दूसरे तरीके से नाली पक्की सीमेट की होनी चाहिए या भूमिगत नाली और उसके तमाम जोड़ अच्छी तरह सीमेन्ट से बन्द होना चाहिए। यह छोटी नालियां सड़क वाली नाली से जुड़ी होनी चाहिये जहां रोड़ साइड की नाली 100 फुट के अन्दर तक हो।

5–बिल्ड़िंग में लोहे के गटर होंगे और Downpipe होंगे वर्षा के तमाम पानी की नीचे लाने के लिये जो कि छतों पर या छज्जे पर या दूसरे निर्माण पर पड़ता है गटर या Downpipe पूरी तरह से जोड़े जायेगे जिससे जल को संरक्षित किया जा सके इस हेतु जल संचयन (Water Harvesting) बनाना होगा।

6–प्रत्येक दीवार की ऊचाई जो कि फर्श से ऊपर होने तक बनाई जावेगी। जहां पर कि छत मिलती है तो नौ फुट से कम न होगी। यदि भवन सड़क के किनारे पर है तथा जो बिल्ड़िंग से घिरी हुई है/थी। उस समय जब यह उपनियम लागू हुए तथा दूसरे रूप में यह किसी भी दशा में नीचे लिखे पैमाने से कम न होगी प्रथम मंजिल 11 फुट होनी चाहिए। द्वितीय मंजिल 9 फुट होनी चाहिए इसके ऊपर प्रत्येक मंजिल 9 फुट।

7–(1) मंजिल से अर्थ उस कमरे से है या अन्य बहुत से उस बिल्डिंग के कमरे से है जिसमें कि फर्श उस सतह से समीप या उसी के जैसे है।

(2) एक बिल्ड़िंग की उंचाई से अर्थ है–

(अ) पेन्ट रूपस की दशा में सबसे ऊची दीवारों के सिरों में गाविस वाल्यस को छोड़कर सबसे ऊंची सतह गली के बिन्दु से 11 फुट उंची रहेगी।

(घ) यदि कोई एक या एक से अधिक मंजिल सड़क या गली के किनारे बनाना चाहें और उसमें छज्जा निकालना चाहें तो सड़क या गली के बिन्दु से 2.5 फुट पीछे हटकर बनाएगा।

(3) पास के बने मकानों की सबसे अधिक ऊचाई से अधिक यदि कोई व्यक्ति बिल्ड़िंग बनवाना चाहता है ऐसी दशा में निर्माण अधिकारी यदि उचित समझे तो आज्ञा दे सकता है। प्रतिबन्ध यह है कि बनाने वाली बिल्ड़िंग की ऊंचाई से किसी घर का सामना या बेपरदगी न होती हो।

(4) मंजिलो की संख्या किसी भी दशा में चार से अधिक न होगी तथा एक बिल्ड़िंग की औसत ऊंचाई 55 फुट से अधिक न होगी।

(5) बिल्ड़िंग के किसी भी हिस्से में बाहर की तरफ किसी भी प्रकार का परनाला पानी निकास हेतु न प्रयोग किया जायेगा।

(6) उक्त समस्त नियम नए–पुराने कच्चे पक्के भवन निर्मित करने में लागू होगें।

(7) **कालोनी तथा वॉटर हार्वेसिटंग के सम्बन्ध में**–बिना साइड प्लान स्वीकृत कराये नई कालोनी विकसित कर बिक्री नही की जा सकती है। ऐसी कालोनियों के साइड प्लान में सड़क की चौड़ाई कम से कम 20 फिट चौड़ी होनी चाहिए एवं जल निकासी हेतु नाली की अलग से व्यवस्था होनी चाहिए तथा पूरे साइड प्लान में एक तिहायी (1/3) भाग ग्रीनरी (हरियाली) हेतु छोड़ना अनिवार्य होगा तथा साइड प्लान में वॉटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था भी होनी चाहिए। सड़क एवं नाली कालोनियर द्वारा पूर्ण विकसित/निर्मित कर ही बिक्री की जायेगी।

(8) यदि किसी बिल्ड़िंग की नाली आंगन अथवा छत के वर्षा के पानी का बहाव किसी के मकान से होकर किसी वजह से या बहाव बदलने से किसी को हानि पहुंचती हो तो निर्माण के समय या पूर्व ही बदलने की आज्ञा लेनी होगी। इसमें यह न माना जायेगा कि यह बहाव मेरा पुश्तैनी है परन्तु बदलाव के सम्बन्ध में होने वाला व्यय वादी प्रतिवादी ही जैसा करना होगा।

(9) प्रत्येक व्यक्ति को आज्ञा हेतु निम्नलिखित फीस अदा करनी होगी–

क्र० सं०	कृत्य	पंचायत को देय धनराशि
1	2	3
		रु0
1	फीस दाखिल प्रार्थना-पत्र बाबत दरवाजा, चबूतरा, आदि।	100.00
2	फीस दाखिल प्रार्थना-पत्र बाबत निर्माण डुप्लीकेट नक्शा प्लान सहित।	100.00
3	फीस सदर दरवाजा व एक अन्य दरवाजे के प्रति दरवाजा प्लान के बाद	100.00
4	फीस खिड़की 2 के अतिरिक्त प्रति खिड़की प्लान के बाद भी	100.00
5	फीस रोशनदान 4 के अतिरिक्त रोशनदान प्लान के बाद भी	50.00
6	फीस पर नाला (नकखसिया) बाहर प्लान	100.00
7	फीस चबूतरा, लिन्टर, छप्पर, टिन हक आशायस बाहर प्लान (वर्ग फुट)	10.00
8	फीस स्वीकृति देने पर निर्माण नक्शा अनुसार रु0 50,000.00 मालियत पर	100.00
9	स्वीकृति देने, निर्माण नक्शा अनुसार रु0 10,00,000.00 मालियत तक	500.00
10	स्वीकृति देने, निर्माण नक्शा अनुसार रु0 20,00,000.00 मालियत तक	1,000.00

नोट–भवन की मालियत यदि रु0 20,00,000.00 से अधिक है, तो नक्शा पास कराई केवल रु0 2,000.00 (दो हजार रुपया) लिया जायेगा।

शास्ति

उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 299 के अन्तर्गत जो नगर पंचायत पर लागू है नगर पंचायत, काँट शाहजहाँपुर यह आदेश देती है कि उपर्युक्त उपविधि के किसी भी पैरा या उपविधि का उल्लंघन करने पर अर्थ दण्ड दिया जायेगा। जो रु0 5,000.00 तक हो सकता है। और यदि उल्लंघन निरन्तर जारी रहे तो ऐसे प्रत्येक दिन के लिये जिसके बारे में यह सिद्ध हो जाये कि अपराधी अपराध कर रहा है रु0 100.00 तक प्रतिदिन अतिरिक्त अर्थदण्ड दिया जा सकता है।

सुप्रिया गुप्ता,
प्रशासक,
नगर पंचायत, कांट,
शाहजहांपुर।

कार्यालय, नगर पंचायत, काँट, जनपद-शाहजहाँपुर

12 जुलाई, 2022 ई0

नगर पंचायत काँट सीमान्तर्गत स्वकर निर्धारण नियमावली

सार्वजनिक सूचना

सं0 1235/न0पं0कांट/2022-23—नगर पंचायत काँट, जनपद शाहजहाँपुर अपनी सीमा में स्थित शत प्रतिशत भवन व भूमि का सम्पत्ति कर से अच्छादित करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश शासन के आदेश सं0 408/नौ-9-10-63ज/95 टी0सी0 नगर विकास अनुभाग-9 लखनऊ दिनांक 22 फरवरी, 2010, शासनादेश सं0 1275/9-9-12-205ज/12 नगर विकास, अनुभाग-9 लखनऊ दिनांक 10 सितम्बर, 2012 एवं शासनादेश सं0 428/नौ-9-2017-38ज/17 नगर विकास, अनुभाग-9 लखनऊ दिनांक 08 जून, 2017 के अनुपालन में नगर पंचायत सीमान्तर्गत स्थित सम्पत्तियों पर सम्पत्ति कर गृहकर एवं जलकर के प्रत्येक दो वर्ष में (द्विवार्षिक) कर निर्धारण हेतु नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 298 (1) व उ0प्र0 शासन नगर विकास, अनुभाग-9 संख्या 2191/नौ-19-85जा/05 टी0सी0-1 लखनऊ दिनांक 18 सितम्बर, 2019 द्वारा उ0प्र0 नगरपालिका (भवन भूमि दोनों के वार्षिक मूल्य पर कर) स्वतः कर निर्धारण नियमावली, 2020 बनायी गई है, जिसका प्रकाशन दैनिक समाचार-पत्र ''राष्ट्रीय सहारा'' व ''अमर उजाला'' में दिनांक 04 जुलाई, 2020 को कराकर 30 दिवस में लिखित आपत्ति/सुझाव आमन्त्रित किये गये थे। नियत अवधि में कोई आपत्ति/सुझाव कार्यालय में प्राप्त न होने के उपरान्त बोर्ड बैठक दिनांक 09 दिसम्बर, 2020 के प्रस्ताव सं0 06 के द्वारा सर्वसम्मिति से निर्णय लिया गया कि निम्न उपविधि प्रकाशन की तिथि से लागू मानी जायेगी।

नियमावली

नाम—यह नियमावली स्वः कर निर्धारण नियमावली नगर पंचायत, काँट (शाहजहाँपुर) के नाम से जानी जाएगी। जिसका तात्पर्य नगर पंचायत, काँट (शाहजहाँपुर) सीमान्तर्गत सम्पत्तियों पर गृहकर एवं जलकर अधिरोपण एवं उदग्रहण से है। उक्त गृहकर एवं जलकर नियमावली प्रभावी होने के दिनांक से नगर पंचायत, काँट (शाहजहाँपुर) में लागू पूर्व गृहकर एवं जलकर नियमावली निष्प्रभावी हो जाएगी।

अर्थ—स्वः कर निर्धारण प्रणाली के अन्तर्गत भवन स्वामी स्वयं ही अपने भवन की माप कर इस नियमावली में उल्लिखित शर्तों एवं दरों के आधार पर गणना कर भवन पर कर निर्धारण कर सकेगा।

परिभाषाएं—इस नियमावली में—

(1) नगर पंचायत से तात्पर्य नगर पंचायत, काँट (शाहजहाँपुर) से है।

(2) अधिनियम से तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगर पंचायत, काँट (शाहजहाँपुर) से है।

(3) अधिशासी अधिकारी का तात्पर्य, अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत, काँट (शाहजहाँपुर) से है जो कर निर्धारण अधिकारी होगा। अधिशासी अधिकारी कर निर्धारण शक्तियों का प्रयोग अपनी अधीनस्थ कर अधीक्षक/राजस्व निरीक्षक अथवा समय-समय पर अधिशासी अधिकारी द्वारा विहित प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा।

(4) अध्यक्ष/प्रशासक/बोर्ड का तात्पर्य नगर पंचायत, काँट (शाहजहाँपुर) से है।

(5) भवन/भूमि से तात्पर्य नगर पंचायत काँट (शाहजहाँपुर) की सीमा में स्थित भवन/भूमि से है।

(6) स्वामी का तात्पर्य नगर पंचायत, काँट की सीमान्तर्गत भवन एवं भूमि के स्वामी से है।

(7) अध्यासी का तात्पर्य नगर पंचायत, काँट की सीमान्तर्गत भवन एवं भूमि पर अध्यासन करने वाले व्यक्तियों से है।

(8) स्वः कर निर्धारण से तात्पर्य उस व्यवस्था से है, जिसे उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अपने आदेश सं0 408/नौ-9-10-63ज/95टी0सी0 दिनांक 22 फरवरी, 2020 शासनादेश सं0 1275/9-9-12-205ज/12 नगर विकास अनुभाग-9 लखनऊ दिनांक 10 सितम्बर, 2012 एवं शासनादेश सं0 428/नौ-9-2017-38ज/17 नगर विकास अनुभाग-9 लखनऊ दिनांक 08 जून, 2017 के द्वारा समस्त निकायों में लागू किया गया है।

(9) आवासीय भवन से तात्पर्य उस भवन से है, जिसका प्रयोग/स्वामी/अध्यासी द्वारा निवास (अध्यासन) के रूप में किया जा रहा हो।

(10) व्यवसायिक भवन से तात्पर्य उस भवन से है, जिसका प्रयोग व्यवसायिक गतिविधियों के रूप में किया जा रहा हो।

(11) मिश्रित भवन से तात्पर्य उस भवन से है, जिसमें आवासीय के साथ-साथ व्यवसायिक गतिविधियां संचालित हो रही है।

(12) पक्का भवन से तात्पर्य ऐसे भवन से जिसकी छत आर0सी0सी0 व आर0बी0सी0 पद्धति से निर्मित हो तथा आधुनिक भवन निर्माण सामग्री का प्रयोग किया गया है।

(13) अन्य पक्का भवन से तात्पर्य ऐसे भवन से है, जिसकी कढ़ी पटियों से निर्मित हो।

(14) कच्चा भवन से तात्पर्य ऐसे भवन से है, जिसकी छत अस्थाई साधनों यथा छप्पर, टीन शेड, प्लास्टिक, लोहा सीमेन्ट की चादर इत्यादि से निर्मित हो।

(15) मासिक किराया से तात्पर्य इस नियमावली में भवन/भूमि के कारपेट आच्छादित क्षेत्रफल के लिए निर्धारित प्रति वर्ग फुट किराये से है।

(16) वार्षिक मूल्य से तात्पर्य नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 140 में उल्लिखित वार्षिक मूल्य से है।

(17) आच्छादित क्षेत्रफल से तात्पर्य कुर्सी के उस निर्मित भवन के प्रत्येक तल के कुल आच्छादित क्षेत्र से है।

(18) कारपेट एरिया से तात्पर्य भवन के उस क्षेत्र से है जहां कारपेट बिछाया जा सके।

(19) मोहल्ले की श्रेणी से तात्पर्य मोहल्ले के विकास कि स्थिति, भवनों की स्थिति, सड़क, खड़ंजा, स्थायी लोगो के रहन-सहन से है।

(20) मार्ग की चौड़ाई से तात्पर्य मार्ग के दोनों ओर स्थित दोनों सरकारी नाली/नाला के बीच की दूरी से है।

(21) करों का अरोपण एवं उदग्रहण का उद्देश्य मात्र सार्वजनिक प्रयोजनार्थ कर अधिरोपण है। किसी भी प्रकार से स्वामित्व निर्धारण से इसका कोई सम्बन्ध नही है।

वार्षिक मूल्यांकन के आधार पर आगणित कर से सम्बन्धित आधारभूत तथ्य–

अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत क्षेत्र या उसके भाग से नियमावली में विहित रीति के अनुसार क्षेत्रवार समय -समय पर किराया दर और कर निर्धारण सूची तैयार करायेगें–

(क) इस अधिनियम के किसी अन्य उपलब्ध में किसी बात के प्रतिकूल होते हुये भी किसी भवन के सम्बन्ध में की भुगतान के लिए प्राथमिक रूप से उत्तरदायी स्वामी या अध्यासी अपने द्वारा संदेय सम्पत्ति कर की धनराशि के सम्बन्ध में प्रतिवर्ष अपनी देनदारी का निर्धारण स्वयं कर सकता है और ऐसा करने में वह धारा 140 के उपबन्धों के अनुसार भवन के वार्षिक मूल का अवधारण स्वयं कर सकता है और अपने द्वारा इस रीति से इस प्रकार निर्धारित कर के साथ ऐसे स्वनिर्धारण विवरण ऐसे प्रपत्र में जैसा कि विहित किया जाये, जमा कर सकता है।

(ख) सर्वेक्षण के दौरान आवासीय और व्यवसायिक भवनों को पृथक्-पृथक् संख्या आवंटित की जाएगी यदि कोई भवन आवासीय है तो उसको 1-1 आर, 1-2 आर आदि डाले जायेंगे तथा यदि व्यवसायिक है तो उसे 1-1 सी, 1-2 सी आदि डाले जायेगें और यदि भवन मिश्रित है तो उसे 1-1 सीआर संख्या डाली जायेगी।

(ग) व्यवासयिक भवनों पर कर निर्धारण नगरपालिका अधिनियम, 1916 में उल्लिखित नियमों के अनुसार किया जायेगा।

(घ) भवनों का पूर्ण विवरण निर्धारण प्रपत्र पर भरकर नगर पंचायत काँट (शाहजहाँपुर) के कार्यालय में जमा किया जायेगा और यदि भवन निर्माणाधीन है तो निर्माण पूर्ण होने के 15 दिवस के अन्दर नगर पंचायत कार्यालय में निर्धारित प्रपत्र पर विवरण भर कर जमा करना होगा।

(ङ) यदि 15 दिवस के स्वः कर निर्धारण प्रणाली के अनुसार भवन स्वामी/अध्यासी द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर सूचना भरकर नगर पंचायत में जमा नही की जाती है तो नगर पंचायत उक्त सम्पत्ति का वार्षिक मूल्य अंकलित कर स्वतः ही कर निर्धारण देगी जिसे भवन स्वामी/अध्यासी को अनिवार्य रूप से देना होगा।

कारपेट एरिया की गणना निम्नानुसार की जायगी–

(1) कक्ष–आतंरिक आयाम की पूर्ण माप,

(2) आच्छादित बरामदा–आतंरिक आयाम की पूर्ण माप,

(3) बाल्कनी, गलियारा, रसोईघर और भण्डार गृह–आतंरिक आयाम की 50 प्रतिशत माप,

(4) गैराज–आतंरिक आयाम की चौथाई माप,

अथवा

कारपेट एरिया–आच्छादित क्षेत्रफल का 80 प्रतिशत भाग।

नोट–स्नानागार, भौचलय, द्वारमण्डप और जीना से आच्छादित क्षेत्रफल कारपेट क्षेत्रफल का अंग नही होगा।

कर निर्धारण–कर का निर्धारण निम्नांकित के आधार पर किया जायेगा–

(क) वार्षिक मूल्य का गणना–

वार्षिक मूल्य = कारपेट एरिया × निर्धारित प्रति ईकाई का क्षेत्रफल दर × 12

या

आच्छादित क्षेत्रफल का 80 प्रतिशत × निर्धारित प्रति ईकाई का क्षेत्रफल दर × 12

(ख) **कर निर्धारण दर**–गृहकर वार्षिक मूल्य का 10 प्रतिशत तथा जलकर वार्षिक मूल्य का 10 प्रतिशत देय होगा।

करों का भुगतान–अधिशासी अधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत बनाये गये नियम के अधीन निर्धारित भवन/भूमि (सम्पत्ति) कर के भुगतान हेतु स्वामी/अध्यासी को बिल प्रेषित करेगा जिसमें एक ऐसा दिनांक निर्दिष्ट होगा जो नगर पंचायत, काँट (शाहजहाँपुर) कार्यालय अथवा उसके अधिसूचित बैंक में नियमानुसार कर का भुगतान किया जाएगा। स्वकर निर्धारण का भुगतान सार्वजनिक सूचना द्वारा सूचित किये जाने पर भी निर्धारित तिथि तक किया जाएगा। स्वकर निर्धारण भुगतान सार्वजनिक सूचना द्वारा सूचित किये जाने पर भी निर्धारित तिथि तक किया जायेगा। निर्धारित अवधि में कर की वसूली कर की वसूली की जाएगी कर का भुगतान समय से न करने पर नगर पंचायत, काँट (शाहजहाँपुर) उसे नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 173 (क) एवं 291 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भू-राजस्व के रूप में वसूल करने हेतु स्वतन्त्र होगी।

स्वतः अध्यासित भवनों के लिए छूट–

(क) 10 वर्ष तक पुराने भवनों के वार्षिक मूल्यांकन में 25 प्रतिशत की छूट अनुमन्य होगी।

(ख) 10 से 20 वर्ष तक पुराने भवनों के वार्षिक मूल्यांकन में 32.5 प्रतिशत की छूट अनुमन्य होगी।

(ग) 20 वर्ष से अधिक पुरानें भवनों के वार्षिक मूल्यांकन में 40 प्रतिशत की छूट अनुमन्य होगी।

किराये पर उठे आवासीय भवन–

(क) (1) 10 वर्ष तक के पुराने भवनों के वार्षिक मूल्यांकन में 25 प्रतिशत वृद्धि की जायेगी।

(2) 10 से 20 वर्ष तक के पुराने भवनों के वार्षिक मूल्यांकन में 12.5 प्रतिशत की जायेगी।

(3) 20 वर्ष से अधिक पुराने भवनों के वार्षिक मूल्यांकन में कोई वृद्धि नही की जायेगी।

(ख) किराये पर उठे व्यवसायिक भवन का मूल्यांकन अनुबन्ध में उल्लिखित वास्तिविक किराये या किराया मूल्यांकन जो अधिक हो से किया जाएगा।

व्यवसायिक सम्पत्तियों से तात्पर्य–

वह सभी प्रकार की सम्पत्तियां जिन पर किसी प्रकार का औद्योगिक कार्य किया जा रहा हो।

निम्नलिखित सम्पत्तियों करों के उदग्रहण से मुक्त होंगी–

(क) मृतकों के निस्तारण से सम्बन्धित प्रयोजन के लिए अनन्य रूप से प्रयुक्त भवन या भूमि,

(ख) भवनों और भूमि या उनके भाग, जिनका अधिभोग और उपभोग अनन्य रूप से सार्वजनिक पूजा या धर्मार्थ प्रयोजनों, अनुसंधान एवं विकास के सरकारी सहायता प्राप्त संस्थाओं के मैदान, कृषि क्षेत्र और उद्यान, सरकारी सहायता प्राप्त या गैर सरकारी सहायता प्राप्त, मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थाओं के खेल के मैदान या क्रीड़ा स्टेडियम के लिए किया जाता हो।

(ग) भवन जिनका उपभोग अनन्य रूप विद्यालय या इण्टरमीडिएट कालेज के रूप में किया जाता हो, चाहें वे राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हों अथवा न हों,

(घ) प्राचीन संस्मारक परिक्षण अधिनियम, 1904 में यथा परिभाषित प्राचीन संस्मारक, जो किसी ऐसे संस्मारक के सम्बन्ध में राज्य सरकार के किसी निर्देश के अध्यधीन हो,

(ङ) किसी स्वामी द्वारा अध्यासिक ऐसा आवासीय भवन जो 30 वर्ग मीटर की माप वाले या 15 वर्ग मी0 तक के कारपेट क्षेत्रफल वाले भू-खण्ड पर निर्मित हो, परन्तु उसके स्वामी के स्वामित्व में नगर पालिका सीमान्तर्गत कोई अन्य भवन न हो।

(च) सेवारत/सेवानिवृत्त सैन्य कर्मचारियों द्वारा स्वयं के उपयोग हेतु प्रयुक्त भवन का सामान्य कर शासनादेश के आधीन होगा।

(छ) समस्त भवन एवं सम्पत्ति जो नगर पंचायत काँट (शाहजहाँपुर) के स्वामित्व में हो।

नोट–परन्तु उक्त सम्पत्तियों में यदि अन्य व्यवसायिक कार्य किया जाता है तो तदानुसार उन पर कर निर्धारण एवं उदग्रहण किया जाएगा।

स्पष्टीकरण–

उ0प्र0 शहरी भवन (किराये पर देने, किराये तथा बेदखली का विनियमन) अधिनियम, 1972 के प्रयोजन के लिए किसी भवन का मानक किराया, अनुबन्धित किराया या युक्तियुक्त वार्षिक किराये को भवन के वार्षिक मूल्य की गणना करते समय हिसाब में नही लिया जाएगा बल्कि उसके किराये का निर्धारण उ0प्र0 नगरपालिका अधिनियम, 1916 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा, ऐसे भवनों के करों की देयता अब किरायेदार की होगी।

जिन भवनों/व्यापारिक भवनों में किरायेदार एवं सर्वे में भवन स्वामी का पता नही चलता है तो ऐसे भवनों के किरायेदार/अध्यासी को ही गृहकर, जलकर का भुगतान करना होगा परन्तु करों के भुगतान से उसका स्वामित्व सिद्ध नही होगा।

(क) गृहकर एवं जलकर की देयता वार्षिक होगी अर्थात 01 अप्रैल से 31 मार्च तक

(ख) यदि करदाता निर्धारित शर्तो का पालन करते हुये माह अप्रैल से माह जून के मध्य सम्पूर्ण करों का भुगतान निरन्तर तीन वर्षों से लगातार करता आ रहा है तो उसे वर्तमान वर्ष के गृहकर एवं जलकर जमा करने पर 05 प्रतिशत की छूट दी जायेगी।

(ग) लगातार दो वर्ष तक करों का भुगतान न करने पर सम्बन्धित करदाता से 5 प्रतिशत सरचार्ज वसूला जायेगा।

अर्थदण्ड—उ0प्र0 नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 299 (1) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए नगर पंचायत, काँट (शाहजहाँपुर) आदेश करती है कि उपर्युक्त नियमावली के किसी भी नियम का उल्लंघन करना दण्डनीय अपराध होगा। जिसके जुर्माने की सीमा रु0 1,000.00 (एक हजार रुपये मात्र) तक हो सकती है और यदि ऐसा उल्लघन जारी रहे तो प्रथम दोषसिद्ध होने के दिनांक के पश्चात् से प्रत्येक दिन के लिए जिसके बारे में यह सिद्ध हो जाये कि अपराधी अपराध करता रहा है, अतिरिक्त जुर्माना किया जा सकता है, जो रु0 25.00 (पच्चीस रुपये मात्र) प्रतिदिन हो सकता है।

जब कभी भवन स्वामी द्वारा अध्यासिक भवन को किराये पर दिया गया हो या किराये से वापस अपने अध्यासन में लिया गया हो तो इसके 03 माह के अन्दर प्रपत्र 'ख' में ही पुनः विवरण किया जाना अनिवार्य होगा।

जब कभी भवन के कारपेट एरिया/भूमि के क्षेत्रफल अथवा दोनों में कोई परिवर्तन या परिवर्धन किया जाता है तो उसके 03 माह के अन्दर यथा स्थिति भवन स्वामी/अध्यासी द्वारा प्रपत्र 'ख' में ही पुनः विवरण प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

जिन भवनों/भूमि को नगर पंचायत, काँट द्वारा भवन/भूमि की संज्ञा दी जा चुकी है उन्हे भी प्रपत्र 'क' और 'ख' पर उपरोक्तानुसार भरकर जमा करना अनिवार्य है तथा उसके भवन/भूमि पर यदि कोई पूर्व कार्य बकाया है तो प्रपत्र 'क' के अनुसार देय कर एवं कर भी जमा करेंगे।

मकानों के हस्तान्तरण सम्बन्धी नियम नगरपालिका विशेष परिस्थितियों में—

(क) यदि किसी भवन अथवा भूमि पर जिसका कर आरोपित है बैनामा के आधार पर स्वामित्व हस्तान्तरित होता है तो स्वत्व पाने वाला व्यक्ति या संस्था ऐसे हस्तान्तरण की सूचना नगर पंचायत को 03 माह के अन्दर देना अनिवार्य होगा। अन्यथा 03 माह उपरान्त और 01 वर्ष के अन्दर सूचना देने पर बैनामा में अंकित मालियत/सरकारी मूल्यांकित दर की धनराशि का 01 प्रतिशत विलम्ब शुल्क जमा करना होगा। अन्यथा रु0 50.00 प्रतिवर्ष की दर से अतिरिक्त विलम्ब शुल्क भी देय होगा। तदानुसार नगर पंचायत नियमानुसार नामान्तरण की कार्यवाही सुनिश्चित करेगी।

(ख) यदि किसी करदाता अथवा भवन/भूमि के स्वामी की मृत्यु हो जाती है तो उसके वारिस को कर दाता की मृत्यु दिनांक का प्रमाण-पत्र एवं वारिसान प्रमाण-पत्र 03 माह के अन्दर उसकी लिखित सूचना देना अनिवार्य होगा। अन्यथा की स्थिति में 03 माह उपरान्त और 01 वर्ष के अन्दर उसकी सूचना देने पर अंकन रु0 1,000.00 विलम्ब शुल्क देना होगा। अन्यथा रु0 50.00 प्रतिवर्ष की दर से अतिरिक्त शुल्क भी देय होगा। तदानुसार नगर पंचायत नियमानुसार नामान्तरण की कार्यवाही सुनिश्चित करेगी।

(ग) यदि कोई भवन/भूमि का हस्तान्तरण रजिस्टर्ड वसीयतनामा, मुख्तारनामा (पावर ऑफ अर्टानी), रजिस्टर्ड परिवारिक समझौतानामा/बटवारानामा, मा0 न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय/अदेशों के आधार पर अन्यथा अन्य आधार जो विहित प्रक्रिया द्वारा होता है तो 03 माह के अन्दर उसकी लिखित सूचना देना अनिवार्य होगा। अन्यथा की स्थिति में 03 माह उपरान्त और 01 वर्ष के अन्दर उसकी सूचना देने पर अंकन रु0 1,000.00 विलम्ब शुल्क देना होगा। अन्यथा रु0 50.00 प्रतिवर्ष की दर से अतिरिक्त शुल्क भी देय होगा। तदानुसार नगर पंचायत नियमानुसार नामान्तरण की कार्यवाही सुनिश्चित करेगी।

मुख्य मार्ग का तात्पर्य—मुख्य मार्ग में सभी सड़क आयेगी जिसकी चौड़ाई 30 फुट तक है।

अन्य मार्ग का तात्पर्य—मुख्य मार्ग के अन्दर के मार्ग व मोहल्ला/कालोनी में जाने वाली सड़कें एवं समस्त गलियां अन्य-अन्य मार्गों में आयेगी।

प्रति वर्ग फुट मासिक किराये का तात्पर्य अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत, काँट, द्वारा सत्यापित मासिक किराया प्रतिवर्ग फुट से है।

अन्तिम निर्णय अधिशासी अधिकारी में निहित होगा।

आपत्तियों का निराकरण एवं निस्तारण अधिशासी अधिकारी अथवा उसके द्वारा गठित समिति द्वारा किया जायेगा।

कर निर्धारण सूची/पंजिका में भवन/भू-खण्ड के स्वामियों के नामों एवं गृहकर एवं जलकर में परिवर्तन अधिशासी अधिकारी अथवा उसके द्वारा गठित समिति द्वारा किया जायेगा।

नगर पंचायत द्वारा अपने किसी प्रकार के पेयजल संसाधनों से सर्वसाधारण को पेयजल उपलब्ध कराये जाने वाले अधिष्ठान से 200 मी0 अर्द्धव्यास के भीतर सम्पत्तियों पर जलकर का अधिरोपण एवं उद्ग्रहण किया जायेगा। जल

मूल्य एवं मीटर किराये का निर्धारण जल सम्भरण एवं जल परिवय नियमावली तथा शासनादेश संख्या 960/नौ-2-2013-95 सा/2009, दिनांक 06 अप्रैल, 2013 अथवा समय-समय पर जारी शासनादेश के अनुक्रम में किया जायेगा।

अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत कॉंट (शाहजहाँपुर) को प्रत्येक दो वर्ष में करों का पुनरीक्षण/पुनर्निर्धारण का अधिकार होगा। अपरिहार्य परिस्थितियों में यदि प्रत्येक दो वर्ष में सम्पत्ति कर, गृहकर एवं जलकर आदि के पुनर्निर्धारण नहीं हो सका तो अधिशासी अधिकारी को यह अधिकार होगा कि व न्यूनतम 10 प्रतिशत की वृद्धि कर के करों की वूसली सुनिश्चित करायेंगे।

नगर पंचायत द्वारा प्रत्येक 03 माह में भवनों के नवनिर्माण/परिवर्धन/परिवर्तन स्थिति में कराच्छादन हेतु सर्वे करायेगी तथा उन पर तत्समय प्रचलित दरों पर कर निर्धारण करेगी तथा निर्धारण सूची में परिवर्तन करेगी। इस प्रकार परिवर्तित करों का भुगतान स्वामी/अध्यासी द्वारा अनिवार्य रूप से करना होगा।

स्वकर निर्धारण के सम्बन्ध में निर्धारण प्रपत्र पर सूचना देनी होगी। गलत सूचना पर अंकन रु0 5,000.00 अर्थदण्ड देना होगा तदानुसार नगरपालिका अधिनियम, 1916 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत, कॉंट द्वारा अपनी सीमान्तर्गत स्थित भवनों/भूमियों की वार्षिक मूल्यांकन निम्न दरों पर निर्धारत किया जायेगा।

सम्पत्ति कर (गृहकर एवं जलकर) स्वमूल्यांकन व्यवस्था का विवरण वर्गवार निर्धारण मासिक किराया दर प्रतिवर्ग फुट (रुपये में)–

भवन की प्रकृति (फर्श की प्रकृति) (सड़क की चौड़ाई)	पक्का भवन (R.C.C.)	पक्का भवन (R.C.B.)	अन्य पक्का भवन	कच्चा भवन	भूमि/प्लाट
(क) (24 मी0 से अधिक चौड़ी सड़क पर स्थित भवन)	2.00	1.50	1.00	0.75	0.75
(ख) (12 से 24 मी0 तक चौड़ी सड़क पर स्थित भवन)	1.50	1.00	0.75	0.50	0.50
(ग) (12 मी0 से कम चौड़ी सड़क पर स्थित भवन)	1.00	0.75	0.50	0.25	0.50

सुप्रिया गुप्ता,
प्रशासक,
नगर पंचायत, कॉंट,
शाहजहाँपुर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स ए0आर0 बिल्डर्स, पता-फ्लैट नं0 503, पंचम तल, अल्याह गैलेक्सी अपार्टमेन्ट, 66 बटलरगंज, लखनऊ-226001 पार्टनरशिप ऐक्ट, 1932 के अन्तर्गत लखनऊ से पंजीकृत है जिसमें चार साझेदार क्रमशः शराफत अली, सारा बेगम, सैयद अरशद एवं नरगिस जहां थे, जिसमें दो साझेदार क्रमशः सैयद अरशद एवं नरगिस जहां दिनांक 31 दिसम्बर, 2018 से फर्म की साझेदारी से निकल गये हैं। वर्तमान में शराफत अली एवं सारा बेगम उक्त फर्म का संचालन कर रहे हैं। इसकी सूचना दी जा रही है।

शराफत अली,
साझेदार,
फर्म मेसर्स ए0आर0 बिल्डर्स,
फ्लैट नं0 503, पंचम तल,
अल्याह गैलेक्सी अपार्टमेन्ट,
66 बटलरगंज, लखनऊ-226001।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का घर का नाम शुभ आनन्द है, जबकि समस्त शैक्षिक अभिलेखों और आधार कार्ड में कोर्णाक कुमार है। एल0आई0सी0 पालिसी संख्या 237522027, दिनांक 28 दिसम्बर, 2012 में उसके घर का नाम शुभ आनन्द अंकित हो गया है। शुभ आनन्द एवं कोर्णाक कुमार एक ही व्यक्ति है। भविष्य में मेरे पुत्र को कोर्णाक कुमार पुत्र स्व0 रजनीश आनन्द के नाम से जाना एवं पहचाना जाय।

शालिनी आनन्द,
एल0आई0जी0-43, देवघाट, झलवा,
ए0डी0ए0 कालोनी, प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स "ताज राइस मिल", ग्राम कागानगला, तह0 मिलक,

जिला रामपुर (यू0पी0) नामक फर्म में दिनांक 01 अप्रैल, 2022 को जियाउल नबी पुत्र श्री अब्दुल नबी व इशाकुल नबी पुत्र श्री अब्दुल नबी निवासीगण मोहल्ला नई बस्ती, नियर मदीना मस्जिद, केमरी, तह0 बिलासपुर, जिला रामपुर रिटायर हो गये हैं तथा रिटायर्ड पार्टनर की उक्त फर्म में कोई देनदारी व लेनदारी बकाया नहीं है तथा दिनांक 01 अप्रैल, 2022 को श्री रफीक अहमद पुत्र श्री अच्छन निवासी 149, घोसी वाली मस्जिद, मोहल्ला चमारान, केमरी, तह0 बिलासपुर, जिला रामपुर (20 प्रतिशत) व श्री सलीम अहमद पुत्र श्री अब्दुल करीम (15 प्रतिशत) व श्री शकील अहमद पुत्र श्री अब्दुल करीम (8.33 प्रतिशत) व श्री समीर अख्तर पुत्र श्री अब्दुल करीम सिद्दीकी (8.33 प्रतिशत) व श्री जियाउल अहमद पुत्र श्री अब्दुल करीम (8.34 प्रतिशत) निवासीगण 71, मोहल्ला माजुल्ला नगर, केमरी, तह0 बिलासपुर, जिला रामपुर शामिल हो गये हैं तथा अब वर्तमान में आठ पार्टनर श्री जावेद अहमद (10 प्रतिशत) व श्री शहादत अहमद (20 प्रतिशत) व श्री शावेज अली (10 प्रतिशत) व श्री रफीक अहमद (20 प्रतिशत) व श्री सलीम अहमद (15 प्रतिशत) व श्री शकील अहमद (8.33 प्रतिशत) व श्री समीर अख्तर (8.33 प्रतिशत) तथा श्री जियाउल अहमद (8.34 प्रतिशत) हो गये हैं।

शहादत अहमद,
पार्टनर,
फर्म मेसर्स "ताज राइस मिल",
ग्राम कागानगला, तह0 मिलक,
जिला रामपुर (यू0पी0)।

सूचना

सूचित किया जाता है कि दिनांक 05 मई, 2022 से भागीदारी फर्म में0 श्री बजरंग चिलिंग प्लान्ट, फिरोजाबाद रोड, जलेसर, एटा का नाम परिवर्तित कर मे0 श्री बजरंग शीतगृह एण्ड चिलिंग प्लान्ट, फिरोजाबाद रोड, जलेसर, एटा कर दिया गया है। फर्म के भागीदार श्री नत्थू सिंह, श्री सोनीराम, श्री राज कुमार, श्री राज बहादुर हैं।

नत्थू सिंह,
भागीदार,
मे0 श्री बजरंग चिलिंग प्लान्ट,
फिरोजाबाद रोड, जलेसर एटा,
परिवर्तित नाम,
मे0 श्री बजरंग शीतगृह एण्ड,
चिलिंग प्लान्ट, फिरोजाबाद रोड,
जलेसर, एटा।

सूचना

सूचित किया जाता है कि भागीदारी फर्म मेसर्स सैनिक फ्रूट प्रोसेसिंग प्लान्ट, नियर कोमल जनरल स्टोर, नगला रेवती, जगनेर रोड, आगरा, उ0प्र0 में दिनांक 01 जनवरी, 2022 से श्री प्रेम सिंह पुत्र श्री राम किशन सिंह तथा श्री नरेन्द्र सिंह पुत्र श्री राम किशन सिंह, निवासीगण 77 अभयपुरा मलपुरा, आगरा नये भागीदार के रूप में सम्मिलित हो गये हैं तथा दिनांक 01 जनवरी, 2022 से पूर्व भागीदार श्री जगराम सिंह यादव पुत्र स्व0 जाहर सिंह यादव, निवासी 63ए/23डी, कीर्ति नगर डिफेन्स कालोनी, आगरा, उ0प्र0 व श्री राम किशन सिंह पुत्र श्री कुमर सिंह, निवासी 77, अभयपुरा, मलपुरा, आगरा अपनी स्वेच्छा से उक्त फर्म से अलग हो गये हैं। अब फर्म में श्री प्रेम सिंह व श्री नरेन्द्र सिंह ही भागीदार हो गये हैं।

प्रेम सिंह,
भागीदार,
मेसर्स सैनिक फ्रूट प्रोसेसिंग प्लान्ट,
नियर कोमल जनरल स्टोर, नगला,
रेवती, जगनेर रोड, आगरा, उ0प्र0।

सूचना

सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के शैक्षिक अभिलेखों, आधार कार्ड में प्रार्थी का नाम सुधाकर पुत्र विजय शंकर अंकित है, जो कि सही है। त्रुटिवश प्रार्थी के पैन कार्ड में प्रार्थी का नाम सुधाकर पाण्डेय पुत्र विजय शंकर पाण्डेय अंकित हो गया है। उपरोक्त दोनों नाम मेरा ही है। भविष्य में मुझे सुधाकर पुत्र विजय शंकर (SUDHAKAR S/O VIJAY SHANKAR) के नाम से जाना व पहचाना जाय।

सुधाकर,
पुत्र विजय शंकर,
ग्राम-कसिदहाँ, पोस्ट-नथईपुर,
जनपद-भदोही (संत रविदास नगर),
उत्तर प्रदेश-221304।

सूचना

सूचित किया जाता है कि मेसर्स सी0एल0 गुप्ता एण्ड संस रजि0 कार्यालय 182 आर0ए0 बाजार कैंट, जिला-प्रयागराज फर्म के पार्टनर श्री संजीव कुमार गुप्ता पुत्र सुरेंद्र कुमार गुप्ता, नि0 437/189 नेवादा कालोनी,

अशोक नगर, परगना व तहसील सदर, जिला प्रयागराज आज दिनांक 11 जुलाई, 2022 से उक्त फर्म के पार्टनर नहीं रह गये हैं वह स्वेच्छा से अलग हो गये है। उक्त फर्म की देनदारी व लेनदारी से संजीव कुमार गुप्ता का कोई वास्ता व सरोकार नहीं रह गया है, उक्त फर्म में अंबुज अग्रवाल पुत्र स्व0 राजीव गुप्ता, निवासी 437/189 नेवादा कालोनी, अशोक नगर, परगना व0 तहसील सदर, जिला प्रयागराज को दिनांक 11 जुलाई, 2022 से पार्टनर बनाया गया है। अब उक्त फर्म से केवल दो पार्टनर सुनीता गुप्ता व अंबुज अग्रवाल है।

सुनीता गुप्ता।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म सर्वश्री वैष्णो ट्रेडर्स वार्ड नं0-1 नगरपालिका परिषद्, महराजगंज, उ0प्र0 नाम व फर्म में साझेदारी डीड दिनांक 20 अगस्त, 2020 के अनुसार श्री बद्रीनाथ गुप्ता एवं श्री अभय कुमार श्रीवास्तव साझेदार थे।

उक्त फर्म कार्यालय सहायक एवं रजिस्ट्रार फर्म सोसाइटी एवं चिट्स गोरखपुर में पंजीकरण संख्या 02861/2021-22 पर पंजीकृत है। यह कि साझेदार श्री बद्रीनाथ गुप्ता साझीदारी डीड दिनांक 01 अप्रैल, 2022 को अपनी स्वेच्छा से फर्म से बाहर हो रहे हैं तथा उक्त फर्म में श्री बद्रीनाथ गुप्ता का कोई लेन-देन बकाया नहीं है। यह कि साझीदारी डीड, दिनांक 01 अप्रैल, 2022 से फर्म सर्वश्री वैष्णो ट्रेडर्स वार्ड नं0-1 नगरपालिका परिषद्, महराजगंज, उ0प्र0 में एक अन्य साझेदार श्री रजत मल्ल पुत्र श्री दीवाकर मल्ल बतौर साझेदार शामिल हो रहे हैं। उक्त फर्म में किसी का कोई लेन-देन बकाया नहीं है।

अभय कुमार श्रीवास्तव,
साझेदार,
सर्वश्री वैष्णो ट्रेडर्स वार्ड नं0-1,
नगरपालिका परिषद्, महाराजगंज, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित करना है मेसर्स ग्लास टेक इण्डिया 69, भवानी नगर, हापुड़ रोड, मेरठ की साझीदारी में श्री कमर अहमद काजमी एवं श्री दलजीत सिंह साझीदार हैं। दिनांक 25 अप्रैल, 2022 (प्रभावी दिनांक 01 अप्रैल, 2021) को फर्म की साझीदारी में श्रीमती नीलोफर कमर एवं श्रीमती रमनीत कौर सम्मिलित हुई हैं। संशोधित साझीदारीनामा दिनांक 25 अप्रैल, 2022 के अनुसार श्री कमर अहमद काजमी एवं श्री दलजीत सिंह, श्रीमती नीलोफर कमर एवं श्रीमती रमनीत कौर साझीदार हैं। संशोधित साझीदारी के अनुसार फर्म का रजिस्टर्ड पता "जाकिर कालोनी, अपोजिट एल-ब्लाक, हापुड़ रोड, मेरठ-250002 एवं साझीदार श्री दलजीत सिंह का निवास स्थल आर-825, आर-ब्लाक, न्यू राजिन्द्र नगर, दिल्ली-110060 तथा फर्म के व्यवसाय/ फैक्ट्री का पता "1690, सैकिण्ड फ्लोर, मैन आर्य समाज रोड, करोल बाग, नई दिल्ली-110005 एवं शोरूम नं0-2ई, ग्राउण्ड फ्लोर, ब्लॉक-ई, स्पेस-9, बड्डी (हिमांचल प्रदेश)" बढ़ाया गया है। यह घोषणा करता हूं कि एतद्द्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

कमर अहमद काजमी,
साझीदार,
मेसर्स ग्लास टेक इण्डिया,
जाकिर कालोनी, अपोजिट एल-ब्लॉक,
हापुड़ रोड, मेरठ-250002।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित करना है मेसर्स आरनव प्रोजेक्टस एण्ड इन्फ्राटैक, 3सी, किंग्स रिजर्व, गामा-2, ग्रेटर नोएडा, जिला-गौतमबुद्धनगर, (उ0प्र0)-201310 की साझीदारी में श्री मृत्युंजय प्रसाद सिंह, श्रीमती अर्चना कुमारी एवं श्री मनोज कुमार सिंह साझीदार थे। दिनांक 09 जुलाई, 2022 को श्री ब्रिन्द बिहारी सिंह फर्म की साझीदारी में सम्मिलित हुये हैं तथा श्रीमती अर्चना कुमारी फर्म की साझीदारी से अपना हिसाब-किताब ले देकर अलग हो गयी हैं। संशोधित साझीदारीनामा दिनांक 09 जुलाई, 2022 के अनुसार श्री ब्रिन्द बिहारी सिंह, श्री मृत्युजंय प्रसाद सिंह एवं श्री मनोज कुमार सिंह साझीदार हैं। शाखा कार्यालय Hamidganj, P.O. & P.S. Daltanganj, District-Palamau (Jharkhand)-822101 एवं Namna Kalan, Behind Anand Engineering Works, Ambikapur (Sarguja), Chattisgarh. यह घोषणा

करता हूं कि एतद्द्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

मृत्युजंय प्रसाद सिंह,
साझीदार,
मेसर्स आरनव प्रोजेक्टस एण्ड इन्फ्राटैक,
3सी, किंग्स रिजर्व, गामा-2, ग्रेटर नोएडा,
जिला-गौतमबुद्धनगर (उ0प्र0)-201310।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित करना है मेसर्स तिरूपति गैस सर्विस, शिव शक्ति धाम, तिरुपति नगर, बुलन्दशहर-203001 की साझीदारी में श्री लक्ष्मी नरायन गुप्ता एवं श्री मुकेश गुप्ता साझीदार थे। दिनांक 01 अप्रैल, 2015 को श्री गार्गेय गुप्ता फर्म की साझीदारी में सम्मिलित हुये हैं तथा दिनांक 15 जनवरी, 2022 को श्री लक्ष्मी नरायन गुप्ता का स्वर्गवास हो चुका है। संशोधित साझीदारीनामा दिनांक 15 जनवरी, 2022 के अनुसार श्री मुकेश गुप्ता एवं श्री गार्गेय गुप्ता साझीदार हैं। यह घोषणा करता हूं कि एतद्द्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

मुकेश गुप्ता,
साझीदार,
मेसर्स तिरुपति गैस सर्विस,
शिव शक्ति धाम, तिरुपति नगर,
बुलन्दशहर-203001।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म श्री सुरभि इण्डस्ट्रीज पता-7वां फ्लोर गैलेन्ट लैण्डमार्क बैंक रोड, जनपद गोरखपुर में साझेदारी डीड, दिनांक 25 अगस्त, 2020 से दो पार्टनर क्रमशः श्री चैतन्य अग्रवाल एवं श्रीमती पूनम अग्रवाल जी थे। साझेदारी डीड दिनांक 10 फरवरी, 2022 से श्री सुमिथ रूंगटा एवं श्रीमती प्रभा रूंगटा मेसर्स फैथफुल कामर्शियल लिमिटेड, पता-सेक्टर-23 गीडा, जनपद-गोरखपुर व मेसर्स मण्डेलाश्री इण्डस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, पता सेक्टर-15 गीडा, जनपद गोरखपुर उक्त फर्म में दिनांक 10 फरवरी, 2022 को साझेदार के रूप में शामिल हुये हैं। अब फर्म में वर्तमान छः पार्टनर मौजूद हैं। उक्त फर्म में किसी का कोई लेन-देन बकाया नहीं है।

चैतन्य अग्रवाल,
साझेदार।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स एस के रोड लाइंनस डी 217, सरकुलर रोड, आवास विकास कालोनी, जिला-हरदोई-241001, रजि0 नं0-एचआरए/0006088 का पंजीकरण दिनांक 28 फरवरी, 2020 को कराया गया था जिसमें विकास गुप्ता प्रथम, अमित कुमार गुप्ता द्वितीय, पवन कुमार अग्रवाल तृतीय एवं सुरेन्द्र सिंह चतुर्थ साझीदार थे, जिसमें द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ साझेदार फर्म से हट गये हैं। जिनके स्थान पर राजीव कुमार पुत्र राधेश्याम, निवासी 129 ग्राम-समथरी, पो0-पीला महुआ, हरियावाँ, जिला-हरदोई, उ0प्र0-241405 को दिनांक 18 जुलाई, 2022 से द्वितीय साझेदार के रूप में शामिल कर लिया गया है। उक्त तिथि से पूर्व के द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ साझेदार का भविष्य में कोई लेना-देना नहीं होगा। वर्तमान में उक्त फर्म में विकास गुप्ता प्रथम एवं राजीव कुमार द्वितीय साझेदार के रूप में सम्मिलित हैं।

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक रूप से औपचारिकताओं का पालन स्वयं मेरे द्वारा किया गया है।

विकास गुप्ता,
साझेदार।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स ओम हास्पिटल, रेलवे रोड, निकट आयल डिपो, सण्डीला, जिला-हरदोई, रजि0 सं0-194512 का पंजीकरण दिनांक 25 अप्रैल, 2011 को लखनऊ से कराया गया था, जिसके साझेदारों डॉ0 विनीत वर्मा एवं डॉ0 अर्चना वर्मा ने स्वेच्छा से उपरोक्त फर्म को दिनांक 31 मार्च, 2022 को विघटित कर दिया है तथा इस फर्म से हम दोनों साझेदारों का कोई लेना-देना नहीं होगा।

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक रूप से औपचारिकताओं का पालन स्वयं मेरे द्वारा किया गया है।

डा0 विनीत वर्मा,
साझेदार।

सूचना

सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स वावा महाकाल ट्रांसपोर्ट खेड़ारठ खेड़ा वझेड़ा, जैतीपुर, जिला शाहजहांपुर में पंजीकरण संख्या SHA/0007212 में साझेदार राजीव गुप्ता एवं शवनम खान थे, दिनांक 12 जुलाई, 2022 को राजीव गुप्ता फर्म से स्वेच्छा से निकल गये हैं एवं श्रीमती रीना गुप्ता फर्म में सम्मिलित हो गयी हैं। अब फर्म में रीना गुप्ता व शवनम खान हैं।

शवनम,
पार्टनर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मे0 सरपंच ब्रिक्स उद्योग, खसरा नं0–626, ग्राम बड़ा बांगर, छाता मथुरा में स्थित है उपरोक्त फर्म में हम श्री वीर बहादुर सिंह, श्री चेतराम, श्री रमेश चौधरी, निवासीगण कोसीकलां, छाता, जिला मथुरा सभी साझेदारों ने अपनी फर्म दिनांक 20 नवम्बर, 2019 को संचालन की थी। दिनांक 06 जुलाई, 2022 से श्री रमेश चौधरी पुत्र श्री साहब सिंह, निवासी 116/26 कमला नगर, कोसीकलां, तह0 छाता जिला मथुरा फर्म से पृथक् हो गये हैं। अब फर्म को श्री वीरबहादुर सिंह, श्री चेतराम हम दोनों साझेदार के रूप में फर्म को संचालित करेंगे।

वीर बहादुर सिंह,
साझेदार।

पी0एस0यू0पी0–18 हिन्दी गजट–भाग 8–2022 ई0।

मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उ0प्र0, प्रयागराज।